भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

परिणामी बजट

2012-13

विषय-वस्तु तालिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	कार्यकारी सारांश	1-3
2.	अध्याय I : प्रस्तावना	4-7
3.	अध्याय II : वित्तीय परिव्यय, अनुमानित भौतिक निर्गम और अनुमानित बजट परिणाम के ब्यौरे	8-28
4.	अध्याय III : मंत्रालय द्वारा किए गए सुधार उपाय और नीतिगत पहल का प्रभाव	29-33
5.	अध्याय IV : 2010-11 और 2011-12 के दौरान कार्य निष्पादन की समीक्षा	34-49
6.	अध्याय V : वित्तीय समीक्षा	50-54
7.	अध्याय VI : मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन की समीक्षा	55-145

कार्यकारी सारांश

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

केन्द्र सरकार मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है । राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत महत्वपूर्ण हैं, यद्यपि ये कुल सड़क नेटवर्क का मात्र 1.7% हैं किंतु इन पर कुल सड़क यातायात का लगभग 40% यातायात होता है । यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण का कार्य मुख्यत: एजेंसी प्रणाली के आधार पर करता है। राज्य सरकारों के अलावा, सीमा सड़क संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत निकाय है, केन्द्र सरकार की एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं । मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रारंभ की है, जो चरणों में कार्यान्वित की जा रही है तथा इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के 54,500 किमी से अधिक मुख्य मार्गों का सुधार करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की परिकल्पना है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कों के विकास का मुख्य उद्देश्य बेहतर सड़क सतह, बेहतर सड़क ज्यामिति, बेहतर यातायात प्रबंधन और दृश्य संकेत, विभाजित मार्ग और सर्विस रोड, ग्रेड सेपरेटर, उपरि पुल और भूमिगत मार्ग, बाइपास और मार्गस्थ सुविधाओं सहित बेहतर सुरक्षा विशेषताओं से युक्त यातायात के निर्बाध आवागमन के लिए सुविधाएं स्थापित करना है ।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 22,600 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 130 पुलों और 07 बाइपासों के निर्माण/मरम्मत के साथ-साथ लगभग 6088 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार किया जाना है । बजटीय सहायता के अलावा, विदेशी ऋणों के माध्यम से आंतरिक अतिरिक्त बजट संसाधनों का भी उपयोग किया जाएगा ।

इस मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के 88 जिला मुख्यालयों को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जोड़ा जाना सुनिश्चित करते हुए तीन चरणों में 10,141 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। वर्ष 2012-13 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए 2000 करोड़ रु. का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

सरकार ने देश के आठ राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए आदिवासी उप-योजना सहित एक विशेष कार्यक्रम, फरवरी, 2009 में अनुमोदित

किया है । इस कार्यक्रम में 5,477 किमी. सड़कों को (राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 1126 किमी लंबाई और राज्यीय सड़कों की 4,351 किमी. लंबाई) 7,300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दो लेन मानक में विकसित किए जाने की परिकल्पना है । इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 2012-13 के लिए 1500 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है । सरकार ने नवंबर, 2010 में 1200 करोड़ रुपए की लागत से विजयवाड़ा-रांची कॉरीडोर के अंतर्गत उड़ीसा में राज्यीय सड़कों की 600 किमी. लंबाई के सुधार के लिए अनुमोदन प्रदान किया है । इस सड़क खंड को 7 पैकेजों में बांटा गया है । वर्ष 2012-13 के दौरान इस कॉरीडोर के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । यह मंत्रालय, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सड़क निधि से ग्रामीण सड़कों से भिन्न राज्यीय सड़कों के विकास और अंतरराज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीमों के अंतर्गत अन्य सड़कों के विकास के लिए भी धनराशि प्रदान कर रहा है।

रूकावटों को दूर करने के लिए कार्यों की वित्तीय और भौतिक प्रगति पर नियमित निगरानी रखी जाती है । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृतियों और आर ओ बी के निर्माण आदि जैसी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार/रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है ।

जहां तक सड़क क्षेत्र में निजी निवेश लाने का संबंध है, सरकार ने व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए परियोजना लागत के 40% तक पूंजी अनुदान, 20 वर्षों में से किन्हीं लगातार 10 वर्षों में 100% कर छूट प्रदान करने की नीतिगत पहल की है । निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी.ओ.टी.) परियोजना उद्यमियों को चुनिंदा खंडों पर पथकर राशि वसूल करने और अपने पास रखने की अनुमति भी दी गई है ।

मंत्रालय से संबंधित समस्त सार्वजनिक सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सभी आवेदनों का निपटान शीघ्रता से किया जाता है । राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों से संबंधित स्कीमों और चालू कार्यों की प्रगति तथा प्रमुख कार्यों की सभी निविदाओं की सूचना भी वेबसाइट पर दी गई हैं । तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति के बारे में जनता को सही समय पर सूचना प्रदान करने के लिए एक व्यापक व्यवस्था तैयार की जा रही है ।

सड़क परिवहन

मंत्रालय का सड़क परिवहन प्रभाग पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात के आवागमन की व्यवस्था करने के अतिरिक्त देश में सड़क परिवहन के विनियमन के लिए व्यापक नीतियां तैयार

करने का काम करता है । देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार लाना, सड़क सुरक्षा प्रभाग के अति महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है । मंत्रालय के सड़क परिवहन प्रभाग द्वारा निम्नलिखित अधिनियम/नियमावलियां, जिनमें मोटर वाहनों और राज्य सड़क परिवहन निगमों से संबंधित नीतियां निहित हैं, का संचालन किया जाता है

- मोटर यान अधिनियम, 1988
- केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989
- सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950
- वाहक अधिनियम, 1865/सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2007

सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने के अतिरिक्त, यह प्रभाग केन्द्रीय क्षेत्र की कतिपय योजनाओं के संचालन के लिए भी जिम्मेदार है । ये योजनाएं मानव संसाधन विकास से संबंधित हैं जिसमें राज्य परिवहन विभाग के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, असंगठित क्षेत्र में भारी वाणिज्यिक वाहनों के चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण, सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार उपाय एवं जागरूकता अभियान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सड़क सुरक्षा एवं प्रदूषण जांच उपस्कर उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना, सड़क परिवहन क्षेत्र में राष्ट्रीय डाटाबेस/कंप्यूटरीकरण, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना, निरीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्रों की और आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना करना, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन बोर्ड का सृजन शामिल हैं ।

यह मंत्रालय, सड़क सुरक्षा संबंधी गतिविधियों आदि के संचालन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता देने, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने सहित इलेक्ट्रोनिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा संबंधी विभिन्न प्रचार/जागरूकता अभियान चलाता आ रहा है । यह मंत्रालय, दुर्घटना होने की स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सड़क सुरक्षा उपस्कर, प्रदूषण जांच उपस्कर, क्रेन और एंबुलेंस भी उपलब्ध कराता आ रहा है । इस मंत्रालय का ध्यान परिवहन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहन देने जैसे अन्य क्षेत्रों पर भी है । इस समय मंत्रालय, देश में सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों पर व्यापक निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन बोर्ड नामक एक समर्पित एजेंसी के सृजन के प्रस्ताव पर तेजी से कार्रवाई कर रहा है ।

अध्याय ।

प्रस्तावना

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

केन्द्र सरकार का एक शीर्षस्थ संगठन जिसे अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, संगठनों और व्यक्तियों के परामर्श से सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन अनुसंधान के लिए नीतियां तैयार करने और इनको लागू करने का दायित्व सौंपा गया है ताकि देश में सड़क परिवहन प्रणाली की गतिशीलता और दक्षता में वृद्धि हो सके ।

इस मंत्रालय के मुखिया कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं । मंत्रालय में दो राज्य मंत्री भी हैं ।

सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की सहायता के लिए महानिदेशक (सड़क विकास) एवं विशेष सचिव, संयुक्त सचिव (परिवहन, स्थापना और सामान्य), संयुक्त सचिव (राजमार्ग), संयुक्त सचिव (भूमि अधिग्रहण तथा समन्वय) तथा संयुक्त सचिव (आई सी एंड पी) के साथ-साथ कई मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, कार्यकारी अभियंताओं, सहायक अभियंताओं सहित निदेशक, उप-सचिव स्तर के अधिकारी और अन्य अनुसचिवीय तथा तकनीकी अधिकारी हैं।

मंत्रालय के वित्त पक्ष की अगुवाई अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार द्वारा की जाती है, जो वित्तीय प्रभाव वाली सभी नीतियों और अन्य प्रस्तावों को तैयार करने और इनको प्रोसेस करने में सहायता करते हैं । अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार की सहायता के लिए एक निदेशक (वित्त), एक सहायक वित्त सलाहकार तथा एक अवर सचिव (बजट) और अन्य अनुसचिवीय अधिकारी एवं कर्मचारी हैं ।

मंत्रालय के लेखा पक्ष की अगुवाई प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा की जाती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ लेखांकन, भुगतान, बजट, आंतरिक लेखा परीक्षा तथा रोकड़ प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होते हैं ।

सलाहकार (परिवहन अनुसंधान), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में आने वाले परिवहन के विभिन्न साधनों के बारे में आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण, नीति नियोजन, परिवहन समन्वय के लिए मंत्रालय के विभिन्न पक्षों को आवश्यक आंकडे उपलब्ध कराते हैं ।
मंत्रालय में सड़क पक्ष और परिवहन पक्ष के रूप में दो पक्ष कार्य करते हैं ।

1. सड़क पक्ष

केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है । राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण कार्य एजेंसी आधार पर किया जा रहा है । राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 71,772 कि.मी. लंबाई में से 34,207 कि.मी. राज्य लोक निर्माण विभागों के पास, 30,537 किमी. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास तथा 3,798 किमी. लंबाई सीमा सड़क संगठन के पास है । शेष 3,230 किमी. लंबाई अभी निष्पादन एजेंसियों को सौंपी जानी है।

महानिदेशक (सड़क विकास) व विशेष सचिव सड़क पक्ष के प्रमुख हैं और वे मुख्यतः (i) राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित सभी सामान्य नीतिगत मामलों पर सरकार को परामर्श देने (ii) राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के विकास और अनुरक्षण (iii) संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कों के विकास और अनुरक्षण (iv) ग्रामीण सड़कों से भिन्न राज्यीय सड़कों के संबंध में केंद्रीय सड़क निधि के प्रशासन (v) सड़कों और पुलों के मानकों के मूल्यांकन और विनिर्देशन तथा (vi) सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार हैं।

सड़क पक्ष निम्नलिखित अधिनियमों का भी प्रशासन कर रहा है :-

i) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956
ii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988
iii) केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 और
iv) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002

केन्द्र सरकार ने वार्षिक योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत एकल लेन की सड़कों को दो लेन बनाने और दो लेन सड़कों को चार लेन बनाने, पुलों के निर्माण/मरम्मत, बाइपासों के निर्माण, सड़क गुणता सुधार के कार्य किए जाने के अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रारंभ की है । सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राजमार्ग परियोजनाओं को सात चरणों में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है । चरण-III और उसके बाद के चरणों को सार्वजनिक निजी भागीदारी विधि से कार्यान्वित किया जाएगा ।

सामान्य मरम्मत, आवधिक नवीकरण, विशेष मरम्मत, बाढ़ क्षति मरम्मत आदि जैसी विभिन्न अनुरक्षण और मरम्मत स्कीमों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए धनराशि भी प्रदान की जाती है ।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों और ग्रामीण सड़कों के त्वरित और एकीकृत विकास के लिए केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के तहत केंद्रीय

सड़क निधि की स्थापना की गई है । केंद्रीय सड़क निधि संग्रह (कॉरपस) की स्थापना की गई है और इसे जारी रखा जा रहा है ।

1.1 अनुसंधान और विकास

सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का मुख्य बल एक टिकाऊ सड़क अवसंरचना का निर्माण करना है जिसकी तुलना विश्व की सर्वोत्तम सड़क अवसंरचना से की जा सके । इस रणनीति के विभिन्न घटकों में (i) सड़क डिजाइन में सुधार, (ii) निर्माण तकनीकों का आधुनिकीकरण, (iii) नवीनतम प्रवृत्तियों के अनुरूप बेहतर सामग्री का प्रयोग, (iv) नई प्रौद्योगिकी के विकास और प्रयोग के प्रोत्साहन के लिए बेहतर और उपयुक्त विशिष्टियों का विकास आदि शामिल हैं । कार्यनीति के इन घटकों का प्रचार-प्रसार नए दिशा निर्देशों, प्रथा संहिताओं, अनुदेशों/परिपत्रों के प्रकाशन, अत्याधुनिक रिपोर्टों के संकलन तथा सेमिनार/ प्रस्तुतीकरण आदि के जरिए किया जाता है । मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अनुसंधान स्कीमें सामान्यतः "अनुप्रयुक्त" स्वरूप की होती हैं जिनके पूरे हो जाने पर प्रयोक्ता एजेंसी/विभाग उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में अपना सकेंगे । इन क्षेत्रों में सड़क, सड़क परिवहन, पुल, यातायात और परिवहन तकनीक आदि आते हैं । अनुसंधान और विकास स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए यह मंत्रालय विभिन्न अनुसंधान और शैक्षिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों की सहायता लेता है ।

सड़क परिवहन

सड़क द्वारा माल यातायात का हिस्सा कुल माल परिवहन का लगभग 60% और यात्रियों के आवागमन का हिस्सा 87% से अधिक है । राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क नेटवर्क का मात्र 2% हैं किंतु इन पर कुल सड़क यातायात का लगभग 40% यातायात होता है । आसान उपलब्धता, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलता, लागत में बचत आदि जैसे कुछ कारकों से सड़क परिवहन लोकप्रिय बन गया है । रेलवे, नौवहन और हवाई यातायात के लिए सड़क परिवहन एक पूरक सेवा के रूप में भी कार्य करता है । वाहनों की संख्या प्रतिवर्ष लगभग 10 % की औसत गति से बढ़ रही है । वर्ष 1950-51 में कुल यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा माल परिवहन का 13.8% और यात्रियों के आवागमन का 15.4% था जो वर्ष 2009-10 के अंत तक बढ़कर माल परिवहन का हिस्सा 62.9% और यात्रियों के आवागमन का हिस्सा 90.2% हो गया था । इस प्रकार, हिंटरलैंड तक वर्तमान और भावी यातायात दोनों और संवर्द्धित पहुंच के लिए सड़क नेटवर्क का तीव्र विस्तार और सुदृढ़ीकरण अनिवार्य है । इसके अलावा, बेहतर ऊर्जा क्षमता, अल्प प्रदूषण और संवर्धित सड़क सुरक्षा के लिए सड़क परिवहन को विनियमित करने की आवश्यकता है ।

यह मंत्रालय पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात के आवागमन की व्यवस्था करने के अतिरिक्त देश में सड़क परिवहन के विनियमन से संबंधित व्यापक नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है ।

यह मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं की संख्या न्यूनतम रखने की दृष्टि से सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए नीतियां तैयार करता है और गतिविधियां चलाता है । मंत्रालय के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा

तैयार और प्रबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रचार कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना, असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण देना आदि शामिल हैं ।

सड़क परिवहन क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी लागू करने की दृष्टि से स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आदि जारी किए जाने संबंधी नियम पहले ही अधिसूचित कर दिए गए हैं । राज्य सरकारें इन्हें लागू करने की प्रक्रिया में हैं ।

अध्याय -II

वित्तीय परिव्यय, अनुमानित भौतिक निर्गम और अनुमानित बजट परिणाम के ब्योरे

<u>सड़क क्षेत्र</u>

सड़क क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग, सड़कों के लिए परिव्यय उपलब्ध कराता है । 11वीं योजना में योजना आयोग ने 1,06,659.00 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया है जिसमें सकल बजटीय सहायता 71,830.00 करोड़ रु. और आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) 34,829.00 करोड़ रु. है ।

योजना आयोग ने सड़क क्षेत्र में विकास के लिए 2012-13 के लिए 32,600.00 करोड़ रु. का वार्षिक परिव्यय उपलब्ध कराया है । विवरण इस प्रकार हैं :-

मद	धनराशि (करोड़ रु.)
क) सकल बजट सहायता (जिसमें ई ए पी 500.00 करोड़ रु. है)	22,600.00
ख) आंतरिक और अतिरिक्त बजट संसाधन (आईईबीआर)	10,000.00
ग) कुल परिव्यय (क + ख)	32,600.00

सड़क क्षेत्र के मुख्य घटक इस प्रकार हैं :-

(करोड़ रु. में)

क्र.स.	मद	2011-2012
1.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 'निवेश '	7881.95
2.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण - जम्मू और कश्मीर पैकेज के लिए निधि	300.00
3.	ई ए पी (सड़क पक्ष)	100.00
4.	ई ए पी (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)	180.00
5.	राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्य (एनएच(ओ),घरेलू यात्रा और मशीनरी सहित)	5742.80
6.	मुगेर, बिहार में गंगानदी पर रेल सह सड़क पुल	200.00
7.	बीआरडीबी के तहत कार्य- राष्ट्रीय राजमार्ग	550.00
8.	बीआरडीबी के तहत सामरिक सड़कें	92.00
9.	विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (इसमें कलादान बहुविध (मल्टी-मॉडल परिवहन परियोजना) के लिए आबंटन शामिल हैं।)	2000.00
10.	अन्य प्रभार और सूचना प्रौधोगिकी का विकास, अनुसंधान और विकास योजना अध्ययन तथा व्यावसायिक सेवाओं सहित प्रशिक्षण, प्रभारित व्यय	17.00

11.	केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें-केंद्रीय सड़क निधि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ई एंड आई	262.22
12.	सड़क संपर्क के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यीय सड़कें (आदिवासी उप-आयोजना के लिए 500.00 करोड़ रु. सहित))	1500.00
13.	विजयवाड़ा-रांची सड़क के लिए विशेष कार्यक्रम	200.00
14.	उड़ीसा में पासको परियोजना -हरीचंदनपुर-नारानपुर राज्य सड़क	20.00
15.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पथकर प्राप्तियों का प्रेषण	3554.03
	कुल	**22,600**

* वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए तय किए गए 9981.95 करोड़ रुपए के कुल निश्चित उपकर में से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निवेश' के अंतर्गत 7,881.95 करोड़ रुपए निश्चित किया जाना प्रस्तावित है और वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा यथा-संशोधित केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपए की शेष राशि शामिल की जानी प्रस्तावित है ।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एजेंसी आधार पर किया जा रहा है । इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार की मुख्य एजेंसियां, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन हैं । पूरक बाह्य बजटीय संसाधन (बी ओ टी परियोजनाओं के संबंध में निजी क्षेत्र का हिस्सा) सहित वित्तीय परिव्यय और राज्य लोक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन के संबंध में वर्ष 2012-13 के लिए अनुमानित भौतिक निर्गम के ब्योरे क्रमश: अनुलग्नक-I, II और III में दिए गए हैं ।

1.1 अनुमानित परिणाम

देश के औद्योगिकीकरण से राष्ट्रीय राजमार्गों के अनेक खंडों पर यातायात में प्रतिवर्ष 8 से 10% की वृद्धि हुई है और आगामी वर्षों में भी इस वृद्धि के जारी रहने की उम्मीद है । राष्ट्रीय राजमार्गों के अनेक खंडों में चौड़ीकरण, ग्रेड-सेपरेशन, बाइपासों, पुलों और एक्सप्रैस मार्गों आदि के निर्माण के तौर पर क्षमता विस्तार की आवश्यकता है । बड़ी संख्या में रेल/रोड लेवल क्रासिंग जहां बार-बार गेट बंद होने के कारण सड़क यातायात को रूकना पड़ता है, के कारण भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात के आवागमन में बाधा आती है । इस समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय सड़क निधि का एक हिस्सा विशेषत: रेल उपरि पुलों के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है । विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार से माल (कार्गो) के तेजी से आवागमन, वाहन प्रचालन लागत में कमी और ईंधन खपत में कमी के अलावा, देश के सभी भागों को बेहतर सड़कों से जोड़ा जा सकेगा ।

1.2 प्रक्रिया/समय सीमा

इस मंत्रालय ने, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के ठेके सौंपे जाने में तथा उन्नत प्रौद्योगिकी और श्रेष्ठतम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप परियोजना पूरी करने की अवधि में अनुचित विलंब से बचने के लिए ठेके सौंपे जाने और कार्य पूरा करने के लिए निम्नलिखित समय-सारणी तैयार की है:-

(क)	**कार्य के लिए ठेके सौंपना**	
	(i) 1.00 करोड़ रु. से कम लागत वाली परियोजनाएं	स्वीकृति की तारीख से अधिकतम 6 माह के अंदर
	(iii) 1.00 करोड़ रु. और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाएं	स्वीकृति की तारीख से अधिकतम एक वर्ष
(ख)	**कार्य पूरा करना**	
	(i) 1.00 करोड़ रु. से कम लागत वाली परियोजनाएं	कार्य सौंपे जाने की तारीख से अधिकतम ढाई वर्ष
	(ii) 1.00 करोड़ रु. से 10 करोड़ रु. के बीच की लागत वाली परियोजनाएं	कार्य सौंपे जाने की तारीख से अधिकतम ढाई वर्ष
	(iii) 10 करोड़ रु. से अधिक लागत वाली परियोजनाएं	कार्य सौंपे जाने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष । जहां अत्याधुनिक निर्माण मशीनें उपलब्ध होने की संभावना है, इस वर्ग की परियोजनाओं की निर्माण अवधि के संदर्भ में संस्वीकृति पत्र में और उपयुक्त कमी की जा सकती है ।

सड़क सुरक्षा

1.1 यह मंत्रालय देश के सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार किए जाने की आवश्यकता को भी स्वीकार करता है । सड़क सुरक्षा के चार पहलू है- इंजीनियरी, प्रवर्त्तन, शिक्षा और आपात चिकित्सा जिन्हें सड़क सुरक्षा के चार 'ई' के रूप में भी जाना जाता है । इंजीनियरी संबंधी पहलू का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग के डिजाइन चरण में ही किया जा रहा है । सड़क सुरक्षा के प्रवर्त्तन पहलू का विषय संबंधित राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों से संबंधित है । सड़क सुरक्षा के शिक्षा पहलू से संबंधित कार्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से अभियान चलाकर किया जाता है ।

(लाख रु. में)

बजट प्राक्कलन 2011-12	संशोधित प्राक्कलन 2011-12	बजट प्राक्कलन 2012-13
22500.00	10900.00	21515.00

इस योजना के अंतर्गत कार्यों के ब्योरे इस प्रकार हैं -

1.2 प्रचार उपाय और जागरूकता अभियान

1.2.1 नागरिकों में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के सबसे अच्छे साधनों में से एक साधन है - प्रचार अभियान चलाना । इन अभियानों का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों को रोकना है । ये अभियान इस मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रोनिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार से चलाए जा रहे हैं :-

(i) सड़क सुरक्षा संदेशों के साथ कलेंडरों का मुद्रण ।

(ii) रेडियो झलकियों का प्रसारण ।

(iii) दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क और अन्य चैनलों पर सड़क सुरक्षा संबंधी वीडियो झलकियों का टीवी पर प्रसारण ।

(iv) पैम्फलेट, पोस्टर, अभ्यास-पुस्तिकाओं आदि जैसी सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार सामग्री सभी सड़क प्रयोक्ताओं में वितरण के लिए गैर सरकारी संगठनों/स्कूलों/सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन आयुक्तों/सचिवों, पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक पुलिस (यातायात) को उपलब्ध कराना ।

(v) स्कूली छात्रों के लिए अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, और

(vi) सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करना ।

1.3 असंगठित क्षेत्र में चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

1.3.1 चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण : इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों के लिए दो दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है । वर्ष 2011-12 के दौरान, एसआईएएम और एआईएमटीसी और कृष्णा डिस्ट्रि. लारी ओनर्स चालक प्रशिक्षण स्कूलों के माध्यम से लगभग 40,000 चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के प्राप्त प्रस्तावों को संशोधित किया गया है ।

1.3.2 मानव संसाधन विकास : इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों के अधिकारियों को सड़क परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे सड़क परिवहन के क्षेत्र में होने वाले विकासात्मक कार्यों से अवगत रह सकें । वर्ष 2011-12 के दौरान केन्द्रीय

सड़क परिवहन संस्थान, पुणे में 06 प्रशिक्षण कार्यक्रम, आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया पुणे में 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम और इंजीनियरिंग स्टाफ कालेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद में 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाने के लिए निधियां संस्वीकृत की गई हैं । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वाहन प्रदूषण, वाहन मूल्यांकन, वैकल्पिक ईंधन, सड़क सुरक्षा प्रबंधन और सड़क परिवहन विनियमन एवं प्रशासन, सड़क दुर्घटना अन्वेषण और परिवहन में सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों को कवर किया जाएगा ।

1.3.3 एक राष्ट्रीय स्तर के मानकीकृत चालन पाठयक्रम और वस्तुनिष्ठ मापदंड़ों पर आधारित परीक्षण पद्धति तैयार किए जाने की आवश्यकता है । चालन प्रशिक्षण स्कूलों के लिए अपेक्षित अनेक अनुदेशकों और प्रशिक्षकों को उन वाहन निर्माताओं जैसे अन्य हितधारियों के सहयोग से प्रतिदिन चालन प्रशिक्षण स्कूलों (आईडीटीआर) में प्रशिक्षित किया जा सकता है जिनका मूलभूत उदेदश्य यह हो कि किसी अधिकृत चालन प्रशिक्षण स्कूल/संस्थान में प्रशिक्षण लिया जाना सीएमवीआर के अन्तर्गत एक पूर्व-अर्हता हो ।

1.3.4 चालन प्रशिक्षण, संपरीक्षा और चालन स्कूलों के ग्रेडिंग के सभी पहलुओं का समन्वय और मानकीकरण किए जाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक विनियामक एजेंसी स्थापित किए जाने की आवश्यकता है । प्रस्तावित संरचना में तीन घटक होंगे :-
(क) सम्पूर्ण देश में स्थानीय चालन प्रशिक्षण स्कूल जो एलएमवी ड्राइवर, एचएमवी ड्राइवर और एसवी ड्राइवरों को इंडक्शन और पुनश्चर्या दोनों प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करें,
(ख) चालन प्रशिक्षकों और अनुदेशकों के प्रशिक्षण के लिए आईडीटीआर; और
(ग) सभी आईडीटीआर और डीटीआई को शामिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर की एक विनियामक एजेंसी जिसका मुखिया चालन प्रशिक्षण स्कूलों और अन्य डीटी आई और आईडीटीआर की संपरीक्षा ओर एवं पर्यवेक्षण करने के लिए प्रत्येक आईडीटीआर/डीटीआई बारी-बारी से है ।

1.3.5 12वीं योजना अवधि के अंत तक आईडीटीआर के पर्याप्त संख्या में ऐसे प्रशिक्षित अनुदेशकों को अधिकृत करने की आवश्यकता है जो चालन कौशल संबंधी परीक्षा वस्तुत: आयोजित किए जाने के लिए आईडीटीआर और राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकृत और प्रमाणित हो ।

1.3.6 यह विचार किया गया है कि राज्य राजधानियों सहित 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 शहरों को शामिल करके कुल 60 आईडीटीआर अवसंरचना विकसित करेंगे और प्रत्येक को 15 करोड़ रूपए की लागत से मॉडल आईडीटीआर बनाया जाएगा

तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए 900 करोड़ रूपए का कुल आवंटन किया जाएगा । यह परिकल्पना की गई है विशिष्ट सेवा गुणवत्ता और साध्यता अंतर वित्त पोषण वाले पीपीपी मॉडलों को इस कार्य में लगाया जाएगा । 12वीं योजना अवधि के प्रथम वर्ष में पहले से संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए भी 10 करोड़ रूपए का पिछले वर्ष के लिए अंतरित व्यय (स्पिल ओवर व्यय) अपेक्षित होगा ।

1.4 राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना

1.4.1 सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय राजमार्गों से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए 1993-94 में राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त योजना प्रारंभ की गई थी । इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/गैर सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय राजमार्गों से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने और सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्रेनों और एंबुलेंसों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।

1.4.2 तथापि, कुछ मामलों में उपस्करों की खरीद में विलंब तथा वित्तीय सहायता के उपयोग के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, नकद अनुदान दिए जाने की बजाए उनको उपस्कर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन् 2000-01 में इस योजना के स्वरूप में संशोधन किया गया । इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किया गया । वर्ष 2011-12 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 40 क्रेन और छोटी/मध्यम आकार की 36 क्रेन प्रदान की गई हैं ।

1.5 सड़क सुरक्षा एवं प्रदूषण परीक्षण व नियंत्रण उपस्कर

1.5.1 सड़क सुरक्षा उपस्कर - इस शीर्ष के अंतर्गत राज्यों को, सड़क सुरक्षा उपस्करों जैसे ब्रेथ एनालाइजर, बहुद्देश्यीय यातायात विनियमन वाहन आदि देकर सहायता प्रदान की जाती है ।

1.5.2 प्रदूषण परीक्षण उपस्कर - वाहन उत्सर्जन, पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत बन गया है । मोटर यान अधिनियम/नियमावली में इस समस्या के समाधान के लिए कुछ नए प्रावधान किए गए हैं । वाहन उत्सर्जन के मानकों को शासित करने वाले प्रावधान 1.7.1992 से लागू किए गए थे तथा विगत वर्षों में इन्हें उत्तरोत्तर कठोर

बनाया गया है । 13 महानगरों अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद/सिकंदराबाद, कानुपर, पुणे, सूरत, आगरा, लखनऊ और शोलापुर में चार पहिए वाले वाहनों के लिए भारत स्टेज-IV उत्सर्जन मानक लागू कर दिए गए हैं । शेष भारत में भारत स्टेज-III उत्सर्जन मानक अब लागू हैं । पी यू सी मानकों को 1.10.2004 से कठोर बना दिया गया है ।

1.5.3 मंत्रालय ने पीयूसी मानकों को लागू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2006-07 से प्रदूषण परीक्षण उपस्कर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया । वर्ष 2010-11 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने के लिए 139 स्मोक मीटर और 139 गैस एनालाइजर के लिए कार्यादेश जारी किए गए । वर्ष 2011-12 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को देने के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए की कुल लागत के प्रदूषण परीक्षण उपस्कर प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा है ।

2. राष्ट्रीय डाटा बेस नेटवर्क

(लाख रु में.)

विवरण	बजट प्राक्कलन 2011-12	संशोधित प्राक्कलन 2011-12	बजट प्राक्कलन 2012-13
कंप्यूटर प्रणाली एवं राष्ट्रीय डाटाबेस	4000.00	600.00	2000.00
डाटा संग्रहण, अनुसंधान एवं विकास	1000.00	100.00	4000.00

2.1 कंप्यूटर प्रणाली एवं राष्ट्रीय डाटाबेस

देश में सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण करने तथा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों द्वारा जारी किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण दस्तावेजों में एकरूपता लाने के लिए एक परियोजना तैयार की गई, जो 2001 से लागू है । इस योजना का उद्देश्य सड़क परिवहन क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का समावेश करना है । बैक-एंड कंप्यूटरीकरण का उद्देश्य विद्यमान ड्राइविंग लाइसेंसों, पंजीकरण प्रमाण पत्रों तथा परमिट के ब्योरों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के स्तर पर एक मानकीकृत समान साफ्टवेयर में शामिल करना है जो अनिवार्य रूप से राज्य स्तर पर और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा होगा । फ्रंट-एंड प्रचालन में, परिवहन अनुप्रयोग विनिर्देश के लिए साझा स्मार्ट कार्ड प्रचालन प्रणाली के आधार पर स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना शामिल है ।

2.1.1 केन्द्रीय स्तर पर स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र दोनों के लिए 31.8.2004 को एन आई सी में 'सिमैट्रिक की इंफ्रास्ट्रक्चर' की स्थापना की गई । वाहन (पंजीकरण प्रमाण पत्र) और सारथी (ड्राइविंग लाइसेंस) की पायलट परियोजनाएं सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहले ही लागू कर दी गई हैं । राष्ट्रीय डाटाबेस नेटवर्क की स्कीम में देश में राज्य और केन्द्र स्तर पर सभी आरटीओ कार्यालयों को परस्पर जोड़ने की परिकल्पना की गई है । 31 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में 100% कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। 975 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में से 942 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है । सभी 35 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए राज्य की अपेक्षानुसार मानक साफटवेयर का अनुकूलन कर दिया गया है और यह साफ्टवेयर प्रत्येक राज्य में न्यूनतम पायलट आधार पर चल रहा है । 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में और उनसे जुड़े 890 आरटीओ में 100 % सम्पर्क स्थापित हो गया है ।

2.2 डाटा संग्रहण, अनुसंधान और विकास

2.2.1 परिवहन अनुसंधान पक्ष नीति नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी जैसे उद्देश्यों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विभिन्न पक्षों को डाटा इनपुट और आर्थिक विश्लेषण के रूप में सहायता प्रदान करता है । परिवहन अनुसंधान पक्ष राष्ट्रीय स्तर पर सड़कों, सड़क परिवहन, पत्तनों (समुद्री कार्गो की मात्रा और संघटन, कार्गो हैंडलिंग प्रचालनों के क्षमता संकेतक और पत्तन वित्त आदि), नौवहन, पोत निर्माण और पोत मरम्मत तथा अंतर्देशीय जल परिवहन जैसे क्षेत्रों से संबंधित डाटा और सूचना के संग्रहण, संकलन और वितरण के लिए नोडल एजेंसी है । सड़कों, पत्तनों, नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों से संबंधित परिवहन डाटा के संग्रहण, संकलन और प्रकाशन के अलावा यह पक्ष विभिन्न प्राथमिक/द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त डाटा की सुसंगति और तुलनीयता के लिए इनकी जांच और प्रमाणन का काम भी करता है ।

2.2.2 सड़क और सड़क परिवहन क्षेत्रों के लिए परिवहन अनुसंधान पक्ष द्वारा किसी योजना अथवा गैर-योजनागत स्कीम को लागू नहीं किया जाता है । सड़क और सड़क परिवहन क्षेत्रों को शामिल करते हुए परिवहन अनुसंधान पक्ष द्वारा प्रकाशित प्रमुख प्रकाशन इस प्रकार हैं :-

(i) आधारभूत सड़क सांख्यिकी (बीआरएस) जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों, शहरी सड़कों, ग्रामीण सड़कों और परियोजना सड़कों सहित सड़क नेटवर्क

संबंधी आंकड़े/सूचना दी जाती है । लगभग 280 स्रोत एजेंसियां आंकड़े उपलब्ध कराती हैं जिनका उपयोग आधारभूत सड़क सांख्यिकी के लिए किया जाता है । आधारभूत सड़क सांख्यिकी का नवीनतम अंक जुलाई, 2010 में प्रकाशित किया गया जिसमें मार्च, 2008 की समाप्ति तक के आंकड़े शामिल किए गए हैं ।

(ii) सड़क परिवहन वार्षिकी जिसमें वाहन वर्गीकरण की दृष्टि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल पंजीकृत मोटर वाहनों; बसों के सरकारी और निजी स्वामित्व; सड़क दुर्घटनाओं; मोटर वाहन कराधान एवं किराया ढ़ांचा; वाहन करों, शुल्क से प्राप्त राजस्व आदि से संबंधित ब्योरा दिया गया है । नवीनतम अंक (सड़क परिवहन वार्षिकी 2007-09) में मार्च, 2007 से 2009 में समाप्त वर्ष के आंकड़े शामिल हैं । मार्च, 2010, और मार्च, 2011 में समाप्त होने वाले वर्षों के संबंध में अगला अंक जिसमें पंजीकृत वाहनों का डाटा शामिल है, प्रकाशन के लिए तैयार किया जा रहा है ।

(iii) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा : यह प्रकाशन व्यापक संगठनात्मक वर्गीकरण (राज्य सड़क परिवहन निगम, कंपनियों [कंपनी अधिनियम के तहत निगमित], नगर पालिका उपक्रमों और विभागीय उपक्रमों) के संदर्भ में प्रत्येक राज्य सड़क परिवहन उपक्रम के भौतिक और वित्तीय दोनों प्रकार के कार्य निष्पादन प्रस्तुत करता है । इसके अतिरिक्त, इसमें विभिन्न अभिनिर्धारित मानदंडों के संदर्भ में राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के भौतिक और वित्तीय कार्यनिष्पादन का विवरण भी दिया जाता है । विद्यमान 54 राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों में से लगभग 35 राज्य सड़क परिवहन उपक्रम, अपेक्षित फार्मेट में नियमित आधार पर आंकड़े दे रहे हैं । नवीनतम अंक में, वित्त वर्ष 2010-11 से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं ।

(iv) भारत में सड़क दुर्घटनाएं नामक प्रकाशन में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, सड़क दुर्घटना संबंधी विभिन्न पहलुओं/मानदंडों को शामिल किया जाता है जिनमें दुर्घटनाओं के कारण भी शामिल हैं । मार्च, 2011 में परिवहन अनुसंधान प्रभाग द्वारा 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं : 2009' नामक नवीनतम अंक प्रकाशित किया गया जिसमें वर्ष 2009 के सड़क दुर्घटना के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है । 'भारत में सड़क दुर्घटनाए – 2010' नामक आगामी अंक जिसमें कैलेंडर वर्ष 2009 के आंकड़े शामिल हैं, के प्रकाशन पर कार्य चल रहा है और यह दिसम्बर, 2011 में प्रकाशित हो जाएगा । ये आंकड़े, एशिया प्रशांत सड़क दुर्घटना डाटाबेस (एपीआरएडी) - भारतीय सड़क दुर्घटना डाटाबेस (आईआरएडी) से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एशिया और प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा प्रायोजित परियोजना के 19 मदों वाले फार्मेट में

एकत्र किए जाते हैं ।

3 निरीक्षण एवं अनुरक्षण केन्द्र की स्थापना

(लाख रु.)

बजट प्राक्कलन 2011-12	संशोधित प्राक्कलन 2011-12	बजट प्राक्कलन (2012-2013)
8400.00	1400.00	9000.00

3.1 मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 59 के अंतर्गत, केन्द्र सरकार के पास अलग-अलग श्रेणियों के मोटर वाहनों की आयु निर्धारित करने का अधिकार है । तथापि, अभी तक इस धारा का प्रयोग नहीं किया गया है । केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 82 और 88 के अंतर्गत, केवल पर्यटक परमिट और राष्ट्रीय परमिट के उद्देश्य हेतु वाहनों की कतिपय श्रेणियों की 'आयु' निर्धारित की गई है । इस मंत्रालय का विचार यह रहा है कि बेहतर रूप से अनुरक्षित पुराना वाहन भी बदतर रूप से अनुरक्षित अपेक्षाकृत नए वाहन से कम प्रदूषणकारी हो सकता है । कोई भी वाहन सड़क पर तब तक चल सकता है जब तक वह मोटर यान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 की सुरक्षा, उत्सर्जन और फिटनेस (उपयुक्तता) मानकों से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करता है । देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी वाहन की आयु निर्धारित करना उचित नहीं होगा ।

3.2 प्रत्येक परिवहन वाहन को प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से दो वर्ष बाद प्रत्येक वर्ष उपयुक्तता जांच करानी होती है । गैर परिवहन वाहन को एक बार पंजीकृत हो जाने के बाद 15 वर्ष तक उपयुक्तता जांच की आवश्यकता नहीं है । अत: मंत्रालय का यह सुविचारित मत है कि उत्सर्जन तथा सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों की पहचान करने के लिए निरीक्षण एवं अनुरक्षण की समुचित प्रणाली को अवश्य लागू किया जाना चाहिए । सार्वजनिक निजी भागीदारी से विभिन्न राज्यों में ऐसे निरीक्षण एवं अनुरक्षण केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता होगी । आटोमेटिड निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्र के एक माडल का डिजाइन तैयार किया गया था और पायलट आधार पर 10 राज्यों में ऐसा एक केन्द्र स्थापित किए जाने की स्कीम अनुमोदित की गई थी । नौ माडल आटोमेटिड निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्र पहले ही संस्वीकृत किए जा चुके हैं और उनमें से कुछ पहले ही कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं । वर्ष 2012-13 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत 90.00 करोड़ रूपए के आवंटन का प्रस्ताव किया गया

है ।

4. जीपीएस आधारित स्वचालित किराया वसूली जैसी सूचना प्रौद्योगिकी लागू करने सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना :

(लाख रुपए में)

बजट प्राक्कलन 2011-12	संशोधित प्राक्कलन 2011-2012	बजट प्राक्कलन 2012-2013
4000.00	2000.00	3000.00

4.1 विगत वर्षों में सार्वजनिक परिवहन में आई कमी, हमारे परिवहन नियोजन की विफलताओं में से एक है । वाहनों के कुल बेड़े में बसों का हिस्सा वर्ष 1951 के 11% से अधिक की तुलना में घटकर वर्ष 2006 में 1.1% रह गया है । इससे निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप भीड़-भाड़ ,प्रदूषण और दुर्घटनाओं जैसे प्रतिकूल परिणाम सामने आए हैं । इसके अलावा ,इस स्थिति से विषमता भी पैदा होती है क्योंकि गरीब व्यक्ति परिवहन सेवाओं से वंचित हो जाते हैं । इस स्थिति को बदले जाने की आवश्यकता है । 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीपीएस आधारित स्वचालित किराया वसूली प्रणाली जैसी सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने सहित अपनी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से केन्द्रीय स्तर पर प्रावधान किए गए हैं । तथापि, ऐसी वित्तीय सहायता उन्हीं राज्यों को दी जाएगी जो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार करने के लिए उपाय करने के लिए तत्पर होंगे । यह योजना सरकार द्वारा मार्च 2010 , में अनुमोदित की गई थी और इसे 15.3.2010 से लागू किया गया था । आगामी वर्ष में संस्वीकृत किए जाने वाले प्रस्तावों की संभावित संख्या के मद्देनजर वर्ष 2012-13 के दौरान इस उद्देश्य हेतु 30 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है ।

5. XIIवीं योजना की नई स्कीमें

5.1 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का सृजन

(लाख रुपए में)

बजट प्राक्कलन 2011-12	संशोधित प्राक्कलन 2011-12	बजट प्राक्कलन 2012-2013
100.00	0.00	485.00

5.1.1 इस मंत्रालय ने पहले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबन्धन बोर्ड की

स्थापना के लिए दिनांक 4.5.2010 को राज्य सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया था । तथापि, स्थायी समिति ने विधेयक को इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया कि मौजूदा विधेयक को वापिस लिया जाए और सरकार सड़क सुरक्षा के सम्पूर्ण आयाम का समाधान करने वाला समग्र परिप्रेक्ष्य में एक व्यापक विधायन प्रस्तुत करे ।

5.1.2 स्थायी समिति की टिप्पणियों के मद्देनजर इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अब केन्द्र में एक सड़क सुरक्षा निदेशालय स्थपित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है । इस निदेशालय के पास चालक अथवा सवार को अनुचित खतरा पहुंचाने वाले वाहनों को बरखास्त करने की भी शक्ति होगी । साथ ही, इसी प्रकार के तंत्र की आवश्यकता राज्य सड़क परिषदों और जिला सड़क सुरक्षा परिषदों के माध्यम से राज्य स्तर पर भी होगी ।

5.2 सड़क क्षेत्र के संबंध में दुर्घटना आंकडों का संग्रहण और मूल्यांकन

5.2.1 राज्य स्तर पर पेशेवर संगठनों और आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय की सहायता से एनएसएसओ द्वारा विस्तृत किए जाने को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है । साथ ही, आंकड़ों के कम्प्यूटरीकृत और इलेक्ट्रोनिक अंतरण को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है । सड़क परिवहन द्वारा माल ढोने, सड़क परिवहन द्वारा यात्रियों के आवागमन यात्री सर्वेक्षण, ट्रकिंग उद्योग और टाइम गति सर्वेक्षणों के आयामों को अपनाने वालों को शामिल किए जाने के लिए पंचवर्षीय डाटा संग्रहण का प्रस्ताव किया गया है ।

5.3 उत्कृष्टता केन्द्र

5.3.1 सड़क सुरक्षा मुद्दों पर ज्ञान आधार में वृद्धि किए जाने के लिए सुरक्षा अनुसंधान में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लिए मंत्रालय द्वारा 6 उत्कृष्टता केन्द्रों को मान्यता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है । प्रत्येक उत्कृष्टता केन्द्र के लिए 6.5 करोड़ रूपए वार्षिक का प्रस्ताव किया गया है और कुल आवंटन 39.00 करोड़ रूपए वार्षिक है । 1.5 करोड़ रूपए की वार्षिक लागत पर इन उत्कृष्टता केन्द्रों और आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस, राज्य प्रशिक्षण संस्थान, सड़क अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय निर्माण अकादमी, आईएएचआई जैसी प्रमुख संस्थाओं के माध्यम से सड़क सुरक्षा में अनुसंधान अध्ययन और एम फिल, पीएचडी, पोस्ट डोक्टोरल और फेलोशिप कार्यक्रम प्रायोजित किए जाने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सहयोग किए जाने का प्रस्ताव किया गया है ।

5.4 चालन प्रशिक्षण अनुदेशकों का प्रशिक्षण

(लाख रूपए)

12वीं योजना (2012-17) (प्रस्तावित)	वार्षिक योजना (2012-13)
750.00	150.00

5.4.1 यह परिकल्पना की गई है कि आईडीटीआर/चालन प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रति वर्ष 5,000 चालन प्रशिक्षण अनुदेशकों को प्रशिक्षित किया जाएगा । इसके पश्चात नए आवेदकों की परीक्षा आयोजित करने एवं नए ड्राइविंग लाईसेन्सों का नवीकरण करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अर्हक और विधिवत रूप से प्रमाणित प्रशिक्षकों को प्राधिकृत किया जाएगा । 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3,000 रूपए प्रति प्रशिक्षु के हिसाब से 1.50 करोड़ रूपए वार्षिक का आवंटन किए जाने का प्रस्ताव है । कुल आवश्यकता : 7.5 करोड़ रूपए ।

5.5 सड़क सुरक्षा के संबंध में इंजीनियरों का प्रशिक्षण

(लाख रूपए)

12वीं योजना (2012-17) (प्रस्तावित)	वार्षिक योजना (2012-13)
75.00	15.00

5.5.1 प्रति वर्ष आईएएचई के माध्यम से सड़क सुरक्षा इंजीयरी के संबंध में मानक प्रशिक्षण माड्यूलों में 500 सिविल इंजीनियरों के क्लाइंटों, परामर्शदाता और ठेकेदारों को प्रशिक्षित किया जाना। 500 इंजीनियरों के प्रशिक्षण् के लिए 15,000 रूपए के हिसाब से वार्षिक आवश्यकता 0.15 करोड़ रूपए है।

5.6 प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षण

(लाख रूपए)

12वीं योजना (2012-17) (प्रस्तावित)	वार्षिक योजना (2012-13)
1500.00	300.00

5.6.1 ट्रक, बस ड्राइवरों को मूलभूत प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित किया जाना और आल एम्बूलेंस सर्विस कार्मिक, पथकर बूथ प्रचालकों और कार्मिकों को मेरूदंड और सिर की चोट के लिए प्राथमिक उपचार और ट्रामा केयर में प्रशिक्षित किया जाना । इसका आयोजन मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों के माध्यम से किया जाएगा । मेरूदंड और सिर की चोट में प्राथमिक चिकित्सा के लिए विशेषज्ञ अस्पतालों को विस्तृत मानकीकृत प्रशिक्षण पाठयक्रम में प्रशिक्षत किया जाएगा । 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 करोड़ रूपए वार्षिक के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है, एक हजार रूपए प्रति प्रशिक्षु की दर से 20,000 कार्मिकों के लिए मूलभूत प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण हेतु 2

करोड़ रूपए और 1,000 रूपए प्रति प्रशिक्षु की दर पर प्राथमिक चिकित्सा मेरूदंड और सिर की चोट के लिए 5,000 प्रशिक्षु । कुल आवश्यकता : (15.00 करोड़ रूपए)

5.7 सड़क सुरक्षा संपरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण

(लाख रूपए)

12वीं योजना (2012-17) (प्रस्तावित)	वार्षिक योजना (2012-13)
250.00	50.00

5.7.1 आईआरएफ, एआरआरबी और सीआरआरआई द्वारा संचालित चालू पाठ्यक्रमों की समीक्षा पर आधारित मानकीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु विकसित करके इन संस्थानों के माध्यम से सड़क सुरक्षा संपरीखा और प्रशिक्षण के लिए क्षमता निर्माण किया जाना ।

5.8 सड़क सुरक्षा निधि

(लाख रूपए)

12वीं योजना (2012-17) (प्रस्तावित)	वार्षिक योजना (2012-13)
9000.00	1000.00

5.8.1 सुन्दर समिति ने रिपोर्ट सृजित किए जाने की सिफारिश की है । सभी राज्यों के लिए यह अपेक्षित होगा कि वे विभिन्न सड़क सुरक्षा कार्यकलापों, सड़क सुरक्षा उपकरणों के प्रापण, दुर्घटना पीड़ितों को आपात चिकित्सा संबंधी प्रशिक्षण दिए जाने के लिए एक सड़क सुरक्षा निधि का सृजन करेंगे । 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की वाहन आबादी के आधार पर प्रत्येक राज्य को 1 से 5 करोड़ रूपए तक की एक बारगी मानांकित पूंजी उपलब्ध कराएगा । मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत गतिविधियों के माध्यम से संग्रहित में से 50% राशि गैर-व्ययगत सड़क सुरक्षा निधि में शामिल की जाएगी जिसका इस्तेमाल राजय सड़क सुरक्षा परिषद् और जिला सड़क सुरक्षा समितियों द्वारा यथा अनुमोदित क्षेत्र विशिष्ट सड़क सुरक्षा कार्यकलापों के लिए किया जाएगा । पांच वर्षो में राज्यों की सुरक्षा निधि आत्मपोषी हो जाएगी जिससे 12वीं योजना अवधि के बाद केन्द्रीय सहायता की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

5.9 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी)

(लाख रूपए)

12वीं योजना (2012-17) (प्रस्तावित)	वार्षिक योजना (2012-13)

5000.00	100.00

5.9.1 मुआवजा-दावों के न्याय निर्णयन हेतु राज्य सरकारें मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत एमएसीटी स्थापित करने के लिए शक्ति सम्पन्न हैं । विधि और न्याय मंत्रालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को एमएसीटी गठित किए जाने के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान करने का परामर्श दिया है । वर्ष 2012-13 के लिए लक्षित परिव्यय/परिणामी बजट **अनुलग्नक** में दिया गया है ।

<u>निगरानी तंत्र</u>

सड़क परिवहन क्षेत्र की योजनाओं पर निगरानी रखने के लिए एक अंतरर्निहित तंत्र विद्यमान है । की गई कार्रवाई संबंधी अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही सड़क सुरक्षा योजना के अंतर्गत भुगतान राशि जारी की जाती है । केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान को आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना के काम की निगरानी, पर्यवेक्षण करने और तकनीकी सहायता देने के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है । संस्थान की रिपोर्टों के आधार पर ही दूसरी और उसके बाद की किश्तें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/संगठनों को जारी की जाती हैं ।

अनुलग्नक-II

(करोड रूपए में)

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2012-13 (प्रस्तावित)	परिमाणात्मक लक्ष्य/भौतिक निर्गम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	सड़क सुरक्षा						
	(i)असंगठित क्षेत्र में चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास।	गैर सरकारी संगठनों/ संस्थानों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के भारी मोटर वाहनों के चालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और राज्य परिवहन विभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना	84.00	प्रशिक्षित किए जाने वाले चालकों की संख्या और राज्य परिवहन विभाग /मंत्रालय के अधिकारियों के लिए संचालित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	(i) असंगठित क्षेत्र में 100000 भारी मोटर वाहनों के चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाना । (ii) परिवहन विभाग के अधिकारियों के लिए 25 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाने हैं । (iii) पीपीपी आधार पर 12 आईडीटीआर संस्वीकृत किए जाने हैं ।	वार्षिक	यह, संगठनों से प्रस्ताव समय पर प्राप्त होने पर निर्भर करता है ।

	(ii) प्रचार उपाय तथा जागरुकता अभियान	रेडियो, टीवी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान द्वारा जन जागरूकता पैदा करना।	75.00	टीवी/रेडियो पर प्रसारित की जाने वाली वीडियो/रेडियो झलकियों की संख्या	20000 वीडियो झलकियां तथा 10000 रेडियो झलकियां प्रसारित की जानी हैं । इसके अलावा, सड़क सुरक्षा पर समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिए जाने हैं । पुलिस/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन विभागों, 15 हजार स्कूलों आदि में प्रचार सामग्री बांटी जानी है । एसएमएस, सिनेमा हॉल, इंटरनेट, होर्डिंग आदि के माध्यम से विज्ञापन किया जाएगा ।	वार्षिक	यह, डीएवीपी की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है ।
	(iii) सड़क सुरक्षा उपस्कर और प्रदूषण जांच व नियंत्रण	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इंटरसेप्टर और प्रदूषण जांच उपस्कर जैसे सड़क सुरक्षा उपस्कर प्रदान करना ।	10.00	बहुद्देश्यीय यातायात वाहन (एमटीवी) प्रदान करने की योजना बंद कर दी गई है और इसके स्थान पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का विभिन्न यातायात प्रवर्तन उपस्करों जैसे कि स्पीड डिटेक्शन रडार और ब्रेथ एनालाइजर आदि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है ।	300 स्मोक मीटर और 300 गैस एनालाइजर अर्थात् प्रदूषण जांच उपस्करों को संस्वीकृत किया जाना है । 50 इंटरसेप्टराष्ट्रीय राजमार्ग संस्वीकृत किए जाने हैं ।	वार्षिक	समीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रापण किया जाएगा ।

	(iv) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना	राज्य सरकारों/ गैर सरकारी संगठनों को क्रेन और एंबुलेंस प्रदान करना । इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को उचित समय सीमा के अंदर चिकित्सा सहायता प्रदान करना है ताकि समय की अधिक बर्बादी न हो और यातायात का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए दुर्घटना स्थल को साफ किया जा सके ।	30.00	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की जाने वाली क्रेनों/एंबुलेंसों की संख्या	40 क्रेन, 70 एम्बुलेंस और छोटी/मध्यम आकार की 40 क्रेन प्रदान की जानी हैं ।	वार्षिक	राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों/गैर सरकारी संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त होने हैं ।
2.	**राष्ट्रीय डाटा बेस नेटवर्क**						
	(i) कंप्यूटर प्रणाली और राष्ट्रीय डाटा बेस	मोटर वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के बारे में मानकीकृत अद्यतन सूचना तैयार करना और सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों/ राज्य परिवहन प्राधिकरणों की नेटवर्किंग	20.00	परिमाणात्मक लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किए जा सकते ।	लागू नहीं ।	-	राज्य सरकारों की तत्परता चाहिए ।

	(ii) समस्त इंजीनियरी समाधान सहित डाटा संगहण, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन अध्ययन	सड़क परिवहन क्षेत्र से संबंधित अध्ययन कार्य/अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू किया जाना/सौंपना	40.00	शुरू किए जाने वाले अध्ययन कार्यों/अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या	अनेक प्रायोजित अध्ययन कार्य/ अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू की जानी हैं	वार्षिक	निविदादाताओं से प्रतिक्रिया
3	निरीक्षण और प्रमाणीकरण केन्द्रों की स्थापना	सार्वजनिक निजी भागीदारी से निरीक्षण और प्रमाणीकरण केन्द्रों की स्थापना करना ।	90.00	संस्वीकृत किए जाने वाले केन्द्रों की संख्या	.... केन्द्र संस्वीकृत किए जाने हैं	वार्षिक	राज्यों/अन्य संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त होने हैं ।
4.	जीपीएस आधारित स्वचालित किराया वसूली प्रणाली जैसी सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना ।	सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना ।	30.00		राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 10 प्रस्ताव संस्वीकृत किए जाने हैं ।	वार्षिक	केन्द्र/राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने हैं । राज्यों द्वारा सुधार किए जाने हैं ।
5	**नई स्कीमें**						
	राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा निदेशालय और इसी प्रकार तंत्र की	सड़क सुरक्षा निदेशालय की स्थापना करना		12 केन्द्र संस्वीकृत किए जाने हैं	12 केन्द्र संस्वीकृत किए जाने हैं	वार्षिक	राज्यों/अन्य संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त होने हैं

	स्थापना करना						
	(ii) दुर्घटना डाटा संग्रहण एवं मूल्यांकन (टीएन मॉडल)			राज्यों को मॉडल अपनाने के लिए कहा जाएगा ।	राज्यों को मॉडल अपनाने के लिए कहा जाएगा ।	वार्षिक	केन्द्र/राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने हैं । राज्यों द्वारा सुधार किए जाने हैं
	iii) उत्कृष्ता केन्द्र	सड़क सुरक्षा मुद्दों के संबंध में ज्ञान बढ़ाने के लिए सुरक्षा अनुसंधान में अग्रिम प्रशिक्षण प्रदान करना ।	4.85	6 उत्कृष्ता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे ।	6 उत्कृष्ता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे ।	-	मंत्रिमंडल का अनुमोदन अपेक्षित होगा
	(iv) चालन प्रशिक्षण अनुदेशकों का प्रशिक्षण	आईडीटीआर/चालन प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण अनुदेशकों को प्रशिक्षित किया जाना है ।	1.50	चालन प्रशिक्षण अनुदेशकों को प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षित किया जाना होता है ।	5,000 चालन प्रशिक्षण अनुदेशकों को प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षित किया जाना होता है ।	वार्षिक	
	(v) सड़क सुरक्षा संबंधी इंजीनियरों का प्रशिक्षण	क्लाइटों, परामर्शदाताओं और ठेकेदारों के सिविल इंजीनियरों को आईएएचई के माध्यम से सड़क सुरक्षा संबंधी मानक प्रशिक्षण मॉड्यूल के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना है ।	0.15	क्लाइटों, परामर्शदाताओं और ठेकेदारों के सिविल इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया जाएगा ।	500 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाना है ।	वार्षिक	
	(vi)प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षण	ट्रक, बस चालकों को प्राथमिक चिकित्सा में	3.00	4000 व्यक्तियों को आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा के लिए 1000 व्यक्तियों को	4000 व्यक्तियों को आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा के लिए	**वार्षिक**	

		प्रशिक्षण दिया जाना है और सभी एम्बुलेंस सेवा के कार्मिकों, पथकर बूथ प्रचालकों तथा उसके कार्मिकों को रीढ़ की हड्डी और सिर की चोटों के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण दिया जाना है ।		रीढ़ की हड्डी और सिर की चोटों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ।	1000 व्यक्तियों को रीढ़ की हड्डी और सिर की चोटों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ।		
	(vii) सड़क सुरक्षा संपरीक्षकों का प्रशिक्षण	सड़क सुरक्षा संपरीक्षा के लिए क्षमता निर्माण और मानकीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करके प्रशिक्षण	0.50	चुनिंदा प्रशिक्षण संस्थाएं	सड़क सुरक्षा संपरीक्षा में प्रशिक्षित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या	**वार्षिक**	
	सड़क सुरक्षा निधि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की वाहन आबादी के आधार पर प्रत्येक राज्य को 1 करोड़ रूपए से 5.00 करोड़ रूपए तक की एकबारगी बीज पूंजी उपलब्ध कराना । मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत कार्यों द्वारा संग्रहीत जमा राशि का 50% भाग, इस असमाप्य सड़क सुरक्षा	10.00	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वार्षिक**	निधि के सृजन के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने हैं और वार्षिकी आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केंन्द्रीय मोटर यान नियमावली के अंतर्गत संग्रहीत शास्तियों का 50% हिस्सा राज्य सड़क सुरक्षा निधि में डायवर्ट किया जाना ।

		निधि में जमा कर दी जाएगी जिसका उपयोग राज्य सड़क सुरक्षा परिषद तथा जिला सड़क सुरक्षा परिषदों द्वारा यथा अनुमोदित ऐसे क्षेत्र विशिष्ट सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए किया जाना है ।					
	अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता	दुर्घटनाओं जिनमें मोटर वाहन के प्रयोग से मृत्यु हुई हो अथवा चोट पहुंची हो, के संबंध में मुआवजा दावों के अधिनिर्णय करने के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की स्थापना किया जाना ताकि राज्यों द्वारा अधिक दावा अधिकरणों की स्थापना की जा सके ।	1.00	इस चरण पर मात्रा निर्धारित नही की जा सकती ।	मात्रा निर्धारित नही की जा सकती	**वार्षिक**	राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हैं; मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में लंबित मामलों पर उनकी प्राथमिकता निश्चित की जानी है ।
			400.00				

अध्याय-III

मंत्रालय द्वारा किए गए सुधार उपाय और नीतिगत पहल का प्रभाव

1. सड़क पक्ष

व्यापक समीक्षा से पता चलता है कि लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि में कमी रही है; यह कमी, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृतियों, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृतियों, कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं, पुनर्वास तथा बंदोबस्त संबंधी मुद्दों के कारण हुए विलंब और कुछ मामले में ठेकेदार के अल्प कार्य निष्पादन के कारण आई है । सरकार ने राजमार्ग परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

2. भूमि अधिग्रहण

नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जो विभिन्न मुद्दों जिनमें राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर प्रभावी समन्वय स्थापित करना अपेक्षित है, के बारे में आवधिक समन्वय करते हैं । इसके अलावा, वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण में तेजी लाकर और कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं को कम करके कार्य की प्रगति तीव्रतर की जाए । इस विभाग को विधि मंत्रालय से परामर्श किए बिना राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचनाएं जारी करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है ।

3. पर्यावरणीय और वन संबंधित स्वीकृति

पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित मुद्दों को उठाया गया है जिनमें यह प्रस्ताव किया गया कि आर ओ डब्ल्यू के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली 60 मीटर तक की चौड़ाई की भूमि जो राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहीत की जानी है, के मामले में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित न हो । इसके अलावा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पर्यावरणीय स्वीकृतियों के बारे में एकरूप नीतिगत दिशानिर्देश सुझाए गए हैं ।

4. आर ओ बी स्वीकृति

- रेलवे से आर ओ बी/आर यू बी की शीघ्र स्वीकृति हेतु, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और संबंधित रेलवे मंडल द्वारा नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं ।
- जोनल स्तर पर विभिन्न लंबित स्वीकृतियों की समीक्षा के लिए समय समय पर

बैठकें की जाती हैं ।

- आर ओ बी निर्माण के लिए स्वीकृति की प्रगति की समीक्षा के लिए रेलवे बोर्ड के स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की भी समय समय पर बैठकें की जाती हैं ।
- आर ओ बी के निर्माण में तेजी लाए जाने के लिए रेलवे बोर्ड के सुझाव पर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लागत जमा आधार पर आर ओ बी के निर्माण के लिए इरकॉन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।
- रेलवे बोर्ड द्वारा इरकॉन को जनरल एरेंजमेंट ड्राइंग को छोड़कर निर्माण के विभिन्न स्तरों पर डिजाइनों को अनुमोदित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ।

5. ठेकेदारों द्वारा अल्प कार्य निष्पादन

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कार्य निष्पादित न करने वाले (नॉन पर्फोर्मिंग) ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग पर कुछ ठेकेदारों के ठेके रद्द किए हैं ।

6. एन एच डी पी के तीव्र कार्यान्वयन के लिए 2011-12 के दौरान (09 फरवरी, 2012 तक) सरकार द्वारा उठाए गए नवीनतम कदम:-

6.1 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से स्पष्ट प्रभाव लाने के लिए मंत्रालय ने प्रक्रियागत मुद्दों जो अवसरंचना की वाछिंत प्रगति में अवरोधक और बड़ी बाधाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं, को दूर करने के लिए इन पर निशाना साधा है ।

6.2 गत वर्ष किए गए नीतिगत प्रयासों के अलावा इस वर्ष के दौरान की गई नवीन पहलें निम्नलिखित हैं :-

6.2.1 वर्ष 2012 के लिए भारतीय उद्योग संघ और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का एक संयुक्त कार्यदल गठित किया गया है ।

6.2.1 (i) इस कार्यदल का मुख्य उद्देश्य नीति निर्माण, उपयुक्त विनियामक तंत्र के चरण पर प्राइवेट सेक्टर की वृहत और स्वस्थ भागीदारी सुकर बनाने के लिए और कार्यान्वयन स्तर पर मुद्दों का समाधान शीघ्रता से किए जाने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाने के अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों में निवेश सुगम बनाने और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में सुधार किए जाने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना होगा ।

6.2.1 (ii) यह कार्यदल सभी पणधारियों-निवेशकों, उधारदाताओं, सड़क प्रयोक्ताओं और सरकार

की चिंताओं का समाधान करेगा ।

6.2.1 (iii) यह कार्यदल विशिष्ट सड़क सुरक्षा मुद्दों का भी समाधान करेगा और सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सुरक्षा मानकों में सुधार करने और उन्हें प्रचालनात्मक बनाने के उपायों का भी सुझाव देगा ।

6.2.2 विवाद समाधान तंत्र संबंधी श्री बी.के. चतुर्वेदी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित मामले को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बोर्ड और मंत्रियों के अधिकार प्राप्त ग्रुप द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है । इस संबंध में लंबित विवादों का एकबारगी समाधान किए जाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ ग्रुप गठित किया गया है ।

6.3 प्रतिदिन 20 कि.मी. सड़क बनाए जाने और इस लक्ष्य को हासिल किए जाने के प्रयास के संबंध में कार्य किए जाने के लिए इस मंत्रालय ने वर्ष 2011-12 के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है जिसमें लगभग 7,994 कि.मी. लंबाई की 60 परियोजनाओं को शामिल किया गया है ।

6.4. चालू वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान (9.2.2012 की स्थिति के अनुसार) अभी तक, 4,691 किमी. लंबाई की 34 परियोजनाएं 43,566.92 करोड़ रुपए की लागत पर सौंप दी गई हैं ।

6.5. 333 किमी. लंबाई की लगभग 2,104 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 परियोजनाओं के लिए निविदाएं प्राप्त हो गई हैं ।

6.6. इनके अलावा, 856 किमी. लंबाई की लगभग 7,206 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 परियोजनाओं के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की गई हैं ।

6.7. इसके अतिरिक्त, 358 किमी. लंबाई वाली 4 परियोजनाएं जिनके लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं ।

6.8. 1732 कि.मी. लंबाई वाली 16,433 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं के प्रस्तावों को यथास्थिति सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति/स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है ।

10. की गई मुख्य पहलें

(i) पारदर्शिता और दत्तरदायित्व में सुधार किए जाने के लिए मंत्रालय ने जुलाई, 2011 से बी ओ टी सहित सभी परियोजनाओं के लिए ई-प्रोक्योरमेंट और ई-टेंडरिंग प्रारंभ की है ।

(ii) मंत्रालय के जन-शिकायत समाधान तंत्र को फेसबुक (राजमार्ग/179136175451970 पर उपलब्ध) जैसी यूजर-फ्रेंडली सोशल नेटवर्किंग साइट की सहायता से परस्पर सक्रिय किया गया है ।

<u>प्रायोगिक आधार पर परिवहन हब की स्थापना</u>

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलमगरा (राजसमंद) पर प्रति केन्द्र में दो परियोजनाओं अर्थात् चालन प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर) और निरीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्रों की स्थापना, को क्रमश: 14.00 करोड़ रूपए और 14.40 करोड़ रूपए की लागत से कार्यान्वित कर रहा है । इन परियोजनाओं के लिए भूमि, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा अभिनिर्धारित कर दी गई है और आशा है कि यह कार्य उन निजी भागीदारियों की सहायता से शीघ्र ही शुरू हो जाएगा जो इन केन्द्रों के प्रचालन संबंधी मुद्दों पर भी ध्यान देंगे।

आशा है कि इन परियोजनाओं के वर्ष 2013 तक कार्य शुरू करने के बाद, उपर्युक्त परियोजनाएं, रेलमगरा (राजसमंद) के एक परिवहन हब के रूप में उदय के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगी । इन केन्द्रों का परिवहन हब के रूप में उभरना सुकर बनाने के लिए, मुद्दों पर मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम), परिवहन घटकों के विनिर्माताओं, परिवहन लोजिस्ट आपूतिकर्ताओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आदि सहित परिवहन क्षेत्र में सभी बड़े खिलाड़ियों के साथ माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) के साथ विचार-विमर्श किया गया ताकि वे अपना समर्थन दे सकें और परिवहन हब के कार्यकलापों में स्थानीय बेरोजगार युवकों को शामिल कर सकें । राजस्थान राज्य सरकार सहित सभी हितधारियों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी और परियोजना के भावी निर्माण के लिए अपना फीडबैक देने का आश्वासन दिया ।

<u>12वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किए जाने वाला अंतर्राज्यीय जांच चौकियों की स्थापना का कार्य</u>

माल को ले जाने के लिए स्वीकृतियां प्राप्त करने में टिपिकल ट्रक प्रचालकों को पेश आ रही कठिनाईयों और विभिन्न जांच चौकियों पर अनेक एजेंसियों को कतिपय प्रभारों के भुगतान किए जाने, जिसके कारण वाहन को एक से अधिक बार रोका जाता है जिससे वाहन की गति धीमी होती है, समय की बर्बादी होती है, ईंधन की अधिक खपत होती है तथा उनकी परिचालन व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । इससे भारत में एक

साझा बाजार का गठन विफल हो गया है ।

राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर ऑनलाइन संचार नेटवर्क प्रणालियों के माध्यम से टैग प्रशासन को अंतर्राज्यीय सड़क भाड़े तथा यात्री आवागमन के साथ एकीकृत करने से राज्यों की सीमाओं पर यातायात को सीमारहित और दस्तावेज रहित बनाने की दिशा में एक कदम होगा जिससे न केवल माल एवं यात्री वाहनों में वृद्धि होगी अपितु अर्थव्यवस्था के लिए लेन-देन की लागत तथा समग्र लोजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी । 'वाहन' तथा 'सारथी' प्लेटफॉर्म, जिनका प्रयोग इस समय राष्ट्रीय परमिट योजना के लिए किया जा रहा है, का उपयोग एकल गंतव्य वाले माल की आवाजाही, जिसमें कुल प्रेषित माल का एक बड़ा हिस्सा होता है तथा ऐसी भी संभावना है कि कंटेनरों द्वारा परिवहन में और वद्धि होगी, के लिए 'ग्रीन चैनल' के लिए किया जा सकता है ।

देश में कुल 177 अंतर्राज्यीय जांच चौकियां हैं । सरकार अब, करों तथा माल की जांच करने से संबंधित सभी अधिकारियों को एकीकृत करके मूल जांच चौकी पर तथा सीमा जांच चौकी पर सभी अधिकृत प्रभारों के लिए 12वीं योजना में 'एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली' विकसित करने पर विचार कर रही है । आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्य सरकारों की स्वचालन और कम्प्यूटरीकरण के प्रति दृष्टिकोण जिसके परिणामस्वरूप गुजरात में वाहनों की 100% जांच संभव हो पाई है तथा राजस्व में चार गुना से अधिक वृद्धि हुई है, को फिर से अपनाए जाने पर विचार किया जा रहा है । 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह प्रस्ताव है कि स्वर्णिम चतुर्भुज तथा उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम मार्गों पर अंतर्राज्यीय जांच चौकियों का कार्य, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वित्तपोषण से शुरू किया जाए ।

<u>ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने की योजना तैयार करना</u>

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, दीर्घकालिक अवधि के लिए पीपीपी मॉडल पर राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए योजना तैयार करने पर विचार कर रही है । प्रस्तावित योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना में निधियों के आबंटन के लिए योजना आयोग के साथ मिलकर शुरू की जाएगी ।

अध्याय-IV

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान कार्य निष्पादन की समीक्षा

1. सड़क पक्ष

योजना-वार भौतिक कार्य निष्पादन

1.1 राष्ट्रीय राजमार्ग :-

(आई ई बी आर सहित करोड़ रु.)

2010-11 (योजना)		2011-12		2012-13 (योजना)
ब.प्रा.	सं.प्रा.	ब.प्रा.	सं.प्रा.	ब.प्रा.
25,155.00	25,465.00	27,100.00	32,457.00	32,600.00

वर्ष 2011-12 के दौरान जारी कार्यों और नए कार्यों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के विकास के लिए संशोधित प्राक्कलन स्तर पर बजट प्रावधान 32,457.00 करोड़ रु है । इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निवेश के रूप में दी गई धनराशि भी शामिल है।

1.2 राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग

एन एच डी पी के विभिन्न चरणों के अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के अलावा, लगभग 43,032 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनको बजट धनराशि में से उपलब्ध निधियों से विकसित/अनुरक्षित किया जा रहा है । राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न विकास कार्य शुरू किए गए हैं जिनमें सड़क गुणता सुधार, चार और छह लेन बनाने का कार्य, सुदृढ़ीकरण, बाइपासों का निर्माण और पुलों का पुनर्निर्माण/निर्माण आदि कार्य शामिल हैं । वर्ष 2011-12 के दौरान, दिसंबर, 2011 तक कुल 1569 करोड़ रु. की लागत के नए प्रस्ताव संस्वीकृत किए गए हैं । दिसंबर, 2011 तक कुल 477 कि.मी. एकल लेन वाली सड़कों को दो लेन का बनाया गया है, 448 कि.मी. के सुदृढ़ीकरण कार्यों और 67 पुलों के पुनर्निर्माण/निर्माण के कार्यों को पूरा कर लिया गया है । प्रमुख परियोजनाओं के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :

1.2.1 31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार, राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यान्वयन के अंतर्गत 20 करोड़ रु. से अधिक लागत वाली प्रमुख चालू परियोजनाएं:-

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान मंत्रालय द्वारा राज्य लोक निर्माण विभाग/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जरिए कार्यान्वित करवाई जा रही 20 करोड़ रु. या इससे अधिक की

लागत वाली कुल 117 परियोजनाएं (गैर-एनएचडीपी) हैं जिनकी कुल लागत 7,972.97 करोड़ रु. है । परियोजनाओं की लागत, प्राप्त परिणाम, प्रगति की वर्तमान स्थिति और भावी योजनाएं तथा लक्ष्यों के ब्योरे **अनुलग्नक-IV** में दिए गए हैं ।

1.2.2. अनुरक्षण और मरम्मत :-

(करोड़ रु. में)

2010-11				2011-12				2012-13
ब.प्रा.		सं.प्रा.		ब.प्रा.		सं.प्रा.		ब.प्रा.
योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	गैर योजना
-	1032.86	-	1989.46	-	983.25	-	1272.40	1928.03

इस शीर्ष के अंतर्गत पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के संरक्षण और उचित रख-रखाव के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं । विगत 6 दशकों के दौरान भारतीय सड़कों पर यातायात की मात्रा में असाधारण वृद्धि हुई है । 1950-51 से कुल मालभाड़ा यातायात में सड़क क्षेत्र का हिस्सा 13.8% से बढ़कर 62.9% हो गया है जबकि यात्री यातायात में यह 15.4% से बढ़कर 90.2% हो गया है । तथापि, सड़क नेटवर्क और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के व्यापक होने के साथ-साथ गुणता और क्षमता के बारे में गंभीर समस्याएं भी आ खड़ी हुई हैं । हाल के वर्षों में मजदूरी में वृद्धि, सामग्री की कीमतों में तीव्र वृद्धि, विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादों जैसी सामग्री की कीमतों में तीव्र वृद्धि की वजह से राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत लागत में भी वृद्धि आई है ।

1.2.3 आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत सड़कों सहित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क का सुधार और विजयवाड़ा-रांची कॉरीडोर का विकास

अभी तक, 5339 किमी. लंबी सड़कों की 193 परियोजनाओं के लिए 7289 करोड़ रुपए की लागत के विस्तृत प्राक्कलन संस्वीकृत किए गए हैं । इनमें से 4502 किमी. लंबी सड़कों की 5919 करोड़ रुपए लागत की 167 परियोजनाएं सौंप दी गई हैं । इसके अलावा, 837 किमी. लंबी सड़कों के 1325 करोड़ रुपए लागत के 25 कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है तथा इन कार्यों को शीघ्र ही सौंपे जाने की भी संभावना है । संपूर्ण कार्यक्रम को जून, 2012 तक सौंपे जाने की संभावना है । संपूर्ण कार्यक्रम को मार्च, 2014 तक पूरा किए जाने की योजना है ।

विजयवाड़ा-रांची कॉरीडोर के विकास के अंतर्गत अभी तक उड़ीसा सरकार से 451 किमी. लंबाई के 828 करोड़ रुपए की लागत के 6 पैकेजों के लिए प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर संस्वीकृति दी गई है जिसमें से 637 करोड़ रू. की लागत के 356 कि.मी. लंबाई के 5 पैकेजों का कार्य सौंपा जा चुका है । विजयवाड़ा-रांची कॉरीडोर के अंतर्गत कार्यों को भी जून, 2012 तक सौंपे जाने का

प्रस्ताव है ताकि ये कार्य, मार्च, 2015 तक पूरे हो सकें ।

2. एस ए आर डी पी –एन ई

पूर्वात्तर में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एस ए आर डी पी –एन ई), जिसमें 10,141 कि.मी. सड़क खंडों का निर्माण/सुधार/डीपीआर तैयारी शामिल है, समय समय पर आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति/मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित है । इस कार्यक्रम को तीन चरणों में विभाजित किया गया है जो निम्नलिखित हैं :-

(i) एस ए आर डी पी –एन ई का चरण 'क'

चरण 'क' में 21,769 करोड़ रू. की अनुमानित लागत पर 4099 कि.मी. सड़क (2041 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग और 2058 कि.मी. राज्य सड़कें और अन्य सड़कें) का सुधार/निर्माण शामिल है । इनमें से 3325 कि.मी. सड़क निष्पादन के लिए अनुमोदित की जा चुकी है और शेष 774 कि.मी. 'सिद्धान्त रुप में' अनुमोदित की जा चुकी है । इन सड़कों का कार्यान्वयन राज्य पी डब्ल्यू डी, बी आर ओ और एन एच ए आई जैसी विभिन्न एजेंसियों को सौंपा गया है । एस ए आर डी पी –एन ई के चरण 'क' के अंतर्गत अब तक 10,164 करोड़ रू. की लागत पर 2389 कि.मी. सड़क (बी ओ टी (वार्षिकी) पर 112 कि.मी. सहित) संस्वीकृत/सौंपी जा चुकी है और 3267 करोड़ रू. की लागत पर 451 कि.मी. सड़क अनुमोदन/निविदा प्रक्रिया/जांच की प्रक्रिया के अंतर्गत है । चरण 'क' के संस्वीकृत खंडों के लिए पूरा होने की संभावित लक्ष्य तारीख मार्च 2015 है । एस ए आर डी पी –एन ई के चरण 'क' के अंतर्गत शामिल सड़कों की सूची अनुलग्नक V में दी गई है।

(ii) सड़क और राजमार्गों का अरुणाचल प्रदेश पैकेज

इस पैकेज के अंतर्गत हाईब्रिड बी ओ टी (वार्षिकी) आधार पर 776 कि.मी. सड़क खंड अनुमोदित किए गए थे । 774 कि.मी. (संशोधित लंबाई) की सभी चार परियोजनाओं के लिए 5111 करोड़ रू. की कुल परियोजना लागत पर सभी चार उप-परियोजनाओं के लिए टेंडर सौंपे गए हैं ।

कुल 1543 कि.मी. लंबाई के सड़क खंड नकद ठेका आधार पर अनुमोदित किए गए हैं । इनमें से लगभग 451 कि.मी. लंबाई 2255 करोड़ रू. की लागत पर आज की तारीख तक संस्वीकृत/सौंपी गई है ।

7404 करोड़ रू. की लागत पर 1227 कि.मी. सड़क और 1437 करोड़ रू. की लागत पर 298 कि.मी. सड़क के लिए मांगी गई संस्वीकृति अनुमोदन/जांच प्रक्रिया के अधीन है । संपूर्ण

अरुणाचल प्रदेश पैकेज को मार्च, 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य है । एस ए आर डी पी- एन ई की सड़कों और राजमार्गों के अरुणाचल प्रदेश पैकेज के अंतर्गत शामिल सड़कों की सूची अनुलग्नक VI में दी गई है ।

(iii) एस ए आर डी पी- एन ई का चरण 'ख'

कुल 3723 कि.मी. की विभिन्न श्रेणियों जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय सड़क, जी एस सड़क और सामरिक सड़कों के 34 सड़क खंडों के सुधार कार्य को एस ए आर डी पी- एन ई के चरण 'ख' के अंतर्गत शामिल किया गया है । सरकार द्वारा चरण 'ख' का अनुमोदन केवल डीपी आर तैयार किए जाने के लिए किया गया है । लगभग 15000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर इन सड़कों के कार्यान्वयन अनुमोदन की मांग वाले सीसीआई नोट को अंतिम रूप दिया जा रहा है । यदि इसे अनुमोदित कर दिया जाता है तो कुछ परियोजनाओं को वर्ष 2012-13 के दौरान कार्यान्वित किए जाने का लक्ष्य है । एस ए आर डी पी- एन ई के चरण 'ख' के अंतर्गत शामिल सड़कों की सूची अनुलग्नक VII में दी गई है ।

वर्ष 2011-12 के दौरान एस ए आर डी पी- एन ई के लिए 1600 करोड़ रू. की राशि आवंटित की गई थी । जिसमें से 31.1.2012 की स्थिति के अनुसार 1295 करोड़ रू. व्यय किए जा चुके हैं । 2 लेन मानक में 60 कि.मी. सड़कें पूरी की जा चुकी थीं और कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित 5644 कि.मी. सड़कों में से विगत वर्ष तक पूरी की जा चुकी सड़कों को मिलाकर कुल 802 कि.मी. सड़कें चरण 'क' और सड़क और एस ए आर डी पी- एन ई के सड़कों और राजमार्गों के अरुणाचल प्रदेश पैकेज के अंतर्गत अब तक पूरी की जा चुकी हैं ।

एस ए आर डी पी - एन ई का निष्पादन

कार्यक्रम के प्रारंभ से एस ए आर डी पी- एन ई का निष्पादन नीचे दर्शाया गया है

वर्ष	संस्वीकृत/सौंपी गई (कि.मी.)	संस्वीकृत लागत (करोड़ रु.)	पूरी की गई लंबाई	वित्तीय (करोड़ रु.) आवंटन	व्यय
2006-07	501	1285	प्राथमिक	550	450
2007-08	240	615	150	700	652
2008-09	187	835	290	1000	637
2009-10	188	1070	156	1200	676

2010-11	1615	9439	146	1500	1065
2011-12	887	4324	60	1600	1295*
जोड़	**3616**	**17568**	**802**	**6550**	**4775**

*31.1.2012 तक

3. केन्द्रीय सड़क निधि

दिसंबर, 2000 में केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम को अधिनियमित करके इस निधि को सांविधिक दर्जा दिया गया है । डीजल और पेट्रोल की बिक्री से वसूली गई उपकर राशि को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों में वितरित किया जाता है :-

उपकर [पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) पर 2.00 रु.] का वितरण

(क) 1.50 रुपए प्रति लीटर उपकर का वितरण:-

(i) हाई स्पीड डीजल पर वसूले गए उपकर का 50% ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए निश्चित किया जाता है ।

(ii) हाई स्पीड डीजल पर उपकर का शेष 50% और पेट्रोल पर वसूले गए संपूर्ण उपकर का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए निर्धारित किया जाता है :

- ऐसी धनराशि के 57.5% के बराबर धनराशि, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए;
- 12.5% के बराबर की धनराशि सड़क के उपरि/अधो पुलों का निर्माण तथा रेलवे कर्मचारी रहित रेलवे क्रासिंग पर सुरक्षा कार्य के लिए; और
- 30% के बराबर धनराशि राज्यीय सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए । इस धनराशि में से 10% धनराशि, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की राज्यीय सड़क स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को आबंटित किए जाने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा आरक्षित रखी जाएगी ।

ख) 0.50 रुपए प्रति लीटर उपकर का वितरण:-

वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा यथा-संशोधित केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के

अनुसार, 1.4.2005 और उसके बाद से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लगाए गए 0.50 रु. के अतिरिक्त उपकर की धनराशि विशिष्ट रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्धारित की जानी होती है ।

- वर्ष 2000 में सीआरएफ स्कीम प्रारंभ होने से दिसंबर 2011 तक 23416.86 करोड़ रु. की लागत के 6815 निर्माण कार्य संस्वीकृत किए जा चुके हैं । इनमें से 108.73 करोड़ रू. व्यय से राज्य सड़क के सुधार के पांच कार्यों के लिए वर्ष 2011-12 के सीआरएफ से दिसंबर 2011 तक संस्वीकृति प्रदान की गई है । इनका ब्यौरा **अनुलग्नक- VIII** में दिया गया है ।

अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़क :-

राज्यीय सड़कों के लिए सी आर एफ का 10% हिस्सा मंत्रालय की अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की राज्यीय सड़कों के विकास संबंधी स्कीम के अधीन सड़कों के विकास के लिए अभिनिर्धारित किया जाए । संशोधित केंद्रीय सड़क निधि के लागू हो जाने के बाद यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क की सड़क/पुल परियोजनाएं पूर्णतया वित्तपोषित होंगी और आर्थिक महत्व की परियोजनाएं 50% तक वित्तपोषित की जाएंगी । मोटे तौर पर, इस स्कीम के अधीन सड़क/पुल परियोजनाओं की निम्नलिखित श्रेणियां सहायता अनुदान हेतु पात्र हैं :-

i. यातायात के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अंतर्राज्यीय सड़कें/पुल ।
ii. राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली सड़कें/पुल ।
iii. आर्थिक संवृद्धि के नए क्षेत्रों, जहां निकट भविष्य में रेलवे सुविधाएं मुहैया नहीं की जा सकती हैं, को खोलने के लिए अपेक्षित सड़कें/पुल ।
iv. ऐसी सड़कें/पुल जो पहाड़ी क्षेत्रों और खनिज संपन्न क्षेत्रों के तेजी से विकास में सहायक हों ।

इन स्कीमों के अधीन राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 'सैद्धांतिक रूप में' अनुमोदित परियोजनाओं के वर्ष-वार ब्योरे नीचे दिए गए हैं :

(करोड रू. में)

वर्ष	आर्थिक महत्व		अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क	
	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	**केन्द्र का हिस्सा (50%)**	**अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या**	**केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित**
2001-02	23	53.92	52	220.98

2003-04	28	46.26	18	67.31
2004-05	30	101.13	46	232.94
2005-06	16	60.99	29	187.06
2006-07	14	51.66	41	239.87
2007-08	20	74.22	31	342.78
2008-09	20	81.19	27	303.20
2009-10	6	59.36	30	421.73
2010-2011	74	34.03	51	717.07
2011-12	1	10.76	2	48.09
जोड़	**162**	**573.52**	**327**	**2781.03**

*दिसंबर, 2011 तक

अभी तक आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के अधीन 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदित प्रस्तावों के राज्य वार ब्योरे **अनुलग्नक-IX** में दिए गए हैं ।

वर्ष 2012-13 के दौरान लगभग 282.22 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है जिसमें, उड़ीसा में दुबूरी-ब्रह्मणीपाल-नरनपुर-क्योंझर सड़क परियोजना के लिए 20.00 करोड़ रुपए शामिल हैं ।

4. उपकरण एवं संयंत्र

मशीनरी और उपकरण

विकसित होती अवसंरचना आवश्यकता और वाहनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रमों सहित देश में सड़क निर्माण परियोजनाओं को और अधिक गति प्रदान की है । सड़क निर्माण क्षेत्र के बेहतर और तीव्र यंत्रीकरण से डवलपरों को बड़ी परियोजनाओं के निष्पादन, डिजाइन विनिर्देशों में सुधार करने, गुणता सुनिश्चित करने तथा सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय से पूरा करने में सहायता मिलती है ।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि आधुनिक और परिष्कृत मशीनों का उपयोग किया जाए । यह भी महत्वपूर्ण है कि विभिन्न सड़क निर्माण और अनुरक्षण कार्यों के लिए उचित मशीनों और उपकरणों के प्रयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं । मंत्रालय ने निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य में आधुनिक एवं परिष्कृत सड़क निर्माण मशीनों की तैनाती के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(i) पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि पुलों का निरीक्षण आवधिक रूप से किया जाए । पुल का समुचित निरीक्षण, संरचना तक पर्याप्त पहुंच पर निर्भर

करता है । मोबाईल पुल निरीक्षण इकाई जो कि एक अत्याधुनिक प्लेटफार्म है, अंडर ब्रिज संबंधी सभी कार्यों; निरीक्षण, मरम्मत, सामान्य अनुरक्षण, बैरिंगों के प्रतिस्थापन एवं अनुरक्षण तथा अन्य अनेक कार्यों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है । तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को मंत्रालय द्वारा आबंटित प्रत्येक मोबाईल पुल निरीक्षण इकाई का आऊटसोर्सिंग के माध्यम से उपयोग पुलों का समुचित अनुरक्षण एवं रखरखाव सुनिश्चित करने और संकटग्रस्त पुलों की मरम्मत में सहायता प्रदान करने किए जाने के लिए प्रस्तावित है ।

(ii) सुरक्षा में सुधार करने और अधिक भार से लदे वाहनों से होने वाली क्षति को रोककर सड़कों के अनुरक्षण में आने वाली लागत को कम करने के लिए मंत्रालय, इन मोशन कम ऑटोमैटिक ट्रैफिक काउंटर कम क्लासीफायर की स्थापना आऊटसोर्सिंग के माध्यम से देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अलग-अलग खंडों में करने की प्रक्रिया में है ।

(iii) नवीनतम प्रौद्योगिकीय उपकरणों के प्रयोग को सुकर बनाने के लिए हॉट मिक्स प्लांट्स और पेवर फिनिशर के चयन, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए गए हैं । कंक्रीट बैचिंग तथा मिक्सिंग प्लांट्स के चयन, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए दिशानिर्देश भी आई आर सी सत्र में अनुमोदित कर दिए गए हैं और इन्हें आई आर सी के मध्यावधि सत्र में प्रकाशित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, मृदा एवं डामरीकृत सड़क कार्यों के लिए कॉम्पेक्शन उपकरण संबंधी दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे हैं।

(iv) नवीन प्रौद्योगिकी परिवर्तन इस्तेमाल किए जाने के विचार के 25 करोड़ रू. से अधिक की सड़क परियोजनाओं के लिए अप्रैल 2012 से और सभी निर्माण कार्यों के लिए अप्रैल, 2013 से बैच टाइप होट मिक्स प्लांट का इस्तेमाल अनिवार्य किए जाने के लिए मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया है ।

(v) विश्व बैंक और एशियाई विकास से सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन से भी सड़क निर्माण क्षेत्र का यंत्रीकरण हुआ है । इसलिए, उपकरण एवं सामग्री के संबंध में सीमा तथा उत्पाद शुल्क से छूट की सुविधा का ठेकेदारों द्वारा लाभ, बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं से जुड़े सड़क निर्माण कार्यों में किया जा रहा है । साथ ही, वित्त मंत्रालय के सहयोग से सड़क निर्माण मशीनरी की 21 मदों के सीमा शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति भी प्रदान की गई है और इनका आयात ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है । इस सुविधा से ठेकेदार नवीनतम एवं परिष्कृत सड़क निर्माण मशीनरी मंगाने के प्रति आकर्षित हुए हैं । इसके अलावा मंत्रालय ने सीमा शुल्क छूट मदों की सूची में पोथोल पैकिंग मशीन और मिलिंग मशीन को शामिल किए

जाने की सिफारिश की है ।

(vi) अभियांत्रिकी जोन निम्नलिखित गतिविधियों का आउटसोर्स और उनका अनुवीक्षण करेगा :-

1. नेटवर्क सर्वे व्हीकल के माध्यम से डाटा संग्रहण
2. मेकेनाइज्ड आल वैदर पंचिंग मशीन
3. होट/कोल्ड रीसाइक्लिंग
4. इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेगा जो परिवहन अवसंरचना पर लागू होगा ।
5. आटोमेटिड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग

5. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्रियान्वित किए जा रहे प्रमुख विकास कार्यों का ब्योरा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शीर्षक के अंतर्गत **अध्याय-VI** में दिया गया है ।

<u>सड़क परिवहन</u>

2010-11 और 2011-12 के परिणामी बजट में दिए गए लक्ष्यों के संदर्भ में कार्य निष्पादन

क्र. सं.	योजना का नाम	लक्ष्य 2010-11	वर्ष 2010-11 में कार्य निष्पादन	लक्ष्य 2011-12	वर्ष 2011-12 में कार्य निष्पादन (जनवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार)
1	सड़क सुरक्षा				

	असंगठित क्षेत्र में चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सहित मानव संसाधन विकास ।	20 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं ।	सीआईआरटी, पुणे में 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम, एआरएआई, पुणे में 8 कार्यक्रम और ईएससीआई, हैदराबाद में 2 कार्यक्रम मंजूर किए गए हैं । इन संस्थानों को 62.44 लाख रु. की धनराशि जारी कर दी गई है । लगभग 35,000 चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सियाम, एआईएमटीसी और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट लॉरी ऑनर्स ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों से पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने के लिए प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई है । तथापि, वर्ष 2010-11 में संस्वीकृति जारी नहीं की जा सकी । आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की योजना अनुमोदित कर दी गई है । इस वित्तीय वर्ष के दौरान, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, सीआईआरटी, पुणे, रेलमगरा टाउन, जिला राजसमंद, राजस्थान, पराणी, वलसाड, गुजरात, सरकाघाट, मंडी, हिमाचल प्रदेश और कालूवास गांव, भिवानी के नजदीक, हरियाणा में आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूल (आईटीडीआर टियर-I) स्थापित करने की संस्वीकृति जारी कर दी गई है ।	80,000 चालक प्रशिक्षित किए जाने थे । 20 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए जाने हैं । 10 आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूल अनुमोदित किए जाने हैं ।	सीआईआरटी, पुणे में 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम, एआरएआई, पुणे में 2 कार्यक्रम और ईएससीआई, हैदराबाद में 3 कार्यक्रम 41.57 लाख रु. की कुल लागत से संस्वीकृत किए गए हैं । लगभग 40,000 चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सियाम, एआईएमटीसी और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट लॉरी ऑनर्स ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । आदर्श चालक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की संशोधित स्कीम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, बिहार, त्रिपुरा और तमिलनाडु राज्यों में 9 संस्थान संस्वीकृत किए गए हैं ।

	प्रचार उपाय तथा जागरुकता अभियान	400 वीडियो झलकियां तथा 250 रेडियो झलकियां प्रसारित की जानी थीं । इसके अलावा, सड़क सुरक्षा पर समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिए जाने थे ।	मुद्रण सामग्री के माध्यम से जागरूकता अभियान को संस्वीकृत किया गया है जिसके लिए 10.35 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था । डीएवीपी के माध्यम से समाचार पत्रों में विज्ञापनों पर 3.00 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था । एआईआर, प्राइवेट टीवी चैनलों, प्राइवेट एफएम चैनलों और दूरदर्शन के माध्यम से 7463 वीडियो झलकियां और 56951720 रेडियो झलकियां प्रसारित की गई थी ।	300 वीडियो झलकियां तथा 300 रेडियो झलकियां प्रसारित की जानी हैं । इसके अलावा, सड़क सुरक्षा पर समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिए जाने हैं ।	(i) सड़क सुरक्षा विज्ञापनों पर प्रचार-प्रसार के लिए डीएवीपी को 1.0 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । (ii) डीडी को 10 करोड़ रु. का कार्य आदेश दिया गया है । अभियान शुरू कर दिया गया है । (iii) कैलेंडर, पोस्टर आदि की छपाई के लिए फर्म को 17 करोड़ रु. का कार्य आदेश दिया गया है । आपूर्ति शीघ्र ही पूरी हो जाने की आशा है । (iv) एआईआर को रेडियो झलकियों के प्रसारण के लिए 3 करोड़ रु. का कार्य आदेश दिया गया है । अभियान 31 मार्च, 2012 तक पूरा हो जाएगा । (v) डीएवीपी ने चुनिंदा प्रसिद्ध प्राइवेट चैनलों के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर टीवी झलकियों (30 सैंकड) का प्रसारण शुरू किया है ।

	सड़क सुरक्षा उपस्कर और प्रदूषण जांच व नियंत्रण	225 सड़क सुरक्षा उपस्कर और 100 स्मोक मीटर तथा 100 गैस एनालाइज़र संस्वीकृत किए जाने है ।	दिनांक 22.12.2010 को 139 स्मोक मीटरों तथा 139 गैस एनालाइज़रों की आपूर्ति के लिए कार्य आदेश दिया गया है । मार्च, 2011 के अंतिम पखवाड़े में प्राप्त बिलों की 90% अदायगी जारी कर दी गई थी । वित्त पक्ष की कतिपय टिप्पणियां थीं और वित्तीय वर्ष 2010-11 में अदायगी नहीं की जा सकी ।	200 स्मोक मीटर तथा 200 गैस एनालाइज़र अर्थात् प्रदूषण जांच उपस्करों को संस्वीकृति दी जानी है ।	200 स्मोक मीटरों तथा 200 गैस एनालाइज़रों की आपूर्ति के लिए कार्य आदेश को अंतिम रूप दे दिया गया है ।
	राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना	25 क्रेन, 35 लघु/मध्यम आकार की क्रेन और 100 एम्बुलेंसें प्रदान की जानी हैं ।	पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 10 टन की 40 क्रेनों और 36 छोटी क्रेनों की अधिप्राप्ति के लिए निविदाओं हेतु स्वीकार्य पत्र दिनांक 14.01.2011 को जारी किए गए थे । फर्म ने निर्धारित अवधि के भीतर टाइप अनुमोदन प्रमाण पत्र जमा करवा दिए हैं और अब क्रेनों की आपूर्ति के लिए कार्य आदेश जारी किया जा रहा है । मंत्रालय ने परेषितियों को 70 एंबुलेंसों की आपूर्ति पहले ही कर दी है जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में देय थी । शेष 70 उन्नत जीवन सहायक एंबुलेंसों के लिए कार्य आदेश दे दिया गया है ।	30 क्रेनें, 30 एंबुलेंसें और 20 छोटी/मध्यम आकार की क्रेनें प्रदान की जानी हैं ।	13.50 करोड़ रु. की कुल लागत से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 10 टन की 40 क्रेनों और 36 छोटी क्रेनों के लिए कार्य आदेश दे दिया गया है । आपूर्ति शीघ्रही पूरा होने की संभावना है । एंबुलेंसों के संबंध में, जनवरी, 2011 में 70 एंबुलेंसों के अधिप्राप्ति कार्य आदेश दे दिए गए । अंतिम निरीक्षण की रिपोर्ट विचाराधीन है ।

2.	**समस्त इंजीनियरी समाधान सहित राष्ट्रीय डाटा बेस और कंप्यूटर प्रणाली, डाटा संगहण, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन अध्ययन**	ड्राइविंग लाइसेंस/ पंजीकरण प्रमाणपत्रों का राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्यीय रजिस्टर रखा जाना है । अध्ययन/अनुसंधान एवं विकास की 3 परियोजनाएं शुरू की जानी थी ।	लगभग 93% क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को कंप्यूट्रीकृत कर दिया गया है । ड्राइविंग लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्रों का राष्ट्रीय/राज्यीय रजिस्टर का सृजन नामक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 7.00 करोड़ रुपए की धनराशि जारी किए जाने के लिए एनआईसी से अनुरोध प्राप्त हुआ है । आईएफडी के परामर्श से इसकी जांच कर ली गई है और एनआईसी को तदनुसार यह सलाह दी गई है कि वह इस परियोजना पर काम करना प्रारंभ कर दें और जब कभी उन्हें धनराशि की वास्तव में आवश्यकता हो, वे मंत्रालय से धनराशि की मांग करें । 25,97,565 रु. की कुल लागत से सीआईआरटी, पुणे को अध्ययन कार्य सौंपा गया है । मै. जेपीएस एसोसिएट्स ने उनको पूर्व में सौंपे गए तीन अध्ययनों की अंतिम रिपोर्ट भी सौंप दी है । इन रिपोर्टों की जांच की जा रही है ।	लागू नहीं होता । अध्ययन/अनुसंधान एवं विकास की 4 परियोजनाएं शुरू की जानी हैं ।	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड आधारित आवेदन जारी किए जा रहे हैं । 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 100% क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को कंप्यूट्रीकृत कर दिया गया है और लगभग 97% क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों अर्थात् 975 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में से 942 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को कंप्यूट्रीकृत कर दिया गया है ।

3.	**निरीक्षण एवं अनुरक्षण केन्द्र की स्थापना**	सात अथवा आठ केन्द्र संस्वीकृत किए जाने थे ।	माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) द्वारा योजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया है और 10 अभिनिर्धारित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं । छिंदवाड़ा में ऐसा केन्द्र स्थापित कर दिया गया है । 2.55 करोड़ रुपए की धनराशि, सियाम को जारी कर दी गई है । हरियाणा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में निरीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्रों की स्थापना संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है ।	10 केन्द्र संस्वीकृत किए जाने हैं।	एक आदर्श ऑटोमैटिक निरीक्षण केन्द्र एवं अनुरक्षण केन्द्र का डिजाइन किया गया था और प्रायोगिक आधार पर 10 राज्यों में ऐसे एक-एक केन्द्र स्थापित करने की एक स्कीम अनुमोदित की गई थी । 9 आदर्श निरीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र पहले ही संस्वीकृत कर दिए गए हैं और इनमें से कुछ पहले ही कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं ।
4.	**जीपीएस आधारित स्वचालित किराया वसूली जैसी सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करना**		यह योजना दिनांक 15.03.2010 से लागू कर दी गई है । कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और पंजाब राज्य सरकारों से प्राप्त 9 प्रस्तावों को अभी तक संस्वीकृति दी जा चुकी है और 17.44 करोड़ रु. लगभग जारी किए जा चुके हैं ।	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 12 प्रस्तावों को संस्वीकृत किया जाना है ।	यह योजना दिनांक 15.03.2010 से लागू कर दी गई है । कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और पंजाब राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को संस्वीकृत किया जा चुका है ।

5.	**राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का सृजन**		राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन बोर्ड के सृजन के लिए विधेयक लोक सभा में दिनांक 04.05.2010 को पेश किया गया था जिसे विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को जांच के लिए भेज दिया गया । समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सभा के सभापति को दिनांक 21.07.2010 को प्रस्तुत कर दी है । समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है । सरकार ने समिति की सभी सिफारिशों की जांच की है और संसद के विचारार्थ समिति की सिफारिशों की तर्ज पर कतिपय संशोधन सम्मिलित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है । संसदीय स्थायी समिति की टिप्पणियों पर विचार करते हुए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन बोर्ड के सृजन से पहले, मोटरयान अधिनियम, 1988 में संशोधनों पर कार्रवाही की जा रही है ।	परिमाण निर्धारित नहीं किया जा सकता ।	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन बोर्ड के सृजन के लिए विधेयक लोक सभा में दिनांक 04.05.2010 को पेश किया गया था जिसे विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को जांच के लिए भेज दिया गया था । समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सभा के सभापति को दिनांक 21.07.2010 को प्रस्तुत कर दी है । समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

अध्याय V

वित्तीय समीक्षा

सड़क और सड़क परिवहन के क्षेत्र के संबंध में वार्षिक योजना 2012-13 में 33,000.00 करोड़ रु. के सकल परिव्यय की निम्नानुसार परिकल्पना की गई है :-

(करोड़ रु. में)

क्षेत्र	बजटीय सहायता (प्रस्तावित)	आईईबीआर(प्रस्तावित)	कुल
1	2	3	4
सड़क	22,600.00	10000.00	32600.00
सड़क परिवहन	400.00	-	400.00
कुल	**23,000.00**	**10000.00**	**33000.00**

2010-11 के दौरान किया गया वास्तविक व्यय और 2011-12 के दौरान 31.01.2012 तक हुए व्यय को नीचे विवरण में दर्शाया गया है:-

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	मद	वास्तविक व्यय		2011-12		2012-13
		2010-11	2011-12 (31.1.12 तक)	ब.प्रा.	सं.प्रा.	ब.प्रा.
सड़कें						
1	जीबीएस	17401.05	13336.64	19500.00	19957.00	22320.00
	जीबीएस से भिन्न (ईएपी)	400	0.00	100.00	0.01	280.00
	जोड़=	17801.05	13336.64	19600.00	19957.01	22600.00
2	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम पूल के लिए प्रावधान - जीबीएस का 10%	1044.49	1624.00	1990.00	2202.00	2272.00

1.1 सड़क विकास

राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार की स्कीमों/परियोजनाओं में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, पुलों का पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण और बाइपासों का निर्माण शामिल है । हालांकि सरकार राजमार्ग क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए आवर्धित बजटीय आबंटन उपलब्ध करा रही है

और उच्च घनत्व वाले महामार्गों के उन्नयन के लिए सरकार ने कई बड़े कदम भी उठाए हैं, फिर भी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त धनराशि आबंटित करना संभव नहीं हो पाया है क्योंकि इसी प्रकार की मांगें अन्य क्षेत्रों से भी मिलती रही हैं । निजी क्षेत्र से होने वाली धनराशि के आप्रवाह से संसाधन अंतर कुछ हद तक कम होने की प्रत्याशा है ।

1.2 राज्य लोक निर्माण विभागों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण कार्य, राज्यों-राज्य सरकारों (राज्यों के लोक निर्माण विभाग निष्पादन एजेंसियां हैं), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है । राज्य लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन की तुलना में व्यय में समग्र प्रवृति निम्नानुसार है :-

(करोड़ रु. में)

मद	2010-11			2011-12			बजट प्राक्कलन 2012-13
	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय दिसंबर, 2011 तक	
योजना							
राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्य	3958.10	4656.10	4497.08	4964.34	4949.34	2410.54	5742.80
सीमा सड़क संगठन के अधीन कार्य	700.00	760.00	693.00	700.00	620.00	303.76	550.00
स्थायी पुल शुल्क निधि	120.00	120.00	119.45	150.00	150.00	54.37	150.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम	1500.00	1500.00	1044.49	1600.00	1600.00	1098.08	2000.00
जोड़	**6278.10**	**7036.10**	**6354.02**	**7399.34**	**7319.34**	**2768.64**	**8442.80**
गैर योजना							
राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग	1022.86	1989.46	1876.32	983.25	1272.40	617.78	1928.03
बीआरओ को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग	34.00	65.00	43.93	44.00	55.00	29.99	70.00

जोड़	1056.86	2054.46	1920.25	1027.25	1327.40	647.77	1998.03

1.3 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए किया गया बजट प्रावधान

राष्ट्रीय राजमार्गों का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले विकास के लिए धनराशि, पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल पर लगाए गए उपकर और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संग्रहीत पथकर से प्रदान की जाती है । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उपकर धनराशि की लीवरेज पर बाजार से उधार लेने की अनुमति है । पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर उपकर की वर्तमान दर 2.00 रु. प्रति लीटर है । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए बजट से भी धनराशि प्रदान की जाती है । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बजट में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 2010-11, 2011-12 में किए गए प्रावधान, दिसंबर, 2011 तक व्यय और 2012-13 में प्रस्तावित किया गया प्रावधान निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपए में)

मद	2010-11			2011-12			2012-2013
	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय	
निवेश (सीआरएफ से वित्तपोषित)	7848.98	8440.94	8440.94	8250.00	8250.00	6187.00	7881.95
निवेश (स्थायी पुल शुल्क निधि से वित्तपोषित)	1623.00	1623.00	1623.00	1292.89	2692.89	2038.68	3554.03
जे एंड के पैकेज	360.00	360.00	360.00	320.01	320.01	320.01	300.00
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	500.00	401.00	400.00	100.01	0.01	0.00	280.00
जोड़	**10331.38**	**10824.94**	**10823.94**	**9962.91**	**11262.91**	**8545.69**	**12015.98**
आईईबीआर	7455.00	2341.00		7500.00	12500.00		10000.00
कुल जोड़	**17786.98**	**13165.94**	**12962.04**	**17462.91**	**23762.91**	**10077.04**	**22015.98**

1.4 राज्यीय सड़कों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि

केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम को दिसंबर, 2000 में अधिनियमित करके इस निधि को सांविधिक दर्जा दिया गया था । यह निधि डीजल और पेट्रोल की बिक्री पर वसूले जाने वाले उपकर से बनी है । यह मंत्रालय, केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यीय सड़कों के विकास के लिए धनराशि प्रदान करता है और अन्तरराज्यीय सड़क संपर्क तथा आर्थिक महत्व की योजना के अंतर्गत सड़कों के विकास के लिए धनराशि भी उपलब्ध कराता है । इस निधि से किया गया

आबंटन और व्यय निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपए में)

मद	2010-11			2011-12			2012-13
	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार	
राज्यीय सड़कों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान (केन्द्रीय सड़क निधि)	1893.75	*2714.87	2460.29	2247.75	2247.75	873.49	2280.91
अन्तराज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	230.42	243.88	208.22	282.77	282.77	39.84	282.22

* इसमें पिछले वर्ष की शेष धनराशि से आए 700 करोड़ रुपए शामिल हैं ।

1.5 अनुसंधान और विकास

सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में मुख्य बल, विश्व की सर्वश्रेष्ठ सड़क अवसंरचना से तुलनीय दीर्घकालिक सड़क अवसंरचना के निर्माण पर है । 2011-12 में अनुसंधान और विकास के लिए 5.50 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया था जिसमें से 0.45 करोड़ रूपए वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, 31 दिसंबर, 2011 तक व्यय किए गए ।

1.6 मशीनरी एवं उपकरण

यह आवश्यक है कि सड़क निर्माण और अनुरक्षण में उच्च गुणता मानकों के लिए आधुनिक और

उन्नत किस्म की मशीनों का प्रयोग किया जाए । मशीनरी और उपस्कर की खरीद के लिए 7.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था जिसे वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान संशोधित प्राक्कलन स्तर पर कम करके 4.00 करोड़ रुपए कर दिया गया जिसमें से 31 दिसंबर, 2011 तक शून्य व्यय किए गए हैं ।

सड़क परिवहन

2010-2011 तथा 2011-2012 का वित्तीय निष्पादन

योजना/परियोजना/कार्यक्रम का नाम		बजट प्राक्कलन 2010-11	व्यय 2010-11
1	**सड़क सुरक्षा**		
	i) असंगठित क्षेत्र में चालकों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण सहित मानव संसाधन विकास	111.00	10.79
	ii) प्रचार उपाय तथा जागरुकता अभियान	30.00	34.25
	iii) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना	32.00	13.62
	iv) सड़क सुरक्षा उपस्कर तथा प्रदूषण जांच उपस्कर	7.00	1.97
2	समस्त इंजीनियरी समाधान सहित राष्ट्रीय डाटा बेस एवं कंप्यूटर प्रणाली, डाटा संग्रहण, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन अध्ययन	30.00	0.20
3	निरीक्षण एवं अनुरक्षण केन्द्र की स्थापना	54.00	2.55
4	जीपीएस आधारित स्वचालित किराया संग्रहण जैसी सूचना प्रौद्योगिकी को लागू किए जाने सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना	35.00	17.44
5	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का सृजन	1.00	0.00
	कुल जोड़	**300.00**	**80.82**

अध्याय-VI

मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन की समीक्षा

1. सड़क पक्ष

1.1 भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचआई)

भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक रजिस्टर्ड सोसायटी है । यह केन्द्र और राज्य सरकारों का एक सहयोगी निकाय है । देश में राजमार्ग इंजीनियरों को प्रवेश स्तर पर और सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से सन् 1983 में इसकी स्थापना की गई थी ।

निथि का नाम वर्ष 2011 में बदल कर भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी कर दिया गया था । यह संस्थान 27 वर्षों से कार्यरत है और इसने अपने स्वयं के कैम्पस ए-5, सांस्थानिक क्षेत्र, सेक्टर-62, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में दिनांक 1.10.2001 से कार्य करना शुरू किया था ।

व्यापक कार्यकलाप -

(i) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नवनियुक्त राजमार्ग अभियंताओं को प्रशिक्षण देना ।

(ii) वरिष्ठ और मध्य स्तर के राजमार्ग अभियंताओं के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना ।

(iii) वरिष्ठ स्तर के राजमार्ग अभियंताओं के लिए अल्पकालीन तकनीकी और प्रबंधन विकास पाठ्यक्रम ।

(iv) विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण और राजमार्ग क्षेत्र में नई प्रवृतियां ।

(v) स्वदेशी और विदेशी प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास।

राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान ने अपने प्रारंभ से (31 दिसंबर, 2011 तक), 957 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और विदेशों के सड़क विकास के कार्य में लगे 22,251 राजमार्ग एवं पुल अभियंताओं और प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है । ये प्रतिभागी, सड़क

परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, विभिन्न राज्य लोक निर्माण विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र के उपक्रमों तथा राजमार्ग इंजीनियरी के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से आते हैं । विदेशी इंजीनियरों ने भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि के लिए प्रशिक्षण हेतु एक संसाधन केन्द्र माना गया है ।

वर्ष 2011-12 (31 दिसंबर, 2011 तक) के दौरान संस्थान ने 89 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिनमें 25 देशों से 192 सहभागियों सहित 1,938 अभियंताओं ने भाग लिया ।

1.2 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

1.2.1 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भाराराप्रा) का गठन इसमें निहित अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन करने के लिए संसद के एक अधिनियम, अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 द्वारा किया गया था । इसने फरवरी, 1995 में काम करना प्रारम्भ कर दिया ।

1.2.2 भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों को उन्नत और सुदृढ़ करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (राराविप) को शुरू किया है ।

1.2.3 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (राराविप) - देश में अब तक की शुरू की गई सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं :

- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I को 30,300 करोड़ रुपए की लागत पर 7,498 कि.मी. लंबाई को चार लेन का बनाने हेतु दिसम्बर, 2000 में तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II को 34,339 करोड़ रुपए की लागत पर 6,644 कि.मी. को चार लेन का बनाने हेतु दिसम्बर, 2003 में अनुमोदन प्रदान किया गया था । इन दो चरणों में स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर, पत्तन संपर्क और अन्य परियोजनाएँ शामिल हैं । स्वर्णिम चतुर्भुज (5,846 कि.मी.) दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता जैसे चार महानगरों को जोड़ता है । उत्तर दक्षिण-पूर्व पश्चिम महामार्ग (7,300 कि.मी.) उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से तथा सलेम से कोच्चि खण्ड सहित पूर्व में सिल्चर को पश्चिम में पोरबंदर से जोड़ता है ।
- सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण III के अंतर्गत 76,546 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 12,109 कि.मी. के उन्नयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया है ।
- सरकार ने 18 जून, 2008 को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IVक के अधीन

6,950 करोड़ रुपए की लागत पर बीओटी (पथकर/वार्षिकी) आधार पर 5,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में उन्नत/सुदृढ़ करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है ।

- सरकार ने 5 अक्तूबर, 2006 को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत 41,210 करोड़ रुपए की लागत पर 6,500 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को छह लेन का बनाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है जिसमें 5,700 कि.मी. स्वर्णिम चतुर्भुज और शेष 800 कि.मी. के अन्य खंड शामिल हैं ।
- सरकार ने 2 नवम्बर, 2006 को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI के अंतर्गत 16,680 करोड़ रुपए की लागत पर नए संरेखणों पर पूर्णत: पहुँच नियंत्रित 1000 कि.मी. एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण हेतु अनुमोदन प्रदान किया है ।
- सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VII के अंतर्गत 16,680 करोड़ रुपए की लागत पर रिंग रोड़ों, बाइपासों, ग्रेड सेपरेटर्स, फ्लाईओवरों, उत्थापित सड़कों और सुरंगों के निर्माण हेतु अनुमोदन प्रदान किया है । कुल लागत में से, 6,302 करोड़ रुपए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे और शेष 10,378 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र से आएंगे । कुल निवेश का एक बड़ा भाग लगभग 10,500 करोड़ रुपए, 700 कि.मी. के रिंग रोडों और बाइपासों के निर्माण पर खर्च किया जाएगा । शेष 6,180 करोड़ रुपए की राशि, स्टेंड अलोन ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शनों, सड़क उपरि पुलों, उत्थापित सड़कों, सुरंगों, अंडरपासों तथा सर्विस रोड़ों पर खर्च की जाएगी ।

1.3.1 प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम की परियोजनाओं की विकास गति को तेज करने हेतु उपाए सुझाने के उद्देश्य से श्री बी के चतुर्वेदी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी ताकि इस कार्यक्रम की प्रक्रियागत अड़चनों को दूर करने के साथ वित्तपोषण की आवश्यकता पर समग्र रूप से ध्यान दिया जा सके तथा ऐसी वित्तपोषण योजना तैयार की जा सके जिससे सड़क क्षेत्र की आवश्यकताओं और सरकार के अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संतुलन कायम हो सके । चतुर्वेदी समिति ने वर्ष 2013-14 तक कार्य योजना और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की वित्तीय योजना (2030-31 तक) तथा आरएफक्यू/आरएफपी से संबंधित अन्य मुद्दों और मॉडल रियायत करार के संबंध में सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

1.3.2 सरकार ने चतुर्वेदी समिति की सिफारिशों पर विचार किया और कार्य योजना-I (2009-10 के लिए) सहित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की वित्तपोषण योजना संबंधी सिफारिशों को इन निर्देशों के साथ अनुमोदित कर दिया कि 2010-11 की वित्तपोषण योजना से आगे की योजनाओं पर, कार्य योजना में आवश्यक परिवर्तनों सहित अगली कार्रवाई पर विचार मंत्रियों के अधिकारप्राप्त समूह द्वारा किया जाएगा ।

1.4 मंत्रियों के अधिकारप्राप्त समूह ने 7 और 14 दिसम्बर, 2009 को हुई अपनी पहली दो बैठकों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में सहमति प्रदान की :-

(i) चतुर्वेदी समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार एसएआरडीपी-एनई तथा जम्मू और कश्मीर के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता (एबीएस) उपलब्ध कराई जाए; तथा

(ii) 2010-11 से आगे की कार्य योजना को अनुमोदन प्रदान करना तथा चतुर्वेदी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार इस शर्त के साथ इनके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना कि राष्ट्रीय राजमार्ग की विकसित की जाने वाली कुल लम्बाई का कार्य मौटे तौर पर 60 प्रतिशत बीओटी (पथकर) आधार पर, 25 प्रतिशत बीओटी (वार्षिकी) आधार पर और शेष 15 प्रतिशत ईपीसी आधार पर शुरू किया जाएगा । तदनुसार कार्य योजनाओं को संशोधित किया जाए ताकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिकतम कार्यकुशलता प्राप्त कर सके ।

पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (बीओटी परियोजनाओं के संबंध में निजी क्षेत्र का हिस्सा), गणनीय लक्ष्य/अनुमानित वास्तविक उपलब्धि आदि सहित वर्ष 2012-13 के लिए वित्तीय परिव्यय का ब्यौरा **अनुलग्नक-X** में दिया गया है ।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का वित्तपोषण

2.1 सरकार के अनुमोदित अधिदेश के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (राराविका) और अन्य परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है । भारत सरकार विशेष परियोजनाओं और अनुरक्षण व मरम्मत के लिए बजटीय सहायता के अलावा उपकर निधि, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए धनराशि तथा बाजार से ऋण उपलब्ध कराती है जो संघ के बजट के माध्यम से आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) के रूप में होती है और विशेष परियोजनाओं तथा अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए बजट सहायता के अलावा होती है । प्राधिकरण की ऋण संबंधी जरूरतें, अपेक्षित संसाधनों तथा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई हैं । राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण का वित्तपोषण निम्नलिखित रूप से किया जाता है :-

क) भारत सरकार की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) और अतिरिक्त बजटीय सहायता (एबीएस)

ख) संघ बजट के माध्यम से केंद्रीय सड़क निधि (ईंधन पर लगाए गए उपकर में हिस्सा) के अंतर्गत समर्पित उपार्जन

ग) संघ बजट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं (विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, जेबीआईसी) द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के संबंध में बाह्य सहायता और इन संस्थाओं से सीधा ऋण

घ) पथकर संग्रहण, ऋणात्मक अनुदान, प्रीमियम तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत की समेकित निधि में जमा किए जाने वाले राजस्व हिस्से सहित पथकर राजस्व को वापस लाना और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसकी परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए इतनी ही राशि वापस जारी कर दी जाती है ।

ङ.) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) ढाँचे (फ्रेमवर्क) के अंतर्गत निजी वित्तपोषण

(i) निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण - पथकर/डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण - निजी फर्मों द्वारा निवेश तथा प्रयोक्ता शुल्क के उदग्रहण और उसके प्रतिधारण के माध्यम से अदायगी;

(ii) बीओटी (वार्षिकी)- निजी फर्म द्वारा निवेश और निविदा के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से अर्धवार्षिक पूर्व निर्धारित भुगतानों के जरिए अदायगी ; तथा

(iii) विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अंधधारिता के साथ ।

च) उपकर के अलावा एसएआरडीपी-एनई के अंतर्गत तथा जम्मू और कश्मीर में अतिरिक्त बजटीय सहायता (एबीएस) से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण; तथा

छ) बाजार से ऋण (आयकर अधिनियम की धारा 54 ईसी के अंतर्गत पूंजीगत लाभ कर छूट बांडों तथा कर मुक्त बांडों के जरिए जुटाई गई धनराशि सहित)

2.1.1 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण । और ।। के क्रियान्वयन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का मुख्य स्रोत ईंधन पर उपकर है (सारणी 2.1.3 नीचे दी गई है) । इस समय, पेट्रोल और डीजल दोनों पर **उपकर की दर 2 रुपए** प्रति लीटर है । उपकर के एक भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आबंटित किया जाता है । इस उपकर का उपयोग देशीय बाजार से अतिरिक्त धनराशि उधार लेने के लिए भी किया जाता है ।

2.1.2 इसके अलावा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु विश्व बैंक (1965 मिलियन अमेरिकी डालर), एशियाई विकास बैंक (भाराराप्रा द्वारा सीधे तौर पर किए गए ऋण सौदे को छोड़कर 1,605 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तथा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (32,060 मिलियन जापानी येन) से विभिन्न ऋणों के बारे में बातचीत की है । बहुपक्षीय संस्थानों से लिए गए इन ऋणों को सरकार द्वारा आंशिक तौर पर अनुदान और आंशिक तौर पर ऋण के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दे दिया जाता है । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पहले सीधे तौर पर बहुपक्षीय एजेंसियों से ऋण प्राप्त किए हैं (उदाहरण के तौर पर एशियाई विकास बैंक ने सूरत-मनोर राजमार्ग परियोजना के लिए 165 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण संस्वीकृत किया था) । इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सांस्थानिक सदृढीकरण और क्षमता निर्माण के लिए भारत सरकार ने हाल ही में विश्व बैंक के साथ 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर के टीए ऋण पर समझौता किया है ।

2.1.3 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई धनराशि जिसमें बाजार से उधार ली गई राशि भी शामिल है, का उपयोग ऋण सर्विसिंग के साथ-साथ परियोजना व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है ।

सारणी 2.1.3 : राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का वित्तपोषण

(करोड़ रुपए)

वर्ष	उपकर निधियां	बाह्य सहायता (अनुदान)	बाह्य सहायता ऋण	ऋण	बजटीय सहायता	निजी क्षेत्र की अनुमानित भागीदारी
1999-2000	1192	492	-	-	-	49.72
2000-01	1800	461	12	656.62	-	225.10
2001-02	2100	887	113	804.44	-	510.48
2002-03	2000	1202	301	5592.94	-	846.25
2003-04	1993	1159	290	-	-	1830.80
2004-05	1848	1239	361	-	50.00	1462.84
2005-06	3269.74	2350	600	1289.00	700.00	649.08
2006-07	6407.45	1582.5	395.5	1500.00	110.00	1578.28
2007-08	6541.06	1776	444	305.18	-	7062.40
2008-09	6972.47	1515.20	378.80	1630.74	-	8184.73

2009-10	7404.70	272.00	68.00	1153.63	-	8572.54
2010-11	8440.94	320	80	2160.10	-	15354.37
2011-12 (दिसंबर, 2011 तक)	6187.00	-	-	1531.35*	-	17082.59

*इसके अतिरिक्त 28 दिसंबर, 2011 को खरीद के लिए कर मुक्त बांडों की पहली ट्रेंच खोली गई और इसकी समग्र खरीद आधार इश्यू साइज से पांच गुणा हुई (5,000 करोड़ रुपए) और इश्यू साइज से 2.5 गुणा हुई (10,000 करोड़ रुपए) । 10,000 करोड़ रुपए की राशि के बांडों का आबंटन जनवरी, 2012 में किया गया था ।

3. सुधार संबंधी उपाय और नीतिगत पहल

ऐतिहासिक तौर पर, सरकार द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में, विशेष रूप से राजमार्गों में निवेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है, प्रतिफल मिलने में बहुत समय लगता है, प्रतिफल अनिश्चितता होती है और इससे जुड़े अन्य बाहरी मुद्दों का प्रभाव रहता है । तेजी से बढ़ती संसाधन आवश्यकताओं और प्रबंधकीय कुशलता के प्रति चिंता महत्व तथा उपभोक्ता प्रतिक्रियाशीलता के कारण हाल ही निजी क्षेत्र भी इसमें सक्रिय होने लगा है । निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राजमार्ग क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यापक नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं । निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कर में छूट और सड़क निर्माण उपकरण तथा मशीनों का सीमा शुल्क मुक्त आयात जैसे कई प्रोत्साहनों की घोषणा भी की है ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) अर्थात बीओटी (पथकर) आधारित परियोजनाओं और बीओटी (वार्षिकी) आधारित परियोजनाओं का सारांश दर्शाने वाला परियोजनाओं का विवरण क्रमश: **अनुलग्नक** XI **और** XII पर रखा है ।

3.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के क्रियान्वयन के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए 20 कि.मी. प्रतिदिन की दर से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है जिससे प्रतिवर्ष लगभग 7,000 कि.मी. का लक्ष्य बनता है ।

3.2 बी. के. चतुर्वेदी समिति की रिपोर्ट में विचार की गई वित्तपोषण योजना से संबंधित और सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सिफारिशों का सारांश निम्नानुसार है :-

(i) 6 लेन बनाने के संपूर्ण कार्यक्रम के लिए अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण की 5% की

समग्र सीमा को बढ़ाकर 10% करना तथा चरण-V के 5,080 कि.मी. में से 500 कि.मी. की समग्र सीमा के अंदर स्वर्णिम चतुर्भुज के कम यातायात वाले खंडों में अलग-अलग परियोजनाओं जिन्हें अभी सौंपा जाना है, के लिए अर्थ-क्षमता अंतर वित्तपोषण 20% तक किए जाने पर विचार किया जाना ।

(ii) एसएआरडीपी-एनई के अंतर्गत तथा जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण, वार्षिक आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले उपकर से ऊपर अतिरिक्त बजट सहायता ।

(iii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए सरकारी सहायता का 'सैद्धान्तिक अनुमोदन' निम्नलिखित के लिए :-

- कर छूट बांड जारी किया जाना
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ऋण योजना के लिए गारंटी कवर
- इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स कंपनी लिमिटेड को पहले प्रदान किए गए 30,000 करोड़ रुपए के ऋण अनुमोदन में से राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत 10,000 करोड़ रूपये, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसकी ऋण जरूरतों के अनुसार हस्तांतरित कर दिए जाएंगे ।
- यदि आवश्यक हो तो बैक टू बैक सहायता प्रदान करके, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, जेबीआईसी आदि से असंप्रभु बहुपक्षीय ऋण वार्ता में मदद करना ।
- कम से कम 2030-31 तक उपकर की उपलब्धता की पुष्टि करते हेतु वित्त मंत्रालय से सांत्वना पत्र प्रदान किया जाना ।

3.3 20 कि.मी. प्रतिदिन की दर से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को पूरा करने के लक्ष्य पर अमल करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को पूरा करने में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं :-

क) पहले के 50 प्रतिशत के स्थान पर सरकार के पास केवल 80 प्रतिशत भूमि होने पर ही परियोजना का ठेका दिया जा रहा है ;

ख) 122 समर्पित विशेष भूमि अधिग्रहण इकाइयों की स्थापना और अपेक्षित भूमि को अधिसूचित करने/कब्जा ले लेने (धारा 3 ए/डी के अंतर्गत) के लिए की गई है;

ग) चूककर्ता सिविल संविदाकारों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है । 27 ठेके समाप्त कर दिए गए हैं और 5 ठेके समयपूर्व बन्द कर दिए गए हैं । कई संविदाकारों को गैर निष्पादक घोषित किया

गया है और निष्पादन में सुधार किए जाने तक उन पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में अगले निर्माण कार्यों के ठेके पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

घ) ठेकेदार के अनुरोध पर ब्याजयुक्त विवेकाधीन अग्रिम मंजूर करने, समान राशि की बैंक गारंटी पर प्रतिधारण धनराशि जारी करने, अग्रिमों की वसूली को स्थगित करने (ब्याज आधार पर) तथा आईपीसी की न्यूनतम राशि में छूट प्रदान करके संविदाकारों की नकदी व्यवस्था संबंधी समस्या में सुधार हेतु उपाए किए गए हैं ।

3.4 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पुनर्गठन के प्रस्ताव को सरकार ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है और उसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं :-

(i) नियमित निगरानी और राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ प्रभावी समन्वय हेतु मुख्य महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में 13 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना;
(ii) क्षेत्रीय कार्यालयों को शक्तियों का पर्याप्त प्रत्यायोजन;
(iii) मुख्य महाप्रबंधक के विद्यमान 13 पदों के अलावा मुख्य महाप्रबंधक/कार्यपालक निदेशक के 26 अन्य पदों का सृजन ; और
(iv) जहाँ कहीं जरूरत हो, बाहरी विशेषज्ञ (जरूरत होने पर आयु में छूट देने सहित) विशेष रूप से वित्तीय विश्लेषक, परिवहन अर्थशास्त्री, संविदा प्रबंधन विशेषज्ञ और विधि विशेषज्ञ के पदों पर अनुभव के अनुसार और सुयोग्य कार्मिकों की उपलब्धता के अनुसार प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले पारिश्रमिक पर नियुक्त करने हेतु प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करना ।

3.5 सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नत अनुरक्षण हेतु उच्चतर आबंटन के अलावा, प्रचालन, अनुरक्षण और पथकर लगाने (ओएमटी) हेतु मॉडल रियायत करार, दीर्घकालीन अनुरक्षण ठेकों को लागू किया जाएगा । बेहतर अनुरक्षण हेतु किए गए अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) सीमित संसाधनों के लाभकारी उपयोग हेतु जीर्ण-शीर्णता (डिस्ट्रेस) के मूल्यांकन की युक्तियुक्त प्रणाली के आधार पर पेवमेंट प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) तथा अनुरक्षण क्रियाकलापों के लिए निर्णय सहायता प्रणाली लागू करने की आवश्यकता है । पीएमएस के प्रयोजनार्थ सड़क सूचना प्रणाली सहित सामान-सूची कार्यक्रम उपयोग में लाया जा सकता है ।
(ii) अनुरक्षण संबंधी कार्य में सुधार हेतु खराब रास्ते की मरम्मत के लिए मशीन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाए ।

(iii) कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अनुरक्षण संबंधी कार्य को निजी क्षेत्र को सौंपकर, बाह्य सहायता लेना । प्रचालन, अनुरक्षण और पथकर संविदा संकल्पनाओं को राज्य लोक निर्माण विभागों के अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू किया जाए ।

(iv) कॉरीडोर प्रबंधन जिसमें इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग विशेषज्ञों सहित सड़क खंड का व्यापक प्रबंधन शामिल है, को राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड के उचित प्रबंधन और अनुरक्षण हेतु लागू करना । इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- वांछित मानक अनुसार सड़कों और पुलों का अनुरक्षण
- सुरक्षा संबंधी जोखिमों और यातायात संबंधी रूकावटों से निपटना
- यातायात प्रबंधन
- प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण
- घटना प्रबंधन
- भूमि प्रबंधन

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और द्रुतगामी यातायात के संचलन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि एवं यातायात) अधिनियम, 2002 जो जनवरी, 2005 से लागू किया गया है, के आवश्यक प्रावधान को लागू करने संबंधी उपाए किए जाएंगे । इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने हेतु राजमार्ग प्रशासन की स्थापना पहले ही कर दी गई है ।

3.6 उच्चतर कोटि की सेवा सहित पथकर की बेहतर वसूली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजमार्गों के प्रचालन और अनुरक्षण में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से निजी भागीदारी को आकृष्ट करना लाभप्रद होगा । तथापि, निजी भागीदारी का भविष्य, पीपीपी की कठिनाइयों का समाधान करने के लिए तथा प्रयोक्ताओं और निवेशकों के हितों को संतुलित करने के लिए आवश्यक व्यापक नीति और विनियामक फ्रेमवर्क पर निर्भर करेगा । प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) आधार पर राजमार्गों के प्रचालन और अनुरक्षण में निजी पक्षों की रूचि को बनाए रखने हेतु मॉडल रियायत करार (एमसीए) में एक सटीक नीति और विनियामक ढाँचा (फ्रेमवर्क) दिया जा रहा है । इस फ्रेमवर्क में पीपीपी के लिए विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण बातों जैसे जोखिमों को समाप्त और न्यूनतम करना; जोखिमों का आबंटन और पुरस्कार; प्रमुख पक्षों के बीच दायित्वों की समानता; लागतों एवं दायित्वों की सुस्पष्टता एवं संभाव्यता; लेन-देन लागतों में कटौती; देवीय आपदा; और समापन पर विचार किया गया है ।

3.7 केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अंतर्गत सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए और धारा 8 के अंतर्गत निजी निवेश की परियोजनाओं पर फीस (पथकर) लगाने के लिए प्राधिकृत किया गया है । सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर संग्रहण नीति की समीक्षा की है और नई पथकर नीति/नियमावली,

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 को दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है और दिनांक 03.12.2010 के सा.का.नि. सं. जी 50 (अ) के तहत इसे यथा संशोधित किया गया है ।

3.8 प्रयोक्ता शुल्क की संग्रहण प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया जिसमें सफल निविदादाता, वास्तविक संग्रहण राशि पर ध्यान दिए बगैर निर्धारित उद्धृत राशि का भुगतान करेगा, के माध्यम से शुल्क संग्रहण करने वाली एजेंसी की नियुक्ति की प्रणाली को अपनाया है । दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार, प्रतियोगिता निविदा के माध्यम से ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को काम पर रखा गया है और 21 से ज्यादा पथकर प्लाजाओं के संबंध में एजेंसियों को काम पर रखने का कार्य प्रगति पर है ।

4. पिछले कार्य निष्पादन की समीक्षा

4.1 2010-11 के दौरान कार्य निष्पादन

वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में भिन्नता/कमी के कारणों सहित वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन **अनुलग्नक -XIII** में दिए गए विवरण के अनुसार हैं ।

4.2 2011-12 (31 दिसम्बर, 2011 तक) के दौरान कार्य निष्पादन

क) 31 दिसम्बर, 2011 तक, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित 16,777 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे हो चुके हैं जिसमें से काफी बड़ा हिस्सा अर्थात् 5,831 कि.मी. स्वर्णिम चतुर्भुज पर पड़ते हैं (सारणी नीचे दी गई है) । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को समय से पूरा करने में आई कठिनाइयों में भूमि अधिग्रहण, संरचनाओं को हटाने तथा सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण में देरी होना और कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था की समस्या तथा कुछ ठेकेदारों द्वारा अल्प निष्पादन शामिल है ।

सारणी 4.2 : **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं की प्रगति** : 31 **दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार**

एनएचडीपी घटक	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना										
	स्व.च.	उ.द. और पू.प. चरण I व II	राराविप चरण III	राराविप चरण IV*	राराविप चरण V	राराविप चरण VI	राराविप चरण VII	पत्तन संपर्क	अन्य रारा	एसएआरडीपी-एनई	राराविप जोड़
कुल लंबाई (कि.मी.)	5846	7142	12109	20000	6500	1000	700	380	1390	388	55455
4/6 लेन पूर्ण (कि.मी.)	5831	5914	3024	-	709	-	7	341	946	5	16777
कार्यान्वयन के	15	808	6513	2549	2768	-	34	39	424	107	13257

अधीन (कि.मी.)											
कार्यान्वयन के अधीन ठेकों की संख्या (संख्या)	8	76	90	18	22	-	2	4	5	2	227
कार्य सौंपने हेतु शेष लंबाई (कि.मी.)	-	420	2572	17451	3023	1000	659	-	20	276	25421

ख) 31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का सार **अनुलग्नक -XVII** में दर्शाया गया है ।

ग) स्वर्णिम चतुर्भुज का 99.74 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो जाने से अर्थव्यवस्था पर पर्याप्त प्रभाव पहले ही देखने को मिल रहा है । स्वर्णिम चतुर्भुज के पूरे कर लिए गए खण्डों को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण V के अधीन छह लेन का बनाने के लिए रियायतग्राही को सौंप दिए जाने की संभावना है ।

घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-।। अर्थात : उत्तर दक्षिण-पूर्व पश्चिम महामार्ग के काफी हद तक पूरा हो जाने से कुछ खंडों के संबंध में गति और यातायात परिमाण के संदर्भ में अधिकतम परिणाम देने की दृष्टि से प्रचालन लागत को कम से कम रखकर और सड़क सुरक्षा को बढ़ाकर राजमार्गों के प्रबंधन की कॉरीडोर प्रबंधन तकनीक पर बल देने की आवश्यकता महसूस की गई है । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के पूरे कर लिए गए खंडों पर ओ एण्ड एम ठेकों के जरिए कॉरीडोर प्रबंधन की संकल्पना लागू की जाती है । इसके कार्यक्षेत्र में अन्य बातों के साथ-साथ सड़क अनुरक्षण, सड़क संपत्ति प्रबंधन, प्रासंगिक प्रबंधन, यातायात प्रबंधन और इंजीनियरी सुधार शामिल हैं ।

ड.) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप देने और प्रचालन-अनुरक्षण-हस्तांतरण (ओएमटी) रियायतग्राही के चयन हेतु तकनीकी-वित्तीय परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है । ओएमटी के लिए 28 खंडों की पहचान भी कर ली गई है जिसमें से 6 खंड कार्यान्वयनाधीन हैं । चार खंडों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं । 12 खंडों के लिए एसएफए जमा करवा दी गई हैं और शेष 6 खंडों पर वर्ष 2012-13 और 2013-14 में विचार किया जाएगा ।

4.3 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की स्थिति

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विश्व बैंक (डब्ल्यूबी), एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) से ऋण के रूप में क्रमश: 1965

मिलियन अमेरिकी डॉलर, 1770 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 32060 मिलियन येन की विदेशी सहायता से कई परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है । वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :-

सारणी 4.3 : 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार बाह्य सहायता प्राप्त चालू परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना और राज्य का नाम	लंबाई (कि. मी.)	वित्तपोषण एजेंसी	ऋण राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	पैकेजों की संख्या
1.	तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (टीएनएचपी-उ.प्र. बिहार और झारखंड) (ऋण 31.12.2007 को मिला)	477.00	वि. बैंक	516	8
2.	ग्रांड ट्रंक सड़क सुधार परियोजना (जीटीआरआईपी-उ.प्र. बिहार और झारखंड) (ऋण 30.6.2008 को मिला)	422.00	वि. बैंक	589	7
3.	इलाहाबाद बाइपास परियोजना-उत्तर प्रदेश (ऋण 30.6.2009 को मिला)	84.71	वि. बैंक	240	3
4.	लखनऊ-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (एलएमएनएचपी)- उत्तर प्रदेश, बिहार	511.00	वि. बैंक	620	11
5.	पश्चिमी परिवहन महामार्ग-कर्नाटक (ऋण 30.6.2008 को मिला)	259.00	वि. बैंक	240	5
6.	पूर्व-पश्चिमी महामार्ग योजना-गुजरात (ऋण 30.6.2009 को मिला)	504.60	एडीबी	320	6
7.	रारा-सी (सेक्टर-I) परियोजना-ईडब्ल्यू राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश (ऋण 31.12.2009 को मिला)	602	एडीबी	400	12
8.	रारा-सी (सेक्टर-I) परियोजना ईडब्ल्यू राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूरक)			100	
9.	रारा-सी (सेक्टर-II) परियोजना- मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्रप्रदेश (ऋण 31.12.2009 को मिला)	566	एडीबी	400	13

भारत सरकार ने हाल ही में 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर के टर्म ऋण पर समझौता किया है । ईएपी परियोजनाओं का सारांश दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक** XV और XVI में दिया गया है |

5. वितीय समीक्षा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बजट में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए 2010-11, 2011-12 में किए गए प्रावधान तथा प्राप्त हुई वास्तविक निधियाँ और 2012-13 में प्रस्तावित निधियां निम्नानुसार हैं :-

सारणी 5 : निधियों के स्रोतों का विवरण [वर्ष 2010-11, 2011-12 (जनवरी, 2011 तक वास्तविक) और 2012-13 (बजट प्राक्कलन) बजट प्राक्कलन/संशोधित प्राक्कलन और वास्तविक]

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2010-11			2011-12			ब.प्रा. 2012-13
	ब.प्रा.	सं.प्रा.	वास्तविक	ब.प्रा.	सं.प्रा.	वास्तविक (दिस,11 तक)	
निवेश (उपकर)	7848.98	8440.94	8440.94	8250.00	8381.37	6187.00	7881.95
बाह्य सहायता	400.00	400.00	400.00	22.50	0.00	0.00	180.00
पथकर संग्रहण ऋणात्मक अनुदान, राजस्व हिस्सा और प्रीमियम सहित पथकर राजस्व की वापसी	1623.00	2428.00	1623.00	2981.00	3624.99	3624.99**	3554.03
आईईबीआर	7455.00	2341.00	2138.10	11900.00	12500.00	1531.35@	3000.00

* सरकार के निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2010-11 के बाद धनराशि को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा और इसके बराबर राशि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए वापस जारी की जाएगी ।

@ इसके अतिरिक्त 28 दिसंबर, 2011 को खरीद के लिए कर मुक्त बांडों की पहली ट्रेंच खोली गई और इसकी समग्र खरीद आधार इश्यू साइज से पांच गुणा हुई (5,000 करोड़ रुपए) और इश्यू साइज से 2.5 गुणा हुई (10,000 करोड़ रुपए) । 10,000 करोड़ रुपए की राशि के बांडों का आबंटन जनवरी, 2012 में किया गया था ।

5.1 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वर्ष 2011-12 में आयकर अधिनियम की धारा 54 ईसी के अंतर्गत पूंजीगत लाभ कर छूट बांडों की तुलना में 2500 करोड़ के अलावा, कुल 10,000 करोड़ के कर मुक्त बांडों के माध्यम से धनराशि जुटाने के लिए प्राधिकृत किया गया था । कर मुक्त बांडों की पहली ट्रेंच 28 दिसंबर, 2011 को खोली गई थी और 11 जनवरी, 2012 की निर्धारित अंतिम तारीख (क्लोजर डेट) की तुलना में इसको 5 जनवरी, 2012 को

निर्धारित तारीख से पहले ही बंद कर दिया गया । इसकी समग्र खरीद आधार इश्यू साइज से पांच गुणा हुई (5,000 करोड़ रुपए) और इश्यू साइज से 2.5 गुणा हुई (10,000 करोड़ रुपए) थी । कुल 10,000 करोड़ रुपए की राशि के बांडों का आबंटन 25.01.2012 को किया गया था । बांडों को 28.01.2012 को एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा निवेशकों के डीमैट खाते में जमा करवा दिया गया था । इलेक्ट्रॉनिक विधि और भौतिक वारंटों के माध्यम से रिफंड दिया गया था । बांड प्रमाणपत्र, रिफंड आर्डर और ब्याज वारंट जहां कहीं लागू होता है, को निर्धारित अवधि के भीतर निवेशकों को भेज दिया गया था । बांडों की लिस्टिंग दिनांक 08.02.2012 को बीएससी/एनएससी में कर दी गई है ।

5.2 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं और वर्ष 2010-11, 2011-12 के दौरान वार्षिकियों के भुगतान सहित ऋणों की सर्विसिंग तथा ऋण अदायगी पर किया गया व्यय और वर्ष *20*12-13 के लिए अनुमानित व्यय निम्नानुसार है :-

सारणी 5.2 : निधियों के स्रोतों का विवरण [वर्ष 2010-11, 2011-12 (जनवरी, 2011 तक वास्तविक) और 2012-13 (बजट प्राक्कलन) बजट प्राक्कलन/संशोधित प्राक्कलन और वास्तविक]

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2010-11			2011-12			ब.अ. 2012-13
	ब.प्रा.	सं.प्रा.	वास्तविक	ब.प्रा.	सं.प्रा.	वास्तविक (दिस, 11 तक)	
क) भाराराप्रा द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं	2176.70	4411.56	4302.99	2904.27	2311.71	1616.57	2601.35
ख) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं							
एडीबी द्वारा वित्तपोषित	1055.71	1085.56	1157.72	530.13	517.89	340.55	208.20
डब्ल्यूबी द्वारा वित्तपोषित	861.00	1041.83	1289.28	386.10	577.61	415.96	126.56
उप जोड़ (ख)	1916.71	2127.39	2447.00	916.23	1095.50	756.51	334.76
ग) वार्षिकी/बीओटी परियोजनाएं (भाराराप्रा और निजी क्षेत्र के हिस्से को शामिल करके)	30407.60	21979.88	20595.15	33424.96	34417.81	21664.22	42940.95
जोड़ (क+ख+ग)	**34501.01**	**28518.83**	**27345.14**	**37245.46**	**37825.02**	**24037.30**	**45877.06**
जोड़ें : ब्याज और	604.75	541.19	3156.71	2122.00	2198.33	1198.20	2397.92

बाजार से लिए गए ऋण की अदायगी							
जोड़ें : वार्षिकियों का भुगतान	1818.30	1817.30	1360.17	1817.30	1817.30	766.56	1870.52
जोड़	**36924.06**	**30877.32**	**29021.02**	**41184.76**	**41840.65**	**26002.10**	**50145.50**
घटाएं : वार्षिकी/ बीओटी परियोजनाओं के मामले में निजी क्षेत्र का हिस्सा	21256.00	16683.35	15354.37	23455.58	26150.98	17081.29	27615.08
भाराराप्रा के बजट में से वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं पर कुल व्यय	**15668.06**	**14193.97**	**13666.65**	**17729.18**	**15689.67**	**8920.77**	**22530.42**

उपर्युक्त को देखने से मालूम होता है कि व्यय के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 2011-12 के दौरान व्यय की गति धीमी रही है । योजना निधियों के उपयोग में कमी के मुख्य कारणों में से एक कारण है- विगत में आई आर्थिक मंदी के प्रभाव से और निजी क्षेत्र द्वारा संसाधनों की धीमी व्यवस्था के कारण पहले से ही सौंपी जा चुकी परियोजनाओं के लिए वित्त-व्यवस्था करने में विलंब । इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत परियोजनाएं सौंपने में विलंब भी एक मुख्य कारण है । तथापि, यह आशा है कि निर्माण संबंधी क्रियाकलापों में चालू वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में महत्वपूर्ण रूप से गतिशीलता आएगी ।

उपर्युक्त से यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान अनुमानित व्यय में काफी वृद्धि आई है । ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अनेक परियोजनाएं पहले ही कार्यान्वयन के अधीन हैं और कई परियोजनाएं सौंपी जाने वाली हैं ।

5.3 बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों की स्थिति

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सरकार से प्राप्त अनुदान और ऋण से संबंधित उपयोग प्रमाण-पत्र, 31.12.2011 तक के संबंध में प्रस्तुत कर दिए गए हैं ।

5.4 अव्ययित शेष राशि की स्थिति

31.12.2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सीबीएस बैंक खाते के अंतर्गत मुख्यालय) के पास अव्ययित शेष राशि 2406.67 करोड़ रुपए है ।

6 वर्ष 2012-13 और आगे का भावी परिदृश्य

सरकार ने सुपुर्दगी की विभिन्न विधियों अर्थात : बीओटी (पथकर), बीओटी (वार्षिकी) और ईपीसी के अंतर्गत आगामी वर्षों में 20 कि.मी. प्रतिदिन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-। और चरण-।। में शामिल, पहले से चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा करने के अलावा वर्ष 2012-13 और उससे आगे निम्नलिखित परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जाएगा:-

- 12,109 कि.मी. को 4-लेन का बनाना (राराविप चरण-।।।)
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम
- 20,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को पेव्ड शोल्डर सहित 2/4 लेन का बनाना (राराविप चरण-IV)
- स्वर्णिम चतुर्भुज और कुछ अन्य चुनिंदा खण्डों की 6,500 कि.मी. को 6 लेन का बनाना (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V)
- 1,000 कि.मी. एक्सप्रेस मार्गों का विकास करना (राराविप चरण-VI)
- रिंग रोडों, बाईपासों, ग्रेड सेपरेटर्स, सर्विस रोडों आदि का विकास करना (राराविप चरण-VII)
- नीति के रूप में, चतुर्वेदी समिति की सिफारिश के अनुसार 2010-11 और आगे की कार्य योजनाएं और उनके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता इस शर्त के साथ प्रदान करने का निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लम्बाई का मोटे तौर पर 60 प्रतिशत बीओटी (पथकर) आधार पर, 25 प्रतिशत बीओटी (वार्षिकी) आधार पर और शेष 15 प्रतिशत ईपीसी के आधार पर विकसित किया जाएगा; इसे, मंत्रियों के अधिकारप्राप्त समूह द्वारा अनुमोदित किया गया है । तदनुसार कार्य योजनाओं को संशोधित किया जाएगा ताकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इष्टतम दक्षता प्राप्त कर सके ।

अनुलग्नक-I

परिणाम बजट 2012-2013 को दर्शाने वाला विवरण

(2012-2013 के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य)

राज्य लोक निर्माण विभाग

शीर्ष	**क्र.सं.**	**श्रेणी**	**भौतिक लक्ष्य**	**वित्तीय लक्ष्य (करोड़ रूपए में)**
योजना गत कार्य	1.	मिसिंग लिंक का निर्माण (किमी)	4.00	12.00
	2.	एकल/मध्यवर्ती लेन को दो लेन का बनाना (किमी.)	650.00	1000.00
	3.	दो लेन के कमजोर पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण (उत्थापन) (किमी.)	700.00	750.00
	4.	सड़क गुणता सुधार (किमी)	1400.00	720.00
	5.	बाइपासों का निर्माण (संख्या)	5.00	90.00
	6.	आरओबी के निर्माण सहित पुलों का निर्माण/मरम्मत (संख्या)	105.00	500.00
	7.	चार और अधिक लेन चौड़ीकरण (किमी)	50.00	190.00
	8.	अन्य		38.00
		जोड़		**3300.00**

अनुलग्नक II

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(करोड़ रूपए)

क्र.सं.	वित्तीय लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण : 2012-13 **योजना/कार्यक्रम का नाम**	**कुल लक्ष्य**
1	**एनएचडीपी चरण-I** (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन चौड़ीकरण)	633.11
2	**एनएचडीपी चरण-II** (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन चौड़ीकरण)	5285.29
3	**एनएचडीपी चरण-III** (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन चौड़ीकरण)	19691.74
4	**एनएचडीपी चरण-IV** (पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण)	7325.75
5	**एनएचडीपी चरण-V** (स्वर्णिम चतुर्भुज के चुनिंदा खंडों तथा अन्य खंडों को 6 लेन का बनाया जाना)	11684.43
6	**एनएचडीपी चरण-VI** (एक्सप्रेस मार्गों का विकास)	238.00
7	**एनएचडीपी चरण-VII** (रिंग रोड, बाइपासों, ग्रेड सेपरेटरों, सर्विस रोड आदि)	254.20
8	**एसएआरडीपी-एनई**	764.56
9	ब्याज तथा ऋणों/उधार की अदायगी के भुगतान तथा वार्षिकियों की अदायगी के कारण देयताएं	4268.44
	जोड़	50145.52

अनुलग्नक-III

परिणाम बजट 2012-2013 को दर्शाने वाला विवरण

(2012-2013 के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य)

बीआरडीबी

शीर्ष	क्र. सं.	श्रेणी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (करोड़ रूपए में)
योजनागत कार्य	1	मिसिंग लिंक का निर्माण (किमी)	5.00	7.00
	2.	एकल/मध्यवर्ती लेन को दो लेन का बनाना (किमी.)	145.00	350.00
	3.	दो लेन के कमजोर पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण (उत्थापन) (किमी.)	45.00	35.00
	4.	चार और अधिक लेन चौड़ीकरण (किमी)	1.60	13.00
	5.	बाइपासों का निर्माण (संख्या)	2	15.00
	6.	आरओबी के निर्माण सहित पुलों का निर्माण/पुनरूद्धार (संख्या)	25	68.00
	7.	सड़क गुणता सुधार (किमी)	75.00	40.00
	8.	निम्न ग्रेड खंडों का सुधार (किमी)	13.00	12.00
	9.	अन्य		10.00
		जोड़		**550.00**

अनुलग्नक-IV

दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ रूपए और उससे अधिक लागत की चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना की संस्वीकृत लागत (करोड़ रूपए में)	परियोजना प्रारंभ करने की तारीख	ठेके के अनुसार परियोजना पूर्ण किए जाने की तारीख	पूरा किए जाने की लक्ष्य तारीख	31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार की गई संचयी भौतिक प्रगति	31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार किया गया व्यय (करोड़ रूपए)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	रारा-214 के किमी. 105/500 में गोदावरी नदी की वैनतेया शाखा पर पहुँचमार्गों सहित बडे पुल का निर्माण	49.63 (मू) 70.43 (सं)	28-मार्च-2007	25-अप्रैल-2010	25-अक्तू-2012	54%	36.44	विलंब के मुख्य कारण हैं- सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण, नदी में बाढ़ और भूमि अधिग्रहण ।
2	आंध्र प्रदेश	रारा-202 के किमी. 124/000 से 130/600 तक सड़क गुणता सुधार सहित चार लेन बनाए जाना	24.87 (मू)	9-सित-2010	8-सित-2012	8-सित-2012	60%	12.34	-
3	आंध्र प्रदेश	रारा - 16 (नया रारा - 63) के किमी 135/2 - 8 पर गोदावरी नदी पर बड़े पुल का निर्माण	49.85 (मू)	11-अगस्त-2011	10-अगस्त-2014	10-अगस्त-2014	5%	6.58	-
4	आंध्र प्रदेश	रारा - 18ए (नया रारा - 140) के पुतईपट्टु-तिरिपति सड़क के किमी 0/000 से 58/850 में सड़क गुणता सुधार	48.43 (मू)	24-अक्तू-2011	23-अप्रैल-2013	23-अप्रैल-2013	0%	3.28	दिनांक 24.10.2011 को करार हुआ । कार्य शुरू कर दिया गया ।

5	असम	रारा-31 पर मिलने वाली सड़कों के सुधार तथा पेव्ड शोल्डर के निर्माण सहित किमी. 816/012 से 829/000 तक सुदृढ़ीकरण	20.71 (मू)	24-मई-2010	7-जून-2012	7-जून-2012	95%	15.08	-
6	असम	रारा-31 बी के किमी. 0/000 से 19/659 तक सुदृढ़ीकरण और पेव्ड शोल्डर का निर्माण	28.57 (मू)	5-फर-2011	19-अगस्त-2012	19-अगस्त-2012	66%	5.99	-
7	असम	रारा-37 के एल.जी.बी.आई एयरपोर्ट जंक्शन पर फ्लाईओवर के निर्माण सहित किमी 134/000 से 140/000 (6.00 किमी) तक 4 लेन बनाया जाना	46.16 (मू) 55.58 (सं)	29-मई-2009	12-जून-2011	31-मार्च-2012	93%	14.04	-
8	असम	रारा-37 के किमी. 140/000 से 146/300 तक 4 लेन के गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बाइपास का निर्माण	47.38 (मू) 57.71 (सं)	20-मार्च-2010	31-मार्च-2012	31-मार्च-2012	45%	14.86	-
9	असम	रारा-37 पर मिलने वाली सड़कों के सुधार तथा पेव्ड शोल्डर के निर्माण सहित किमी.100/000 से 115/000 तक सुदृढ़ीकरण	23.38 (मू) 26.26 (प्रथम संशोधन) 30.78 (दूसरा संशोधन)	14-जुलाई-2010	29-जुलाई-2012	29-जुलाई-2012	82%	16.69	-
10	असम	रारा-37 के किमी 6/160 से 32/000 तक पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण	32.93 (मू)	31-दिस-2010	15-जन-2013	15-जन-2013	55%	9.94	-
11	असम	रारा-39 के किमी 61/000 से 69/000 और 96/000 से 103/000 तक पेव्ड शोल्डर सहित सुदृढ़ीकरण	23.60 (मू)	20-मार्च-2010	31-मार्च-2012	31-मार्च-2012	75%	9.77	-

12	असम	रारा-52 के किमी 316/000 से 338/924 तक पेव्ड शोल्डर और 5 स्थानों पर स्पॉट राइडिंग के निर्माण सहित सुदृढ़ीकरण	36.92 (मू)	22-मार्च-2010	31-मार्च-2012	31-मार्च-2012	62%	24.00	-
13	असम	रारा-54 के किमी. 244/000 से 275/000 (दितचेरस - बालचेरा) तक आर-पार नालियों के निर्माण सहित 2 लेन में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	43.79 (मू) 51.61 (सं)	23-नव-2010	7-अप्रैल-2011	31-मार्च-2012	48%	15.86	-
14	असम	रारा-44 के किमी 175/900 से 191/000 में पेव्ड शोल्डर के साथ सुदृढ़ीकरण	35.58 (मू)	20-मार्च-2010	5-अक्तू-2011	31-मार्च-2012	66%	31.27	-
15	असम	रारा - 52 के किमी 338/924 से 349/213 में प्रस्तावित उत्तरी लखीमपुर बाइपास का निर्माण	127.24 (मू)	—	—	—	0%	0.00	निविदा चरण में
16	असम	रारा - 52 के चुनिंदा खंडों में किमी 0/000 से 135/000 में सुदृढ़ीकरण	127.19 (मू)	—	—	—	0%	0.00	निविदा चरण में
17	असम	रारा - 37 के किमी 325/000 से 344/000, 351/000 से 355/000 और 357/000 से 400/000 में पुलों की मरम्मत सहित पेव्ड शोल्डर का सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण	176.22 (मू)	—	—	—	0%	0.00	निविदा चरण में
18	बिहार	रारा-104 के किमी 194/000 -195/000 में 15 X 24 मी (प्रभावी स्पान) उच्च स्तर प्रबलित सीमेंट कंक्रीट भुतही बालन पुल का निर्माण	24.66 (मू) 28.93 (सं)	4-जन-2011	12-मार्च-2013	12-मार्च-2013	15%	4.19	-

19	बिहार	रारा - 105 के किमी 0/000 से 28/000 में दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	109.68	4-अप्रैल-2011	19-जून-2013	19-जून-2013	10%	7.24	-
20	बिहार	रारा - 28बी के किमी 0/000 से 27/000 में दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	82.79	14-सित-2011	23-अगस्त-2013	23-अगस्त-2013	8%	5.75	-
21	बिहार	रारा - 105 के किमी 28/000 से 57/760 में दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	130.05	12-सित-2011	21-अगस्त-2013	21-अगस्त-2013	10%	9.23	-
22	बिहार	रारा - 81 के किमी 30/250 से 55/400 में दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	139.60	17-सित-2011	27-अगस्त-2013	27-अगस्त-2013	5%	5.63	-
23	छत्तीसगढ़	रारा-78 के किमी.287/000 से 314/000 (कटनी-अम्बिकापुर-जसपुर-गुमिया खंड) में सिंगल इंटरमिडिएट लेन पेवमेंट को दो लेन का बनाया जाना और सुधार	21.45 (मू)	13-अगस्त-2010	13-मई-2012	13-मई-2012	60%	11.04	-
24	गुजरात	रारा-89बी और 8ई विस्तार के जंक्शन पर सड़क उपरि पुल सह फ्लाईओवर और रारा-8ई विस्तार में पोरबंदर के निकट रेलवे क्रासिंग का निर्माण	49.58 (मू)	28-दिस-2010	27-अप्रैल-2012	27-अप्रैल-2012	50%	15.86	-
25	गुजरात	रारा-8ए के किमी. 14/600 से 22/600 तक विद्यमान 4 लेन को 6 लेन तक का बनाया जाना	49.45 (मू)	9-अप्रैल-2010	8-अक्तू-2011	31-जन-2012	80%	24.60	-
26	गुजरात	रारा-8ई के किमी. 150/000 से 161/000, 167/150 से 187/760 और किमी 192/000 से 209/000 तक सुदृढ़ीकरण	39.79 (मू)	15-सित-2010	29-सित-2011	31-मार्च-2012	99%	31.74	-

27	गुजरात	रारा - 8E विस्तार के किमी 310/050 से 349/200 और 364/500 से 366/500 में पेव्ड शोल्डर का निर्माण	40.58 (मू)	17-सित-2010	1-अक्तू-2011	31-मार्च-2012	60%	15.43	-
28	गुजरात	रारा - 8सी के किमी 30/650 पर 6 लेन के उपरिपुल का निर्माण	28.03 (मू)	21-अक्तू-2010	20-जन-2012	20-जन-2012	55%	9.70	-
29	हिमाचल प्रदेश	रारा-88 के किमी.140/800 से 145/800 तक हमीरपुर बाइपास का निर्माण	27.51 (मू)	13-मार्च-2010	12-मार्च-2013	12-मार्च-2013	40%	10.44	-
30	हिमाचल प्रदेश	रारा-21ए के किमी. 49/000 से 66/275 तक पिंजौर- बद्दी -नफागढ़ - स्वारघाट सड़क के सुधार सहित चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण	22.73 (मू)	24-अगस्त-2010	23-अगस्त-2013	23-अगस्त-2013	25%	3.08	-
31	हिमाचल प्रदेश	रारा-70 के किमी 118/0 से 141/0 में विद्यमान एकल लेन/मध्यम लेन कैरिजवे का ज्यामितीय सुधार के साथ दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	20.97 (मू)	10-अप्रैल-2011	9-अप्रैल-2013	9-अप्रैल-2013	5%	1.04	-
32	हिमाचल प्रदेश	रारा-70 के किमी 58/400 से 105/0 (किमी 69/0 से 71/400 को छोड़कर) में विद्यमान एकल लेन/मध्यम लेन कैरिजवे का ज्यामितीय सुधार के साथ दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	99.06 (मू)	17-अप्रैल-2011	18-अप्रैल-2014	18-अप्रैल-2014	10%	9.23	-

33	हिमाचल प्रदेश	रारा-88 के किमी 172/0 से 203/0 में विद्यमान एकल लेन/मध्यम लेन कैरिजवे का ज्यामितीय सुधार के साथ दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	70.95 (मू)	6-अगस्त-2011	9-मार्च-2014	9-मार्च-2014	5%	0.17	-
34	हिमाचल प्रदेश	रारा-88 के किमी 203/0 से 215/600 और 218/540 से 223/700 में विद्यमान एकल लेन/मध्यम लेन कैरिजवे का ज्यामितीय सुधार के साथ दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	55.15 (मू)	6-अगस्त-2011	16-सित-2013	16-सित-2013	0%	0.12	कार्य हाल ही में शुरू किया गया
35	हिमाचल प्रदेश	रारा-21A के किमी 35/0 से 49/0 में विद्यमान मध्यम लेन का पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	40.82 (मू)	28-अक्तू-2011	2-दिस-2014	2-दिस-2014	0%	0.04	ठेकेदार द्वारा कार्य अभी शुरू किया जाना है ।
36	झारखंड	रारा-33 पर नामकुम में सुबर्नरेखा नदी पर फ्लाई ओवर सह सड़क उपरि पुल का निर्माण और पहुँचमार्गों सहित उच्चस्तर पुल का निर्माण	26.30 (मू) 45.22 (प्रथम संशोधन) 49.76 (दूसरा संशोधन) (मंत्रालय का हिस्सा-18.69रू.)	16-अक्तू-2008	15-अक्तू-2010	31-मार्च-2012	72%	16.94	-
37	झारखंड	रारा-80 के किमी 261 से 282.90 में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	52.58 (मू)	27-सित-2011	26-सित-2013	26-सित-2013	0%	6.79	कार्य हाल ही में शुरू किया गया । मोबाइलेजशन अग्रिम का भुगतान कर दिया गया ।

38	कर्नाटक	रारा-218 के किमी. 92/000 से 115/000 तक चौड़ीकरण	23.15 (मू) 27.39 (सं)	5-मई-2009	22-जन-2012	22-जन-2012	95%	25.76	नालों को छोड़कर कार्य पूरा कर लिया गया है ।
39	कर्नाटक	रारा-207 के किमी.30/000 से 57/300 तक सड़क गुणता सुधार	21.13 (मू)	4-जन-2010	3-जन-2012	3-जन-2012	90%	17.62	-
40	कर्नाटक	रारा-206 के किमी.91/000 से 103/000 और किमी. 106/000 से 118/000 तक 2 लेन बनाया जाना	22.23 (मू)	6-मार्च-2010	5-मार्च-2012	5-मार्च-2012	60%	8.74	-
41	कर्नाटक	रारा-212 के किमी.240/500 में कबीनी नदी पर बड़े पुल का निर्माण	36.56 (मू) 39.83 (सं)	12-अगस्त-2010	11-फर-2013	11-फर-2013	42%	15.25	-
42	कर्नाटक	रारा - 218 के किमी 255/000 से 277/000, 290/000 से 305/000350/000 से 353/950, 354/850 से 364/000 और 373/000 से 374/000 में नवीकरण/सुधार	24.36 (मू)	17-मार्च-2011	16-फर-2012	16-फर-2012	60%	6.71	-
43	कर्नाटक	रारा-234 के किमी 194/900 से 243/300 (बनवारा - हितियार खंड) में दो लेन चौड़ीकरण	119.40(मू)	22-फर-2011	21-फर-2013	21-फर-2013	10%	10.84	-
44	कर्नाटक	रारा - 234 के किमी 290/200 से 343/800 में मध्यम लेन कैरिजवे का दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	144.64 (मू)	12-सित-2011	11-सित-2013	11-सित-2013	1%	9.28	कार्य हाल ही में शुरू किया गया
45	कर्नाटक	रारा - 234 के किमी 243/300 से 290/200 में दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	124.50 (मू)	—	—	—	0%	0.19	पूर्व-अर्हता चरण पर

46	कर्नाटक	रारा - 234 के किमी 147/975 से 194/555 में दो लेन चौड़ीकरण	137.88 (मू)	2-सित-2011	15-सित-2013	15-सित-2013	0%	9.58	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है
47	केरल	रारा-17 के एक ओर 280.80 मीटर लंबे वायाडक्ट सहित किमी. 436/380 (चै. 1875) के बीच किमी. 437/375 में ऐडापल्ली में सड़क उपरि पुल के आरंभिक पहुंचमार्गों का निर्माण और किमी. 434/000 से 438/827 तक पुनर्संरेखण	14.25 (मू) 17.29 (प्रथम संशोधन) 24.16 (दूसरा संशोधन) 36.13 (तीसरा सं.)	25 Aug 2005 (शेष कार्य, तीसरे संशोधन के आधार पर 22 सित, 2010 को शुरू किया गया)	21-सित-2011	31-मार्च-2012	81%	26.83	शेष कार्य ठेकेदार को दिनांक 14.9.2010 को सौंपा गया और कार्य प्रगति पर है ।
48	केरल	रारा-17 के 5100 मीटर से 11960 मीटर तक कालीकट बाइपास फेज-।। का निर्माण	32.62 (मू) 35.64 (सं)	29-मार्च-2009	19-नव-2011	31-मार्च-2012	90%	19.66	-
49	केरल	रारा-17 के कोडुंगलूर बाइपास (चंदापुरा से कोट्टापुरम) का निर्माण	19.80 (मू) 28.74 (सं)	8-अक्तू-2010	7-जन-2012	7-जून-2012	30%	10.41	-
50	केरल	रारा-17 के किमी. 90/695 पर पदनाक्कड सड़क उपरि पुल के पहुँचमार्गों का निर्माण	14.68 (मू) 29.94 (प्रथम सं.) 36.36 (दूसरा संशोधन)	17-जन-2009	16-जन-2011	31-मार्च-2012	80%	30.90	-
51	केरल	रारा - 208 के किमी 10/000 से 45/000 में सड़क गुणता सुधार	17.56 (मू)21.56 (सं)	25-जुलाई-2011	24-जन-2012	24-जन-2012	80%	20.16	-
52	मध्य प्रदेश	रारा - 69 के किमी 62/000 से 87/400 में दो लेन चौड़ीकरण	22.23 (मू)	10-जून-2010	9-अक्तू-2011	1-जून-2012	73%	10.40	-

53	मध्य प्रदेश	रारा-59ए के किमी 42 से 77 और किमी 124 से 126 में दो लेन चौड़ीकरण	40.17 (मू)	24-जन-2011	23-जन-2013	23-जन-2013	19%	5.25	-
54	मध्य प्रदेश	रारा-86 के सागर-छतरपुर-चमाह खंड के किमी 130/00 से 156/320 और किमी 157/500 से 188/520 में दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/एकल/मध्यम लेन कैरिजवे उत्थापन	70.86 (मू)	19-मार्च-2011	18-मार्च-2013	18-मार्च-2013	22%	8.83	-
55	मध्य प्रदेश	इंदौर-बेतुल खंड पर रारा-59ए के किमी 147 से 181 और 191 से 201 में ज्यामितीय सुधार सहित सतह उत्थापन के साथ दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण और सीडी कार्यों का निर्माण/पुनर्निमाण	66.64 (मू)	16-जन-2011	15-दिस-2012	15-दिस-2012	24%	12.06	-
56	मध्य प्रदेश	रारा-86 विस्तार के सांची-सागर खंड के किमी 166 में किमी 46 से 51, किमी 56 से 87, किमी 102 से 164 एवं 600मी में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	143.95 (मू)	28-जुलाई-2011	27-जुलाई-2013	27-जुलाई-2013	20%	8.18	-
57	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र	रारा-69ए और 26बी के मुल्तई-छिंदवाड़ा-सिवनी खंड और नरसिंहपुर-अमरवाड़ा-उमरानल-सवनेर खंड को पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाया जाना	1560.15 (मू)	21-अक्तू-2011	20-अक्तू-2014	20-अक्तू-2014	1%	19.04	कार्य हाल ही में शुरू किया गया

58	महाराष्ट्र	रारा-17 के किमी. 0/000 से 21/508 (21.508 किमी.) (4 लेन बनाया जाना) तक पनवेल - महाड- पणजी सड़क के जारप से पतरादेवी तक मिसिंग लिंक का निर्माण	99.85 (मू) 183.43 (सं)	23-मार्च-2006	25-अक्तू-2010	28-अप्रैल-2012	70%	156.18	मंत्रालय में संशोधित प्राक्कलन विचाराधीन है ।
59	महाराष्ट्र	रारा - 222 के किमी 587/000 से 592/000 तक भोकर बाइपास और चै. 589/750 पर सड़क उपरिपुल	21.09 (मू) 23.25 (सं)	—	—	—	0%	0.00	हाल ही में संशोधित प्राक्कलन संस्वीकृत किया गया । शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा ।
60	महाराष्ट्र	रारा - 50 के किमी 138/075 से 147/951 तक संगाम्मर शहर के बाहर बाइपास	66.77 (मू)	—	—	—	0%	0.00	कार्य हाल ही में शुरू किया गया
61	मणिपुर	रारा -39 के 366/000 से 387/500 तक इम्फाल- मोनेह खंड का सुदृढ़ीकरण	19.98 (मू) 25.82 (R)	24-मार्च-2010	23-मार्च-2012	23-मार्च-2012	65%	18.84	धीमी प्रगति । कारण बताओ नोटिस दिया गया ।
62	मणिपुर	रारा 39 के किमी 235/000 से 263/000 तक मारम - इम्फाल खंड का सुदृढ़ीकरण	39.25 (मू)	3-अप्रैल-2010	2-अप्रैल-2013	अप्रैल-2013	8%	3.26	कार्य प्रगति पर है । संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत कर दिया गया है ।
63	मणिपुर	रारा - 39 के किमी 338/000 से 353/000 में विद्यमान पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण	18.11 (मू) 21.63 (सं)	28-मई-2010	27-मई-2012	मार्च-2012	80%	15.32	धीमी प्रगति । कारण बताओ नोटिस दिया गया ।
64	मणिपुर	रारा 39 के किमी 400/000 से 430/900 तक इम्फाल - मोनेह खंड का सुदृढ़ीकरण	34.49 (मू) 40.06 (सं)	4-फर-2011	3-फर-2014	3-फर-2014	2%	4.25	कार्य प्रारंभ करने में विलंब करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया ।
65	मेघालय	रारा-51 के किमी. 55/000 से 64/000 तक एकल लेन को 2 लेन का बनाए जाने सहित ज्यामितीय सुधार	22.65 (मू) 32.25 (प्रथम सं.) 35.25 (दूसरा संशोधन)	20-जुलाई-2009	20-जुलाई-2011	31-मार्च-2012	55%	13.13	विलंब के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया ।

66	मेघालय	रारा-62 के किमी.20/000 से 91/000 तक पेवमेंट का पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण	39.86 (मू) 46.24 (प्रथम सं.) 72.11 (दूसरा संशोधन)	11-मार्च-2010	10-मार्च-2012	10-मार्च-2012	35%	27.69	-
67	मेघालय	रारा-40 के किमी. 131/000 से 154/000 तक एकल लेन को 2 लेन का बनाए जाने सहित ज्यामितीय सुधार	36.75 (मू) 42.33 (सं)	11-मार्च-2010	11-मार्च-2012	11-मार्च-2012	50%	20.68	निविदा पुन: आमंत्रित की गई है
68	मेघालय	रारा-40 के किमी. 161/000 पर दवकी पुल का निर्माण	23.12 (मू)	—	—	—	0%	0.00	निविदा पुन: आमंत्रित की गई है
69	मेघालय	रारा - 51 के किमी 21/870 से 43/000 में एकल लेन का दो लेन चौड़ीकरण	18.90 (मू) 34.20 (सं)	1-जुलाई-2008	1-जन-2010	30-जून-2012	90%	17.34	कानून-व्यवस्थी संबंधी समस्या तथा कार्य की व्याप्ति में परिवर्तन के कारण कार्य में विलंब हुआ ।
70	मिजोरम	रारा-154 के किमी. 28/000 से 42/000 तक के खंड का मध्यम लेन कैरिजवे से 2 लेन कैरिजवे में चौड़ीकरण	14.77 (मू) 21.32 (प्रथम सं.) 34.10 (दूसरा संशोधन)	4-अगस्त-2010	4-फर-2012	1-फर-2013	85%	19.05	पहला ठेका समाप्त कर दिया गया । शेष कार्य दूसरे ठेकेदार को सौंप दिया गया ।
71	नगालैंड	रारा-61 के किमी. 220/000 से 240/000 तक ज्यामितीय सुधार सहित 2 लेन बनाया जाना	29.63 (मू)	21-अक्तू-2010	21-अक्तू-2012	21-अक्तू-2012	76%	16.12	-

72	नगालैंड	रारा-61 के किमी. 40/000 से 72/400 तक 2 लेन बनाया जाना	93.68 (मू)	20-जन-2011	20-जन-2014	20-जन-2014	10%	0.00	माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने विद्यमान ठेके को समाप्त किए जाने और प्रथम न्यूनतम निविदादाता के मूल्य पर दूसरे न्यूनतम निविदादाता को ठेका सौंपे जाने का आदेश दिया । प्रथम निविदादाता ने अब उच्चतम न्यायालय में अपील की है ।
73	ओडिशा	रारा-23 के बुद्धापार्क और तलचेर रेलवे स्टेशन के बीच चै. 490/600 में विद्यमान लेवल क्रासिंग के स्थान पर चेनपाल के निकट किमी 5/287 पर सड़क उपरि पुल तक पहुँचमार्गो का निर्माण	23.10 (मू) (मंत्रालय का हिस्सा 11.55 करोड़ रू.) 28.18 (सं) (मंत्रालय का हिस्सा 14.05 करोड़ रू.)	6-अगस्त-2010	5-फर-2012	30-जून-2012	25%	5.19	विलंब के मुख्य कारण हैं- रेलवे द्वारा आरओबी की ऊंचाई में उचित परिवर्तन तथा संबंधित एजेंसियों आदि द्वारा सार्वजनिक सुविधाओं का स्थानांतरण ।
74	ओडिशा	रारा-200 के किमी 89/0 से 104/0 और 117/0 से 131/0 में विद्यमान एकल लेन/मध्यम लेन कैरिजवे का ज्यामितीय सुधार के साथ दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	54.04 (मू)	17-सित-2010	16-सित-2012	16-सित-2012	30%	17.72	-
75	ओडिशा	रारा-201 के किमी 95/0 से 112/110 और 113/800 से 143/400 में विद्यमान एकल लेन/मध्यम लेन कैरिजवे का ज्यामितीय सुधार के साथ दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	123.79 (मू)	4-अक्तू-2010	30-अक्तू-2012	30-अक्तू-2012	6%	10.65	-

76	ओडिशा	रारा-217 के किमी 164/0 से 189/0 में विद्यमान एकल लेन/मध्यम लेन कैरिजवे का ज्यामितीय सुधार के साथ दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	68.87 (मू)	30-अगस्त-2010	29-अगस्त-2012	29-अगस्त-2012	5%	5.53	-
77	ओडिशा	रारा-217 के किमी 329/0 से 375/0 में विद्यमान एकल लेन कैरिजवे का ज्यामितीय सुधार के साथ दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	128.75 (मू)	25-अक्तू-2010	24-अक्तू-2012	24-अक्तू-2012	9%	13.62	-
78	ओडिशा	रारा-201 के किमी 0/0 से 25/0 में विद्यमान मध्यम लेन कैरिजवे का दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	56.35 (मू)	21-सित-2010	20-सित-2012	20-सित-2012	5%	4.74	--
79	ओडिशा	रारा-224 के किमी 159/0 से 184/260 में विद्यमान मध्यम लेन कैरिजवे का दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	81.30 (मू)	30-अगस्त-2010	29-अगस्त-2012	29-अगस्त-2012	5%	5.71	--
80	ओडिशा	रारा-224 के किमी 224/0 से 249/0 में ज्यामितीय सुधार के साथ विद्यमान एकल/मध्यम लेन कैरिजवे का दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	68.81 (मू)	8-सित-2010	7-सित-2012	7-सित-2012	10%	7.48	-

81	पंजाब	हरियाणा - पंजाब सीमा से मलौट शहर में रारा-10 (नया रारा-9) के वियमान कैरिजवे पर पेव्ड शोल्डर की व्यवस्था करके तथा सुदृढ़ीकरण करके किमी 315/500 से 348/550 तक खंड में तथा अबोहर बाइपास के किमी 1/000 से 15/530 तक सुधार	51.43 (मू)	18-मार्च-2011	17-फर-2012	17-फर-2012	60%	17.36	-
82	पंजाब	रारा - 21 के किमी 15/540 से 25/540 और 27/500 से 28/600 में चार लेन चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण और सार्वजनिक सुविधाओं का स्थानांतरण	23.96 (मू)	__	__	__	0%	0.12	-
83	राजस्थान	रारा - 112 के किमी 0/000 से 110/000 में चार लेन चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण	24.07 (मू)	__	__	__	0%	0.12	धारा 3 (सी) के अंतर्गत सार्वजनिक सुनवाई और अधिनिर्णय तैयार किए जाने का कार्य प्रगति पर है । जीएडी के अनुमोदन के लिए 12 लाख रूपए की राशि रेलवे के पास जमा करा दी गई है ।
84	राजस्थान	रारा-112 के बार-बिलारा-जोधपुर सड़क पर 6.25 किमी लंबे बाइपास का निर्माण	27.38 (मू) 22.89 (सं)	1-नव-2010	31-जन-2012	31-जन-2012	26%	4.54	-
85	राजस्थान	रारा - 15 के किमी 148/000 से 151/000 और 152/750 से 156/750 में ज्यामितीय सुधार के साथ दो लेन का चार लेन चौड़ीकरण	28.12 (मू)	4-जुलाई-2011	13-जन-2013	13-जन-2013	7%	1.88	-

86	राजस्थान	रारा - 114 के किमी 129/500 से 140/000 और 153/000 से 176/500 में पेव्ड शोल्डर के साथ सुदृढ़ीकरण	20.64 (मू)	24-अगस्त-2011	24-मार्च-2013	24-मार्च-2013	0%	0.72	कार्य हाल ही में शुरू हुआ है
87	राजस्थान	रारा-112 की बाड-बिलारा-जोधपुर सड़क पर किमी 213/0 से 221/200 और किमी 236/0 से 248/0, 252/0 से 255/0, 321/0 से 328/100 में विद्यमान मध्यम लेन कैरिजवे का ज्यामितीय सुधार के साथ सतह उत्थापन सहित दोहरी लेन चौड़ीकरण	49.65 (मू)	6-मई-2010	15-फर-2012	15-फर-2012	68%	33.42	-
88	राजस्थान	रारा-11ए विस्तार (दोसा-लालसोट-कोथुन सड़क) के किमी 22/0 से 45/0 और किमी 75/0 से 83/0 में ज्यामितीय सुधार के साथ दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण और सीडी कार्यों का निर्माण/पुनर्निमाण	56.98 (मू)	30-मार्च-2011	8-जन-2013	8-जन-2013	9%	1.47	--
89	राजस्थान	रारा-90 (बारां-अकलेरा रोड) पर भूमि अधिग्रहण सहित किमी 0/0 से 5/0, 11/0 से 31/0, 50/0 से 51/0, 57/0 से 59/100 और किमी 64/250 से 88/500 में ज्यामितीय सुधार सहित सतह उत्थापन के साथ दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	122.08 (मू)	28-दिस-2011	6-अक्तू-2013	6-अक्तू-2013	0%	0.15	कार्य हाल ही में शुरू हुआ है

90	तमिलनाडु	रारा-67 के कंगायम (किमी.277/400) से कोयम्बतूर (किमी. 332/600) (केसी - 2) तक दोनों ओर पेव्ड शोल्डर के निर्माण सहित विद्यमान 2 लेन का सुधार	178.00 (मू)	21-अगस्त-2006	10-जन-2009	1-अक्तू-2011	99.9%	132.00	भूमि अधिग्रहण तथा सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण के कारण विलंब
91	तमिलनाडु	रारा-67 विस्तार के किमी. 340/800 से 360/600 तक 4 लेन बनाया जाना और सुदृढ़ीकरण	49.70 (मू)	4-मई-2010	3-मई-2011	31-मार्च-2012	66%	22.21	-
92	तमिलनाडु	रारा - 49 विस्तार के किमी 5/200 से 6/000 में चार लेन चौड़ीकरण एवं सुधार और किमी 39/000 से 48/000, 39/000 से 43/000 और 71/800 से 80/000 में सड़क गुणता सुधार	23.08 (मू)	1-मार्च-2011	31-जन-2012	31-मई-2012	40%	7.91	किमी 39/000 से 43/000 और 9/200 से 9/600 में एसडीबीसी पूर्ण
93	तमिलनाडु	रारा-136 (पुराना रारा-226ई) के किमी. 19/600, 24/600 और 25/400 पर पुलिया के पुनर्निर्माण सहित किमी 0.000 से 66/000 तक 2 लेन में चौड़ीकरण और पेव्ड शोल्डर का सुदृढ़ीकरण करके सुधार	50.56 (मू)	21-जन-2011	20-अप्रैल-2012	20-अप्रैल-2012	84%	35.93	-

94	तमिलनाडु	रारा - 230 के किमी 18/900 से 22/000, 29/000 से 30/000, 32/000 से 38/000 और 54/000 से 50/000 में छोटे पुलों, पुलियाओं, संरक्षण कार्यों के पुनर्निर्माण सहित किमी 18/400 से 23/600 में दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, किमी 19/200 से 23/800 में चौड़ीकरण और 23/800 से 88/400 में सुदृढ़ीकरण	48.70 (मू)	28-फर-2011	27-मई-2012	27-मई-2012	45%	18.94	-
95	उत्तर प्रदेश	कानपुर में रारा-91 के किमी 428/000 पर रेलवे क्रासिंग सं.79डी पर सड़क उपरि पुल का निर्माण	34.41 (मू)	22-जुलाई-2010	21-जुलाई-2012	21-जुलाई-2012	20%	5.09	-
96	उत्तर प्रदेश	रारा - 232 किमी 150/000 से 180/000 तक सुदृढ़ीकरण	48.30 (मू)	30-नव-2010	29-फर-2012	29-फर-2012	75%	24.00	-
97	उत्तर प्रदेश	रारा-231 के किमी 11/000 से 25/000 तक सुदृढ़ीकरण	25.63 (मू)	30-नव-2010	29-नव-2011	29-नव-2011	25%	5.38	-
98	उत्तर प्रदेश	रारा-232 के किमी. 98/000 से 150/000 तक सड़क गुणता सुधार	35.77 (मू)	14-सित-2010	13-मार्च-2012	13-मार्च-2012	80%	19.84	-
99	उत्तर प्रदेश	रारा-232 ए के किमी 0/000 से 51/800 और 61/800 से 65/800 तक सड़क गुणता सुधार	40.30 (मू)	20-अगस्त-2011	19-नव-2012	19-नव-2012	35%	5.04	-
100	उत्तर प्रदेश	रारा-24 के किमी 8/000 से 28/280 तक विद्यमान 4 लेन केरिजवे का 6 लेन केरिजवे में चौड़ीकरण	128.04 (मू)	—	—	—	0%	17.94	स्वीकृति रदद करने के अधीन/समय से पहले बंद करने के लिए

101	उत्तर प्रदेश	रारा - 24 के किमी 211/200 से 263/535 में सड़क गुणता सुधार	28.05 (मू)	12-नव-2010	12-नव-2011	12-नव-2011	65%	14.31	-
102	उत्तर प्रदेश	रारा - 76 के किमी 400/878 से 413/000 में चौड़ीकरण	58.15 (मू)	24-दिस-2011	23-नव-2011	23-नव-2011	0%	0.00	-
103	उत्तर प्रदेश	रारा - 76 के किमी 310 से 316/000, 322/000 से 326/000 और 361/000 से 383/625 में सुदृढ़ीकरण	24.91 (मू)	23-दिस-2011	22-सित-2012	22-सित-2012	0%	0.00	-
104	उत्तर प्रदेश	रारा - 19 के किमी 65/000 से 68/000 और 72/000 से 101/000 में सड़क गुणता सुधार	20.65 (मू)	19-दिस-2011	18-सित-2012	18-सित-2012	0%	0.00	-
105	उत्तर प्रदेश	रारा - 91ए के किमी 0/970 से 33/680 और 43/000 से 52/000 में सुदृढ़ीकरण के साथ विद्यमान मध्यम लेन का चौड़ीकरण	49.53 (मू)	20-दिस-2011	19-मार्च-2013	19-मार्च-2013	0%	0.00	-
106	उत्तर प्रदेश	रारा - 76 के किमी 162/560 से 192/000 में विद्यमान दो लेन कैरिजवे का सुदृढ़ीकरण के साथ चौड़ीकरण	34.67 (मू)	23-दिस-2011	22-जन-2013	22-जन-2013	0%	0.00	-
107	उत्तर प्रदेश	रारा - 232 के किमी 196/000 से 230/000 में सुदृढ़ीकरण	26.13 (मू)	21-दिस-2011	20-दिस-2012	20-दिस-2012	0%	0.00	-
108	उत्तर प्रदेश	रारा - 97 के किमी 32/000 से 43/000 और 53/000 से 56/200 में चौड़ीकरण एवं सतह उत्थापन	29.05 (मू)	—	—	—	0%	0.00	निविदा आमंत्रित की गई है
109	उत्तराखंड	रारा-72 के (विद्यमान चै. 174.200 से 180.160) लछीवाला और डोईवाला बाइपास पर सड़क उपरि पुल का निर्माण	38.34 (मू)	22-जन-2009	21-जन-2010	जून-2012	89%	29.09	रेलवे द्वारा रेल उपरि पुल का कार्य शुरू किए जाने के कारण विलंब

110	पश्चिम बंगाल	रारा-60 के किमी 160/000 से 173/000 तक विद्यमान इंटरमिडिएट केरिजवे का दो लेन में चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण	21.17 (मू)	1-जुलाई-2011	7-मार्च-2012	7-मार्च-2012	30%	4.93	-
111	पश्चिम बंगाल	रारा-117 के किमी 95/000 से 112/500 (नया किमी 113.5) में विद्यमान मध्यम फ्लैक्सीबल पेवमेंट का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	38.99 (मू)	15-दिस-2010	15-दिस-2012	15-दिस-2012	60%	7.87	-
112	पश्चिम बंगाल	रारा-117 के किमी 113/500 से 137/684 तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	52.67 (मू)	11-फर-2011	11-फर-2013	11-फर-2013	25%	10.97	-
113	पश्चिम बंगाल	रारा-2बी के किमी 27/000 से 51/547 तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	41.52 (मू)	23-फर-2011	7-फर-2013	7-फर-2013	25%	5.87	-
114	पश्चिम बंगाल	रारा-60 के किमी 281/000 से 317/000 तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	47.59 (मू)	7-फर-2011	7-फर-2013	7-फर-2013	15%	4.28	-
115	पश्चिम बंगाल	रारा-60 के किमी. 232/000 से 260/000 तक के खंड के विद्यमान मध्यम लेन कैरिजवे को 2 लेन का कैरिजवे बनाया जाना और सुदृढ़ीकरण	49.80 (मू)	11-फर-2011	11-फर-2013	11-फर-2013	70%	22.69	-
116	पश्चिम बंगाल	रारा-31 के किमी 598/000 से 612/000 और 630/000 से 634/000 तक विद्यमान पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण	23.55 (मू)	2-सित-2011	1-फर-2013	1-फर-2013	20%	5.12	-
117	पश्चिम बंगाल	रारा-34 पर सड़क उपरि पुल सहित 5.50 किमी. डलखोला बाइपास का निर्माण	74.78 (मू)	1-सित-2006	1-जुलाई-2009	जून-2012	36%	38.91	-

अनुलग्नक V

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण-क के अंतर्गत सड़कों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	कार्य की व्याप्ति	सड़क की श्रेणी	सड़क लंबाई (कि.मी. में)
1	असम	नगांव-डिब्रूगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग-37 के मौजूदा 2 लेन को 4 लेन का बनाना (बीओटी(वार्षिकी))	रा.रा.	301
2	मेघालय	रा.रा. 40 और रारा-44 को जोड़ने वाले नए शिलौंग बाइपास का निर्माण (2 लेन) (बीओटी(वार्षिकी))	रा.रा.	50
3	मेघालय	रारा-40 पर जोरबाट से बारापानी तक के मौजूदा 2 लेन खंड को चार लेन का बनाना (बीओटी(वार्षिकी))	रा.रा.	62
4	नगालैंड	रारा-39 पर दीमापुर/कोहिमा बाइपास सहित दीमापुर से कोहिमा तक सड़क को चार लेन का बनाना (बीओटी(वार्षिकी))	रा.रा.	81
5	असम	सिलचर बाइपास सहित रा.रा. 36, 51, 52, 53, 54, 61, 152, 153 और 154 के मौजूदा एकल लेन के सड़क खंडों को पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का बनाना	रा.रा.	576
6	मणिपुर/मेघालय/ मिजोरम व असम	मेघालय में जोवाई बाइपास सहित रा.रा. 44, 53, 54 और 154 को 2 लेन का बनाना	रा.रा.	180
7	मेघालय	रारा-40 के विद्यमान दो लेन के बारापानी - शिलौंग खंड तथा शिलौंग शहर में उपरिपुलों का सुधार करना	रा.रा.	54
8	असम और अरुणाचल प्रदेश	डिब्रूगढ़ से रुपई तक रा.रा. 37 को पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का बनाना तथा पुनर्संरेखण और स्टिलवेल सड़क का सुधार और रारा-38 को पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का बनाना	रा.रा.	161
9	त्रिपुरा	अगरतला से सबरुम तक रारा-44 को दो लेन का बनाना	रा.रा.	130
10	असम और अरूणाचल प्रदेश	ईटानगर को 4 लेन का सड़क संपर्क उपलब्ध कराना	37ए, 52 और 52ए	150
11	असम	रारा-37 पर 2 लेन का डिब्रुगढ़ बाइपास बनाया जाना (ईपीसी आधार पर)	रारा	14
12	सिक्किम/पश्चिम बंगाल	गंगटोक के लिए वैकल्पिक राजमार्ग		242
13	मणिपुर/नगालैंड	मणिपुर राज्य को नगालैंड राज्य के साथ संपर्क प्रदान करने के लिए मारम से पारेन की राज्यीय सड़क को दो लेन का बनाना	राज्यीय सड़क	116
14	अरुणाचल प्रदेश	दुदुनघर से होते हुए लुमला से ताशिगोंग तक सड़क का सुधार (भारत-भूटान सड़क)	राज्यीय सड़क	36
15	सिक्किम	गंगटोक से नाथुला तक मौजूदा एकल लेन की सीमा सड़क को दोहरी लेन का बनाना	जी एस सड़क	87

16	अरुणाचल प्रदेश	तालिहा-टाटो और मिगिंग बाइल इंटर बेसिन सडकों को 2 लेन का बनाना/सुधार	राज्यीय सड़क	176
17	मिजोरम	मिजोरम में कलादान बहुमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना को समर्थन देने के लिए लांगतलई से म्यांमार सीमा तक 2 लेन के नये राजमार्ग का निर्माण	राज्यीय सड़क	100
18	सिकिकम/ पश्चिम बंगाल	सिवोक से रानीपुल तक रारा-31ए को दो लेन बनाना	रा.रा.	80
19	मेघालय	नांगस्टोइन-शिलोंग खंड को 2 लेन का बनाया जाना	रारा 44ई	83
20	मिजोरम	किमी 11.500 - किमी 130 तक दो लेन बनाया जाना/पुनर्संरेखण	रारा-44ए	119
21	असम	गोलाघाट-रंगाजन सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	7
22	असम	लुमडिंग - दिफू - मांजा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	56
23	असम	हाफलौंग-जतिंगा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	8
24	असम	धुबरी-गौरीपुर सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	8.5
25	असम	बस्का- बमरा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	25
26	असम	मोरीगांव-जागी सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	23
27	असम	बरपेटा-हावली सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	12
28	असम	गोलपाड़ा-सोलमाड़ी सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	6.5
29	असम	कोकराझार-कारीगांव सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	18
30	असम	उदलगिरि-रावता सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	13
31	मणिपुर	तमेंगलोंग-खोनसांग सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	40
32	मणिपुर	पल्लेल-चंदेल सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	18
33	नगालैंड	लोंगलेंग - चांगतोंग्या सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	35
34	नगालैंड	मोन-तामलू-मेरांगकोंग सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	100
35	नगालैंड	फेक-फुटसिरो सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	79
36	सिक्किम	तारकु-नामची सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	32
37	सिक्किम	ग्यालशिंग - सिंगतम सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	85
38	त्रिपुरा	कैलाशहर- कुमारघाट सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	22
39	मेघालय	नांगस्टोइन-रांगजेंग-तुरा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	201
40	नगालैंड	जुन्हेबोटो-चकबामा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	जीएस सड़क	128
41	मेघालय	नांगस्टोइन-पैंब्रू-वहकाजी-मौथबा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	68
42	मेघालय	नोंगस्टोइन-राम्बरै-मयरसै-चायगांव सड़क का दो लेन में उन्नयन	राज्यीय सड़क	71
43	मेघालय	मौथबा-वहकाजी-फैंगडिलोइन-रानीकोर सड़क का दो लेन में उन्नयन	राज्यीय सड़क	47
44	मेघालय	रानीकोर-नोंघलैम-महेशखोला-बाघमारा सड़क का दो लेन में उन्नयन	राज्यीय सड़क	139
45	सिक्किम	मेली-मनपुर-नामची सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	33

46	सिक्किम	लेगशिप-नया बाजार सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	26
		कुल जोड़		**4099**

<u>अनुलग्नक VI</u>

सड़कों एवं राजमार्गों का अरुणाचल प्रदेश पैकेज

क. दो लेन बनाए जाने के लिए ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग पैकेज के अंतर्गत सड़कें

क्र.सं.	सड़क खंड	अनंतिम लंबाई (किमी.)
1	नेचीपू-सेप्पा सड़क रारा-229	99
2	सेप्पा-खोदासो- रारा-229	110
3	खोदासो-खील-होज रारा 229, वाया सगाली	102
4	होज-पोतिन- रारा-229	20
5	पोतिन-याजिल-जिरो रारा-229	71
6	जिरो - दापोरिजो रारा-229	160
7	दापोरिजो-बामे रारा-229	108
8	बामे -आलो रारा-229	42
9	आलो-पांगिन रारा-229	26
10	पांगिन-पासीघाट रारा-229	84
11	पासीघाट से महादेवपुर रारा-52	
	(i) देवांग घाटी का बड़ा पुल, अलुबारीघाट में बड़े पुल सहित दिगरू से चौखाम तक पुनर्संरेखण के विकल्प के साथ संपर्क सड़कें	30
	(ii) उपर्युक्त (i) में शामिल लंबाई को छोड़ने के पश्चात् शेष खंडों को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाया जाना	140
12	महादेवपुर - बोरदुमसा - नमचिक - जैरमपुर - मम्माओ रारा-52बी	97
13	मम्माओ - चंगलांग	42
14	चंगलांग-खोनसा रारा 52 बी	67
15	खोनसा- तीसा रारा 52 बी	48
16	तिस्सा-लोंगडिंग-कानुबाड़ी रारा 52 बी	80
17	कानुबाड़ी-बिमलापुर 52 बी	16

18	असम में बिमलापुर से रारा-37 के लिंक तक रारा 52 बी	70
	जोड़ (क)	**1412**
ख. रारा 37 और रारा 52 के मिसिंग लिंक		
क्र.सं.	**सड़क खंड**	**अनंतिम लंबाई (किमी.)**
1	रारा 37 पर धोला और सादियाघाट के बीच का मिसिंग पुल और इसके पहुंच मार्ग	28
2	सादिया और शांतिपुर होते हुए, इस्लामपुर तिनाली से रोइंग तक पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनाया जाना	32
	जोड़ (ख)	**60**
ग. अरुणाचल प्रदेश के 5 जिला मुख्यालय शहरों को दो लेन का सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु राज्यीय सड़कों को दो लेन के मानकों के अनुरूप बनाया जाना		
क्र.सं.	**सड़क खंड**	**अनंतिम लंबाई (किमी.)**
1	कोलोरियांग-जोरम सड़क	158
2	यिंगकियांग-मारीयुंग-पासीघाट सड़क	140
3	अनिनी-मेका सड़क	235
4	हवाई-हवा कैम्प सड़क	165
5	हौज- यूपिया-पप्पू सड़क	35
6	बामे-लेकाबाली-अकजान सड़क	114
	जोड़ (ग)	**847**
	कुल जोड़ (क + ख + ग)	**2319**

<u>अनुलग्नक -VII</u>

अब संशोधित चरण 'ख' के अंतर्गत सड़कों की सूची

क्र सं	सड़क की श्रेणी	सड़क की व्याप्ति / खंड	राज्य	अनंतिम लंबाई (किमी)
I. राष्ट्रीय राजमार्ग				
1	रारा- 62	वाया बाघमारा, असम/ मेघालय सीमा से डालू तक दो लेन बनाया जाना	मेघालय	161
2	रारा- 54	आइजोल-तुईपंग खंड को दो लेन का बनाया जाना	मिजोरम	380
3	रारा-54ए	लुंगलेई-थेरीयट खंड को दो लेन का बनाया जाना	मिजोरम	9
4	रारा-54बी	जीरो प्वांइट-सेहा खंड को दो लेन का बनाया जाना	मिजोरम	27
5	रारा- 61	वोखा (किमी 70) से तुली (किमी 220) तक के खंड को दो लेन का बनाया जाना	नगालैंड	150
6	रारा- 150	कोहिमा-नगालैंड/मणिपुर सीमा खंड को दो लेन का बनाया जाना	नगालैंड	132
7	रारा- 155	मोकोकचुंग-जेसामी खंड को दो लेन का बनाया जाना	नगालैंड	340
8	रारा-44ए	मनु-त्रिपुरा/मिजोरम सीमा खंड को दो लेन बनाया जाना	त्रिपुरा	86
		जोड़ (I)		**1285**
II. राज्यीय सड़कें				
9	राज्यीय सड़क	हरंगजाओ- तुरूक होते हुए बराक घाटी (सिलचर) -गुवाहाटी सड़क के बीच वैकल्पिक मार्ग को दो लेन का बनाया जाना	असम	285

10	राज्यीय सड़क	विलियम नगर से नेंखरा सड़क और अन्य सड़क को दो लेन का बनाया जाना (14 और 8 किमी की संबंधित लंबाई के साथ दोतरफा संपर्क)	मेघालय	22
11	राज्यीय सड़क	दोमियासत एवं नांगस्टोइन के बीच सड़क को दो लेन का बनाया जाना/मरम्मत/उन्नयन	मेघालय	54
12	राज्यीय सड़क	बोको (गुवाहाटी को बाइपास करते हुए) से नांगस्टोइन तक दो लेन की वैकल्पिक सड़क का निर्माण	मेघालय	125
13	राज्यीय सड़क	लुंगलेई-दीमागिरि सड़क को दो लेन का बनाया जाना	मिजोरम	92
14	राज्यीय सड़क	चंपई-थाउ सड़क को दो लेन का बनाया -जाना	मिजोरम	30
15	राज्यीय सड़क	फुटसिरो-झामई सड़क को दो लेन का बनाया	नगालैंड	18
16	राज्यीय सड़क	अतिबुंग-खेलमा सड़क को दो लेन का बनाया -जाना	नगालैंड	55
17	राज्यीय सड़क	पेरेन- कोहिमा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	नगालैंड	96
18	राज्यीय सड़क	कुकीताल से सबरूम तक सड़क का सुधार	त्रिपुरा	310
18ए	राज्यीय सड़क	शंक्षक (रारा-150 पर फिंच कॉर्नर के निकट) से रारा-39 पर तैंगनौपल तक की सड़क को 2 लेन का बनाया जाना	मणिपुर	202
		जोड़ (II)		**1289**
III. जीएस सड़कें				
19	जीएस सड़क	चंपई-सेलिंग सड़क को दो लेन का बनाया जाना	मिजोरम	150
20	जीएस सड़क	गंगटोक-मंगम सड़क को 2 लेन का बनाया जाना	सिक्किम	68
		जोड़ (III)		**218**

IV. सामरिक सड़कें				
21	भारत-म्यांमार सड़क	विजयनगर-मिआओ सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	157
22	भारत-म्यांमार सड़क	मिआओ-नमचिक सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	17
23	भारत-म्यांमार सड़क	चांगलांग से खिमियांग सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	35
24	भारत-म्यांमार सड़क	खिमियांग से सांगकुहावी सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	33
25	भारत-म्यांमार सड़क	सांगकुहावी-लाजू सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	40
26	भारत-म्यांमार सड़क	लाजू-वाक्का सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	75
27	भारत-म्यांमार सड़क	वाक्का-खानू सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	21
28	भारत-म्यांमार सड़क	खानू-कोणसा सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	30
29	भारत-म्यांमार सड़क	कोणसा-पंचाओ सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	29
30	भारत-म्यांमार सड़क	पंचाओ-नगालैंड सीमा सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	25
31	राज्यीय सड़क	यिंगकियांग से बिशिंग (पोरगो वाया गिट्टे-पुगिंग-लिकोर-पालिंग-जीदो) सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	160
32	राज्यीय सड़क	जीदो-सिंघा सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	94
33	राज्यीय सड़क	पांगो-जोरगिंग सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया	अरुणाचल प्रदेश	90
34	राज्यीय सड़क	सरकम प्वांइट सिंगा वाया इको--डोम्पिंग सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	125
		जोड़ (IV)		**931**

		जोड़		3723

अनुलग्नक-VIII

केन्दीय सड़क निधि के अंतर्गत दिसंबर, 2011 तक संस्वीकृत किए गए प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जोड़	
		संख्या	लागत (करोड़ रूपए)
1	आन्ध्र प्रदेश	780	1925.20
2	अरुणाचल प्रदेश	63	377.74
3	असम	87	338.90
4	बिहार	69	413.00
5	छत्तीसगढ़	59	505.61
6	गोवा	17	62.61
7	गुजरात	763	1380.41
8	हरियाणा	100	892.87
9	हिमाचल प्रदेश	53	269.30
10	जम्मू और कश्मीर	99	824.85
11	झारखंड	26	332.90
12	कर्नाटक	1335	1530.75
13	केरल	84	620.15
14	मध्य प्रदेश	300	2231.57
15	महाराष्ट्र	639	2357.69
16	मणिपुर	16	51.41
17	मेघालय	30	110.73
18	मिजोरम	24	61.47
19	नगालैंड	15	64.89
20	ओडिशा	172	717.72
21	पंजाब	147	829.16
22	राजस्थान	748	2110.69
23	सिक्किम	26	30.86
24	तमिलनाडु	753	1307.77

25	त्रिपुरा	11	50.42
26	उत्तराखंड	64	319.50
27	उत्तर प्रदेश	201	2526.22
28	पश्चिम बंगाल	33	599.53
जोड़		**6714**	**22843.92**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	7.58
30	चंडीगढ़	11	28.90
31	दादरा और नगर हवेली	0	0.00
32	दमन और दीव	0	0.00
33	दिल्ली	79	493.60
34	लक्षद्वीप	0	0.00
35	पुदुचेरी	9	42.86
जोड़		**101**	**572.94**
कुल जोड़		**6815**	**23416.86**

अनुलग्नक-IX

वर्ष 2001-02 से 2011-12 (31.12.2011 तक) आर्थिक महत्व (ईआई) और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क (आईएससी) के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

(करोड़ रूपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ईआई			आईएससी		
		सं.	लागत	केन्द्रीय अंश	सं.	लागत	केन्द्रीय अंश
1	आन्ध्र प्रदेश	10	77.50	38.75	13	100.37	100.37
2	अरुणाचल प्रदेश	3	39.31	19.65	9	169.69	169.69
3	असम	8	17.94	8.97	12	37.07	37.07
4	बिहार	2	27.81	13.91	3	17.43	17.43
5	छत्तीसगढ़	2	17.17	8.59	5	45.70	45.70
6	गोवा	2	6.72	3.36	1	0.33	0.33
7	गुजरात	26	57.91	28.96	23	80.37	80.37
8	हरियाणा	5	45.50	22.75	9	61.41	61.41
9	हिमाचल प्रदेश	1	8.91	4.46	13	75.86	75.86
10	जम्मू और कश्मीर	7	15.98	7.99	1	67.55	67.55
11	झारखंड	2	42.18	21.09	2	19.00	19.00
12	कर्नाटक	13	80.83	40.42	20	156.06	156.06
13	केरल	2	14.60	7.30	6	54.13	54.13
14	मध्य प्रदेश	11	64.46	32.23	30	241.46	241.46
15	महाराष्ट्र	8	30.34	15.16	43	277.56	277.56
16	मणिपुर	1	30.00	15.00	4	35.35	35.35
17	मेघालय	1	7.00	3.50	5	32.79	32.79
18	मिजोरम	7	64.02	32.01	3	44.03	44.03
19	नगालैंड	5	88.82	44.41	6	93.00	93.00
20	ओडिशा	15	119.08	59.54	9	159.62	159.62
21	पंजाब	0	0.00	0.00	7	45.87	45.87
22	राजस्थान	2	29.96	14.98	36	280.84	280.84
23	सिक्किम	8	74.25	37.12	14	186.98	186.98
24	तमिलनाडु	9	88.41	44.20	15	76.36	76.36
25	त्रिपुरा	6	43.40	21.70	0	0.00	0.00
26	उत्तराखंड	2	20.86	10.43	10	70.19	70.19
27	उत्तर प्रदेश	1	13.44	6.72	11	157.70	157.70
28	पश्चिम बंगाल	1	17.08	8.54	6	155.42	155.42
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
30	चंडीगढ़	2	3.57	1.78	1	4.98	4.98
31	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0.00	8	25.25	25.25
32	दमन और दीव	0	0.00	0.00	2	8.66	8.66
33	दिल्ली	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
34	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
35	पुदुचेरी	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00

जोड़	**162**	**1147.05**	**573.52**	**327**	**2781.03**	**2781.03**

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुलग्नकों की सूची

क्र.सं.		अनुलग्नक सं.
1	परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण (गैर-योजना बजट, योजना बजट एव पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन) (परिणाम बजट 2012-13).	X
2	दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार बीओटी (पथकर) आधारित परियोजनाओं का सारांश दर्शाने वाला विवरण	XI
3	दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार बीओटी (वार्षिकी) आधारित परियोजनाओं का सारांश दर्शाने वाला विवरण	XII
4	समेकित भौतिक एवं वित्तीय परिव्यय तथा परिणामों/लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण : 2010-11	XIII
5	दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन के अधीन स्वर्णिम चतुर्भुज ठेकों को दर्शाने वाला विवरण	XIV
6	दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार स्वर्णिम चतुर्भुज की पूर्णत: पूर्ण हो चुकी पिरयोजनाओं में पूर्ण/चार लेन खंडों को दर्शाने वाला विवरण	XV
7	दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार विदेश सहायता प्राप्त परियोजनाओं का सारांश दर्शाने वाला विवरण	XVI
8	वार्षिक योजना 2011-12 के दौरान तिमाही तिमाही भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण (31.12.2011 की स्थिति के अनुसार)	XVII
9	दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन के अधीन उत्तर दक्षिण-पूर्व पश्चिम ठेकों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	XVIII
10	दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार उत्तर दक्षिण-पूर्व पश्चिम महामार्गों के पूर्णत: पूर्ण हो चुके खंडों में पूर्ण/चार लेन के खंडों का विवरण	XIX
11	दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार सौंपने हेतु शेष लंबाई (उत्तर दक्षिण-पूर्व पश्चिम महामार्ग) दर्शाने वाला विवरण	XX
12	दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन के अधीन अन्य ठेकों को दर्शाने वाला विवरण	XXI
13	दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अन्य परियोजनाओं की पूर्णत: पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में पूर्ण/चार लेन के खंडों का विवरण	XXII
14	दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन के अधीन पत्तन संपर्क परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण	XXIII

अनुलग्नक X

परिव्यय (गैर योजना बजट, योजना बजट और पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन) को दर्शाने वाला विवरण

(परिणाम बजट 2012-13)

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	परिव्यय 2012-13 (प्रस्तावित)			गणनीय लक्ष्य /वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समय सीमा	टिप्पणी/ जोखिम कारक
		4						
1	2	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
		गैर योजना बजट	योजना बजट*	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन**				
1	एनएचडीपी चरण- I	716.75 [एन एच ए आई को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु]	निवेश (उपकर) - .7881.95 करोड़ रू. बाह्य सहायता - 180 करोड़ रू. आईईबीआर (54 ईसी बांड्स जारी किया जाना) - .3000 करोड़ रू.	0.00				
2	एनएचडीपी चरण- II			2405.80				
3	एनएचडीपी चरण- III			12262.65				
4	एनएचडीपी चरण- IV [अभी अनुमोदित नहीं]			4525.26				
5	एनएचडीपी चरण- V			7904.00				
6	एनएचडीपी चरण- VI			209.00				
7	एनएचडीपी चरण- VII			3.07				
8	एसएआरडीपी-एनई			305.31				

*विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दर्शाए गए प्रस्तावित परिव्यय का उपयोग, एनएचडीपी के विभिन्न चरणों के अंतर्गत परियोजनाओं पर व्यय के लिए और ऋण की सर्विसिंग तथा अदायगी के लिए किया जाना है ।

** बी ओ टी (पथकर/वार्षिकी) परियोजनाओं के लिए अनुमानित व्यय राशि का वहन सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत निजी क्षेत्र (रियायतग्राहियों) द्वारा किया जाना है ।

अनुलग्नक-XI

बीओटी पथकर आधारित परियोजनाओं का सारांश

31 दिसंबर, 2011 तक की स्थिति के अनुसार

श्रेणी	सौंपे गए		कुल परियोजना लगत (करोड़ रूपए)	सौंपी गई लागत (करोड़ रूपए)	पूर्ण	
	ठेकों की संख्या	लंबाई किमी में			ठेकों की संख्या	लंबाई किमी
एनएचडीपी चरण I	9	454.1	3598	718.99 (19.98 %)	9	454.1
स्वर्णिम चतुर्भुज	6	373.4	2679.35	739.79 (27.62%)	6	373.4
अन्य	3	80.7	918.65	-20.80 (-2.26%)	3	80.7
एनएचडीपी चरण II	19	992.66	8109.77	631.82 (7.790%)	15	753.83
उत्तर-दक्षिण - पूर्व-पश्चिम	16	787.44	6849.77	683.916 (9.98 %)	12	548.63
अन्य	3	205.217	1260	-52.1 (-4.13%)	3	205.217
एनएचडीपी चरण III	90	7974.18	65976.69	11780.13 (17.85%)	19	1217.67
एनएचडीपी चरण IV	16	2303.05	15608.13	1725.76 (10.91%)	-	-
एनएचडीपी चरण V	25	3477.15	34744.00	3456.06 (9.95%)	3	152.7
एनएचडीपी चरण VII	2	41.12	2335	560.6 (24.00)	-	-
जोड़	161	15242.27	130371.59	18873.26 (14.48%)	46	2578.31
स.प.रा. मंत्रालय	3	83.4			2	30

अनुलग्नक-XII

बीओटी वार्षिकी आधारित परियोजनाओं का सारांश

31 दिसंबर, 2011 तक की स्थिति के अनुसार

श्रेणी	सौंपे गए		कुल परियोजना लागत (करोड़ रूपए)	वार्षिकी (करोड़ रूपए)	पूर्ण	
	ठेकों की संख्या	लंबाई किमी में			ठेकों की संख्या	लंबाई किमी में
एनएचडीपी चरण I	8	475.57	2353.57	288 (12.23 %)	8	476
स्वर्णिम चतुर्भुज	7	382.57	1979	246 (12.43%)	7	383
अन्य	1	93	375	42 (11.2%)	1	93
एनएचडीपी चरण II उत्तर-दक्षिण - पूर्व-पश्चिम	20	1029.65	13912.37	1501.6 (10.668%)	9	548
एनएचडीपी चरण III	18	1518.51	9554.55	868.76 (9.09%)	1	36
एनएचडीपी चरण IV	2	246.3	3134.66	341.2 (10.88%)	-	-
एसएआरडीपी-एनई	2	111.80	762.00	97.38 (12.78%)	-	-
जोड़	**50**	**3381.42**	**29717.28**	**3096.76 (10.42%)**	**18**	**1060**

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

समेकित वास्तविक व वित्तीय परिव्यय और परिणामों/लक्ष्यों का विवरण : 2010-11

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य / वास्तविक	परिव्यय (अनुमानित व्यय) - 2010-11 (करोड़ रूपए)					लक्ष्य / वास्तविक	गणनीय लक्ष्य (कि.मी.) (संचयी)				
			तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	जोड़		तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	जोड़
1	एनएचडीपी चरण- I (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन का बनाया जाना)	लक्ष्य	189.39	163.40	146.17	122.04	**621.00**	पूरा करने हेतु लक्ष्य	20.92	25.28	15.81	18.90	**80.91**
		वास्तविक	380.06	237.63	614.93	640.32	**1872.94**	पूरा करने हेतु वास्तविक	14.14	15.87	13.69	8.90	**52.60**
2	एनएचडीपी चरण- II (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन का बनाया जाना)	लक्ष्य	2112.50	1751.77	1835.23	1841.50	**7541.00**	पूरा करने हेतु लक्ष्य	154.52	82.29	131.74	131.46	**500.01**
								पूरा करने हेतु वास्तविक	149.84	55.33	83.59	29.80	**318.56**
		वास्तविक	1637.29	1359.84	4421.84	1819.52	**9238.49**	सौंपने हेतु लक्ष्य	54.00	0.00	0.00	0.00	**54.00**
								पूरा करने हेतु वास्तविक	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
3	एनएचडीपी चरण- III (सुदृढ़ीकरण सहित	लक्ष्य	3657.74	3387.20	3688.46	4363.60	**15097.00**	पूरा करने हेतु लक्ष्य	270.67	204.87	379.97	525.50	**1381.01**

	4/6 लेन का बनाया जाना)							पूरा करने हेतु वास्तविक	191.09	183.54	405.79	174.81	**955.23**
		वास्तविक	1081.92	1484.20	5187.89	2999.69	**10753.70**	सौंपने हेतु लक्ष्य	765.00	489.00	645.00	0.00	**1899.00**
								पूरा करने हेतु वास्तविक	554.00	163.00	808.37	0.00	**1525.37**
4	एनएचडीपी चरण- IV (पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण)	लक्ष्य	136.00	254.00	402.00	531.00	**1323.00**	पूरा करने हेतु लक्ष्य					
								पूरा करने हेतु वास्तविक					
		वास्तविक			3.49	30.51	**34.00**	सौंपने हेतु लक्ष्य	529.00	1929.00	1218.00	0.00	**3676.00**
								पूरा करने हेतु वास्तविक	0.00	978.00	805.00	0.00	**1783.00**
5	एनएचडीपी चरण- V (स्वर्णिम चतुर्भुज तथा अन्य से संबंधित चुनिंदा खंडों को 6 लेन का बनाना)	लक्ष्य	1795.80	1795.06	2244.86	2596.28	**8432.00**	पूरा करने हेतु लक्ष्य	133.60	108.58	94.40	188.52	**525.10**
								पूरा करने हेतु वास्तविक	60.69	11.88	54.68	36.54	**163.79**
		वास्तविक	867.27	339.55	2475.14	1576.11	**5258.07**	सौंपने हेतु लक्ष्य	316.00	1138.00	557.00	220.00	**2231.00**
								पूरा करने हेतु वास्तविक	225.00	556.00	285.00	0.00	**1066.00**
6	एनएचडीपी चरण- VI (एक्सप्रेस मार्गों का विकास)	लक्ष्य	168.00	233.00	272.00	299.00	**972.00**	पूरा करने हेतु लक्ष्य					**0.00**
								पूरा करने हेतु वास्तविक					**0.00**
		वास्तविक	0.00	2.15	0.00	1.13	**3.28**	सौंपने हेतु लक्ष्य					**0.00**
								पूरा करने हेतु वास्तविक					**0.00**

7	एनएचडीपी चरण-VII (रिंग रोड, बाइपास, ग्रेड सेपरेटर, सर्विस रोड आदि)	लक्ष्य	18.75	24.76	33.51	37.98	**115.01**	पूरा करने हेतु लक्ष्य	1.00	3.00	3.00	6.00	**13.00**
								पूरा करने हेतु वास्तविक	0.00	0.00	7.00	0.00	**7.00**
		वास्तविक	0.00	0.00	0.00		**0.00**	सौंपने हेतु लक्ष्य					**0.00**
								पूरा करने हेतु वास्तविक					**0.00**
6	एसएआरडीपी-एनई	लक्ष्य	100.00	100.00	100.00	100.00	**400.00**	पूरा करने हेतु लक्ष्य					
								पूरा करने हेतु वास्तविक					
		वास्तविक	173.52	0.00	184.65	11.13	**369.30**	सौंपने हेतु लक्ष्य					
								पूरा करने हेतु वास्तविक					
8	ब्याज के कारण देयताएं और ऋण/ उधार चुकता करना तथा वार्षिकियों का भुगतान ।	लक्ष्य	605.76	605.76	605.76	605.76	**2423.04**	लक्ष्य					
		वास्तविक	206.09	43.75	814.87	611.17	**1675.88**	वास्तविक					
जोड़		लक्ष्य	**8783.94**	**8314.95**	**9327.99**	**10497.16**	**36924.05**	पूरा करने हेतु लक्ष्य	**580.71**	**424.02**	**624.92**	**870.38**	**2500.03**
								पूरा करने हेतु वास्तविक	**415.76**	**266.62**	**564.75**	**250.05**	**1497.18**
		वास्तविक	**4346.15**	**3467.12**	**13702.81**	**7689.58**	**29205.66**	सौंपने हेतु लक्ष्य	**1664.00**	**3556.00**	**2420.00**	**220.00**	**7860.00**
								पूरा करने हेतु वास्तविक	**779.00**	**1697.00**	**1898.37**	**0.00**	**4374.37**

अनुलग्नक XIV

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

31.12.2011 की स्थिति के अनुसार स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कार्यान्वयन के अधीन ठेकों का विवरण

क्र. सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई (किमी में)	प्रारंभ की तारीख	करार के अनुसार पूरा किए जाने की तारीख	पूरा करने की अनुमानित तारीख	वास्तविक प्रगति लक्ष्य (%)	वास्तविक प्रगति (%)	वित्त पोषण	कुल परियोजना लागत (करोड़ रूपए)	सौंपी गई लागत (करोड़ रूपए)	चालू वित्त वर्ष में व्यय	संचयी व्यय	ठेकेदार का नाम
1	हरिहर - चित्रदुर्ग	4	77	अक्टूबर-08	जून-10	फरवरी-2012	100.00	84.30	भाराराप्रा	207.56	207.56	28.1	173.32	गैमन इंडिया लि.
2	हावेरी - हरिहर	4	56	नवंबर-08	जुलाई-10	मार्च-2012	100.00	84.66	भाराराप्रा	196.65	196.65	30.96	166.36	गैमन इंडिया लि.
3	गंजम - इच्छापुरम (ओआर-VIII)	5	50.8	जुलाई - 2006	नवंबर -2008	मई-2012	100.00	78.89	भाराराप्रा	263.27	242.76	16.71	258.92	केएमसी कंस्ट्रक्शन लि. - आरके-एसडी (सं.उ.)
4	सुनाखला - गंजम (ओआर-VII)	5	55.713	अक्टूबर -2009	अक्टूबर -2011	जुलाई-2012	100.00	41.54	भाराराप्रा	241.53	231.28	26.15	86.89	केएनआर कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि.

5	भुवनेश्वर - खुर्दा (ओआर-I)	5	27.15	जनवरी -2001	जनवरी -2004	मार्च-2012	100.00	99.45	भाराराप्रा	140.85	118.9	0	153.08	गैमन इंडिया लि. अटलांटा
6	बालासोर - भद्रक (ओआर-III)	5	62.64	दिसंबर -2008	दिसंबर -2010	जुलाई-2012	100.00	95.73	भाराराप्रा	228.7	241.3	40.77	173.06	बीबीईएल - एमआईपीएल (सं.उ.)
7	आगरा-शिकोहाबाद (जीटीआरआईपी/I-ए)	2	50.83	मार्च - 2002	मार्च - 2005	जून-2012	100.00	99.44	वि.बै.	367.49	328.49	0	453.68	ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्रा0 लि.- गैमन इंडिया लि. (सं.उ.)
8	पुल खंड (डब्ल्यूबी-III)	6	1.732	समाप्त					भाराराप्रा	81	67	0	80.2	भागीरथ इंजी. लि.

अनुलग्नक-XV

<u>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण</u>

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान स्वर्णिम चतुर्भुज के पूर्ण हो चुके/4 लेन बनाए गए खंडों का विवरण

क्र. सं.	खंड	किमी से तक	रारा सं.	लंबाई	द्वारा वित्त पोषित	प्रारम्भ की तिथि	कब पूरा हुआ	राज्य का नाम
1	पलसित - दनकुनी	किमी 581 - किमी 646	2	65	वार्षिकी	अक्टू.-2002	जुलाई-2005	पश्चिम बंगाल
2	इच्छापुरम - कोरलम (एपी-4बी)	किमी 233 - किमी 200	5	33	भाराराप्रा	सितंबर-2001	दिसं.-2005	आंध्र प्रदेश
3	बाराचट्टी - गोरहर (जीटीआरआईपी/V-बी)	किमी 240 - किमी 320	2	80	डब्ल्यूबी	मार्च-2002	जुलाई-2007	बिहार[10]/झारखंड[70]
4	गोरहर - बरवा अड्डा (टीएनएचपी/V-सी)	किमी 320 - किमी 398.75	2	78.75	डब्ल्यूबी	सितंबर-2001	सितंबर-2010	झारखंड
5	खंबाक्ती घाट	किमी 772 - किमी 781	4	9	स. प. रा. मंत्रालय	#	मई-2001	महाराष्ट्र
6	पुल खंड (एपी-19)	किमी 162 - किमी 200	5	2.45	भाराराप्रा	अगस्त-2001	मार्च-2005	आंध्र प्रदेश
7	पुल खंड (एपी-20)	किमी 80 - किमी 162	5	0	भाराराप्रा	अगस्त-2001	मई-2005	आंध्र प्रदेश
8	कोरलम - पालसा (एपी-4ए)	किमी 200 - किमी 171	5	29	भाराराप्रा	सितंबर-2001	अगस्त-2005	आंध्र प्रदेश
9	मथुरा - आगरा	किमी 145 - किमी 199	2	54	जेबीआईसी	#	फरवरी-2000	उत्तर प्रदेश
10	बरवा अड्डा - बराकर	किमी 398.75 - किमी 442	2	43	एडीबी	मार्च-1999	दिसं.-2001	झारखंड
11	कटराज पुनर्संरेखण (पीएस-4)	किमी 825 - किमी 30 बाइपास	4	9	भाराराप्रा	नवंबर-2002	जून-2006	महाराष्ट्र
12	मुंबई पुणे एक्सप्रेसमार्ग		4	10	एमएसआरडीसी	#	जुलाई-2002	महाराष्ट्र

13	बराकर - रानीगंज	किमी 442 - किमी 475	2	33	डब्ल्यूबी	#	अप्रैल-2001	पश्चिम बंगाल
14	विजयवाड़ा - चिल्कालूरीपेट पैकेज IV	किमी 10.8 - किमी 13.68	5	2.88	जेबीआईसी	मई-1999	मई-2002	आंध्र प्रदेश
15	पानागढ़ - पलसित	किमी 517 - किमी 581	2	64.457	वार्षिकी	जून-2002	जून-2005	पश्चिम बंगाल
16	विजयवाड़ा - चिल्कालूरीपेट पैकेज III	किमी 408 - किमी 420.5	5	23.78	जेबीआईसी	मार्च-1999	जनवरी-2003	आंध्र प्रदेश
17	दनकुनी - रारा-2/रारा-6 जंक्शन कोलकाता के निकट		2	5	स. प. रा. मंत्रालय	#	#	पश्चिम बंगाल
18	विवेकानंद पुल और पहुंचमार्ग		2	6	बीओटी	सितंबर-2002	जून-2007	पश्चिम बंगाल
19	धनकुनी - कोलाघाट (डब्ल्यूबी-I)	किमी 17.6 - किमी 72	6	54.4	भाराराप्रा	मई-2001	मार्च-2007	पश्चिम बंगाल
20	कोलाघाट - खड़गपुर (डब्ल्यूबी-II)	किमी 72 - किमी 132.45	6	60.45	भाराराप्रा	दिसं.-2000	मार्च-2005	पश्चिम बंगाल
21	खड़गपुर - लक्ष्मणनाथ (डब्ल्यूबी-IV)	किमी 53.41 - किमी 119.275	60	65.86	भाराराप्रा	जून-2001	जून-2006	पश्चिम बंगाल
22	लक्ष्मणनाथ - बालेश्वर (ओआर-4)	किमी 0 - किमी 53.41	60	53.41	भाराराप्रा	मार्च-2001	मई-2007	ओडिशा
23	पुल खंड (ओआर/डब्ल्यूबी-I)	किमी 0 - किमी 119.275	60	0	भाराराप्रा	सितंबर-2001	अगस्त-2006	ओडिशा
24	भद्रक - चंडीखोल (ओआर-II)	किमी 61 - किमी 136	5	75.5	भाराराप्रा	दिसं.-2000	मई-2005	ओडिशा
25	पुल खंड (ओआर-V)	किमी 199.141 - किमी 61	5	11.587	भाराराप्रा	अगस्त-2001	अप्रैल-2008	ओडिशा
26	चंडीखोल - जगतपुर	किमी 28 - किमी 61	5	27.8	जेबीआईसी	फरवरी-2000	जनवरी-2003	ओडिशा
27	जगतपुर - भुबनेश्वर	किमी 0 - किमी 28	5	28	डब्ल्यूबी	#	दिसं.-2000	ओडिशा
28	खुर्दा - सुनाखला (ओआर-VI)	किमी 388 - किमी 338	5	52.058	भाराराप्रा	मई-2001	मार्च-2006	ओडिशा

29	रतनपुर - हिम्मतनगर (यूजी-III)	किमी 388 - किमी 443	8	54.6	भाराराप्रा	नवंबर-2001	दिसं.-2003	गुजरात
30	रानीगंज - पानागढ़	किमी 475 - किमी 517	2	42	एडीबी	मार्च-1999	नवंबर-2001	पश्चिम बंगाल
31	सूरत (चलथान) - अतुल	किमी 263.4 - किमी 343	8	79.6	एडीबी	नवंबर-2000	जून-2005	गुजरात
32	हिम्मतनगर - चिलोदा (अहमदाबाद के निकट) (यूजी-IV)	किमी 443 - किमी 495	8	52	भाराराप्रा	जून-2003	दिसं.-2005	गुजरात
33	दिल्ली-मथुरा	किमी 0 - किमी 145	2	145	एडीबी	#	#	दिल्ली[12]/हरियाणा[74]/उत्तर प्रदेश[59]
34	खागा - कोखराज (टीएनएचपी/III-ए)	किमी 115 - किमी 158	2	43	डब्ल्यूबी	फरवरी-2001	जनवरी-2005	उत्तर प्रदेश
35	गुलाबपुरा - भीलवाड़ा बाइपास (केयू-III)	किमी 70 - किमी 120	79	50	भाराराप्रा	नवंबर-2001	सितंबर-2004	राजस्थान
36	भीलवाड़ा बाइपास - चित्तौड़गढ़ (केयू-IV)	किमी 120 - किमी 183	79	66	भाराराप्रा	नवंबर-2001	मई-2004	राजस्थान
37	चित्तौड़गढ़ - मंगलावाड़ (केयू-V)	किमी 220 - किमी 172	76	48	भाराराप्रा	नवंबर-2001	जनवरी-2004	राजस्थान
38	मंगलावाड़ - उदयपुर (केयू-VI)	किमी 172 - किमी 113.825	76	58.175	भाराराप्रा	नवंबर-2001	मार्च-2005	राजस्थान
39	उदयपुर - केसरियाजी (यूजी-I)	किमी 278 - किमी 340	8	62	भाराराप्रा	अक्टू.-2001	जनवरी-2004	राजस्थान
40	केसरियाजी - रतनपुर (यूजी-II)	किमी 340 - किमी 388.4	8	48.4	भाराराप्रा	अक्टू.-2001	मार्च-2005	राजस्थान
41	अहमदाबाद बाइपास	किमी 495 - किमी 510	8	15	स. प. रा. मंत्रालय	#	#	गुजरात
42	अहमदाबाद-बदोदरा चरण-I	किमी 0.0 - किमी 43.4	8	43.4	एसपीवी	अगस्त-2000	दिसं.-2002	गुजरात
43	इलाहाबाद बाइपास ठेका-I (पुल)	किमी 158 किमी - किमी 159.02	2	1.02	डब्ल्यूबी	सितंबर-2003	अक्टू.-2008	उत्तर प्रदेश

44	औरंगाबाद - बाराचट्टी (टीएनएचपी/V-ए)	किमी 180 - किमी 240	2	60	डब्ल्यूबी	सितंबर-2001	जुलाई-2007	बिहार
45	बदोदरा - सूरत		8	152	स. प. रा. मंत्रालय	#	#	गुजरात
46	पालसा - श्रीकाकुलम (एपी-2)	किमी 171 - किमी 97	5	74	भाराराप्रा	जून-2001	जून-2005	आंध्र प्रदेश
47	अतुल - कजरी	किमी 343 - किमी 381.6	8	38.6	एडीबी	नवंबर-2000	जनवरी-2004	गुजरात
48	कजरी - मनोर	किमी 381.6 - किमी 439	8	57.4	एडीबी	नवंबर-2000	नवंबर-2003	महाराष्ट्र
49	मनोर - बसीम- क्रीक खंड	किमी 439 - किमी 496	8	58	स. प. रा. मंत्रालय	#	जून-2001	महाराष्ट्र
50	बसीम-क्रीक पुल - दहिसर		8	2	स. प. रा. मंत्रालय	#	फरवरी-2000	महाराष्ट्र
51	दहिसर - मुंबई		8	4	स. प. रा. मंत्रालय	#	#	महाराष्ट्र
52	इलाहाबाद बाइपास ठेका-II	किमी 158 किमी - किमी 198	2	38.987	डब्ल्यूबी	जून-2004	दिसं.-2009	उत्तर प्रदेश
53	इलाहाबाद बाइपास ठेका-III	किमी 198 किमी - किमी 242.708	2	44.708	डब्ल्यूबी	नवंबर-2004	दिसं.-2009	उत्तर प्रदेश
54	हंडिया - वाराणसी (टीएनएचपी/III-सी)	किमी 245 - किमी 317	2	72	डब्ल्यूबी	मार्च-2001	अप्रैल-2008	उत्तर प्रदेश
55	वाराणसी - मोहनिया (जीटीआरआईपी/IV-ए)	किमी 317 - 329(0) किमी 0 - किमी 65	2	76	डब्ल्यूबी	मार्च-2002	सितंबर-2010	उत्तर प्रदेश[55]/बिहार[21]
56	मोहनिया - सासाराम (टीएनएचपी/IV-बी)	किमी 65 - किमी 110	2	45	डब्ल्यूबी	फरवरी-2001	मार्च-2006	बिहार
57	सासाराम - डेहरी-ऑन-सोन (जीटीआरआईपी/IV-सी)	किमी 110 - किमी 140	2	30	डब्ल्यूबी	मार्च-2002	जुलाई-2008	बिहार
58	डेहरी-ऑन-सोन - औरंगाबाद (टीएनएचपी/IV-D)	किमी 140 - किमी 180	2	40	डब्ल्यूबी	फरवरी-2001	नवंबर-2005	बिहार
59	विजयवाड़ा - चिल्कालूरीपेट पैकेज II	किमी 380 - किमी 396.8	5	32	जेबीआईसी	मार्च-1999	जनवरी-2003	आंध्र प्रदेश

60	अहमदाबाद-बदोदरा एक्सप्रेसमार्ग चरण-II	किमी 43.3 (नाडियाड -डाकोर एसएच) - किमी 93.302	एनई1	50	एसपीवी	जून-2001	मई-2004	गुजरात
61	कृष्णागिरी - वनियांबदी (केआर-1)	किमी 0.0 - किमी 49.0	46	49	भाराराप्रा	नवंबर-2001	मार्च-2005	तमिलनाडु
62	शिकोहाबाद-इटावा (जीटीआरआईपी/I-बी)	किमी 250.5 - किमी 307.5	2	59.02	डब्ल्यूबी	सितंबर-2005	सितंबर-2008	उत्तर प्रदेश
63	धारवाड़ - हुबली	किमी 433 - किमी 404	4	29	स. प. रा. मंत्रालय	#	अगस्त-2001	कर्नाटक
64	हुबली - हावेरी	किमी 404 - किमी 340	4	64.5	भाराराप्रा	जून-2001	मार्च-2008	कर्नाटक
65	चित्रदुर्ग बाइपास	किमी 207 - किमी 189	4	18	भाराराप्रा	अप्रैल-2007	दिसं.-2010	कर्नाटक
66	चित्रदुर्ग - सीरा	किमी 189 - किमी 122.3	4	66.7	एडीबी	मार्च-2002	मई-2008	कर्नाटक
67	सीरा बाइपास	किमी 122 - किमी 116	4	5.8	भाराराप्रा	जुलाई-2000	अप्रैल-2002	कर्नाटक
68	सीरा - तुमकुर	किमी 116.4 - किमी 75	4	41.4	एडीबी	मार्च-2002	जनवरी-2005	कर्नाटक
69	कानपुर-फतेहपुर (जीटीआरआईपी/II-बी)	किमी 470 - 483(0) किमी 0 - किमी 38	2	51.5	डब्ल्यूबी	मार्च-2002	मई-2008	उत्तर प्रदेश
70	तुमकुर बाइपास	किमी 75 - किमी 62	4	13	भाराराप्रा	जून-2009	दिसं.-2010	कर्नाटक
71	तुमकुर - नीलमंगला	किमी 62 - किमी 29.5	4	32.5	बीओटी	जून-2002	दिसं.-2003	कर्नाटक
72	नीलमंगला - बंगलौर	किमी 30 - किमी 0	4	30	स. प. रा. मंत्रालय	#	#	कर्नाटक
73	बंगलौर - हाथीपल्ली	किमी 0 - किमी 33	7	33	स. प. रा. मंत्रालय	#	#	कर्नाटक
74	बेलगाम बाइपास	किमी 515 - किमी 495	4	18	भाराराप्रा	जून-2001	जून-2006	कर्नाटक
75	होसुर - कृष्णागिरी	किमी 48.6 - किमी 94.0	7	45.4	भाराराप्रा	जून-2001	जनवरी-2004	तमिलनाडु

76	सिकंदरा-भौंती (टीएनएचपी/II-ए)	16 किमी छोटे एमडीआर रूट के माध्यम से किमी 393 - किमी 470	2	62	डब्ल्यूबी	फरवरी-2001	मई-2007	उत्तर प्रदेश
77	वनियांबदी - पल्लीकोंडा (केआर-2)	किमी 49.0 - किमी 100.0	46	51	भाराराप्रा	नवंबर-2001	फरवरी-2006	तमिलनाडु
78	पल्लीकोंडा - रानीपेट और वालाझपेट बाइपास (केआर-3)	किमी 100.0 - किमी 145.0	46	45	भाराराप्रा	अक्टू.-2001	जनवरी-2006	तमिलनाडु
79	वलेलापेट - कांचीपुरम	किमी 106.4 - किमी 70.2	4	36.2	भाराराप्रा	सितंबर-2001	जनवरी-2004	तमिलनाडु
80	फतेहपुर - खागा (टीएनएचपी/II-सी)	किमी 38 - किमी 115	2	77	डब्ल्यूबी	मार्च-2001	सितंबर-2010	उत्तर प्रदेश
81	कांचीपुरम - पूनामल्ली	किमी 70.2 - किमी 13.8	4	56.4	भाराराप्रा	जुलाई-2001	मई-2007	तमिलनाडु
82	दिल्ली-गुड़गांव	किमी 0 - किमी 36	8	36	स. प. रा. मंत्रालय	#	#	दिल्ली[13]/हरियाणा[23]
83	गुड़गांव - कोटपुतली	किमी 36 - किमी 162	8	126	एडीबी	मार्च-1999	मार्च-2001	हरियाणा[55]/राजस्थान[71]
84	कोटपुतली - आमेर	किमी 162 - किमी 248	8	86	एडीबी	#	#	राजस्थान
85	जयपुर बाइपास चरण II	किमी 221 of रारा-8 - किमी 246 of रारा-11	8	34.7	भाराराप्रा	दिसं.-2001	मार्च-2005	राजस्थान
86	जयपुर बाइपास चरण I	किमी 283 - किमी 297	8	14	भाराराप्रा	सितंबर-1998	जनवरी-2001	राजस्थान
87	महापुरा (जयपुर के निकट) - किशनगढ़ (6 लेन)	किमी 273.5 - किमी 363.885	8	90.38	बीओटी	अप्रैल-2003	मार्च-2005	राजस्थान
88	किशनगढ़ में आरओबी		8	1	बीओटी	मार्च-1998	फरवरी-2000	राजस्थान
89	किशनगढ़ - नसीराबाद (केयू-I)	किमी 363.9 (रारा-8) - किमी 15 (रारा-79)	79ए	36.23	भाराराप्रा	नवंबर-2001	जनवरी-2004	राजस्थान
90	हाथीपल्ली - होसुर	किमी 33 - किमी 48.6	7	16	भाराराप्रा	दिसं.-1999	अगस्त-2002	तमिलनाडु

91	चिल्कालूरीपेट - ओंगोल (एपी-13)	किमी 357.9 - किमी 291	5	66	भाराराप्रा	जून-2001	मार्च-2006	आंध्र प्रदेश
92	श्रीकाकुलम - चंपावती (एपी-1)	किमी 97 - किमी 49	5	48	भाराराप्रा	दिसं.-2005	मई-2007	आंध्र प्रदेश
93	चंपावती-विशाखापट्टनम (एपी-3)	किमी 49 - किमी 2.8	5	46.2	भाराराप्रा	जून-2001	फरवरी-2005	आंध्र प्रदेश
94	पुल खंड (एपी-6)	किमी 233 - किमी 98	5	0	भाराराप्रा	सितंबर-2001	जुलाई-2005	आंध्र प्रदेश
95	पुल खंड (एपी-5)	किमी 49- किमी 97	5	0	भाराराप्रा	अगस्त-2001	सितंबर-2003	आंध्र प्रदेश
96	विशाखापट्टनम - अंकापल्ली	किमी 397 - किमी 359	5	38	स. प. रा. मंत्रालय	#	#	आंध्र प्रदेश
97	अंकापल्ली - तुनी	किमी 359.2 - किमी 300	5	58.947	वार्षिकी	मई-2002	जनवरी-2005	आंध्र प्रदेश
98	इटावा बाइपास	किमी 307.5 - किमी 321.1	2	13.6	भाराराप्रा	फरवरी-2006	मई-2008	उत्तर प्रदेश
99	तुनी - धर्मावरम (एपी-16)	किमी 300 - किमी 253	5	47	वार्षिकी	मई-2002	अगस्त-2005	आंध्र प्रदेश
100	धर्मावरम - राजामुंद्री (एपी-15)	किमी 253 -किमी 200	5	53	वार्षिकी	मई-2002	मार्च-2005	आंध्र प्रदेश
101	दीवानचेरू (राजामुंद्री के निकट) - गोवथामी (एपी-17)	किमी 200 - किमी 164.5	5	34.95	भाराराप्रा	जून-2001	मार्च-2005	आंध्र प्रदेश
102	गोवथामी - गुंडुगोलनू (एपी-18)	किमी 164.5 - किमी 80	5	81.08	भाराराप्रा	अगस्त-2001	फरवरी-2004	आंध्र प्रदेश
103	विजयवाड़ा - राजामुंद्री खंड (इलूरू के निकट)	किमी 75 - किमी 80	5	5	भाराराप्रा	जून-2000	मार्च-2002	आंध्र प्रदेश
104	बेलगाम - धारवाड़	किमी 495 - किमी 433	4	62	भाराराप्रा	अप्रैल-2002	जून-2007	कर्नाटक
105	विजयवाड़ा - चिल्कालूरीपेट पैकेज I	किमी 355 - किमी 380	5	25	जेबीआईसी	मार्च-1999	जनवरी-2003	आंध्र प्रदेश
106	नसीराबाद - गुलाबपुरा (केयू-II)	किमी 15 - किमी 70	79	55.87	भाराराप्रा	नवंबर-2001	जनवरी-2004	राजस्थान
107	ओंगोल - कावली (एपी-12)	किमी 291 - किमी 222	5	72	भाराराप्रा	अगस्त-2001	सितंबर-2005	आंध्र प्रदेश

108	कावली - नेल्लौर (एपी-11)	किमी 222 - किमी 178	5	43.8	भाराराप्रा	मई-2001	मई-2005	आंध्र प्रदेश
109	इटावा - राजपुर (जीटीआरआईपी/I-सी)	किमी 321.1 - किमी 393	2	72.825	डब्ल्यूबी	मार्च-2002	मई-2008	उत्तर प्रदेश
110	नेल्लौर बाइपास	किमी 178 .2- किमी 161	5	17.166	वार्षिकी	अक्टू.-2002	सितंबर-2004	आंध्र प्रदेश
111	नेल्लौर - टाडा (एपी-7)	किमी 163.6 - किमी 52.8	5	110.517	बीओटी	अगस्त-2001	दिसं.-2003	आंध्र प्रदेश
112	टाडा - चेन्नै (टीएन-1)	किमी 52.8 - किमी 11	5	41.8	भाराराप्रा	जून-2001	दिसं.-2005	तमिलनाडु
113	मुंबई पूणे एक्सप्रेसमार्ग	किमी 958 - किमी 878	4	80	एमएसआरडीसी	#	अगस्त-2001	महाराष्ट्र
114	पश्चिमी मार्ग परिवर्तन	किमी 0 - किमी 34.25	4	34.25	भाराराप्रा	जून-2000	अक्टू.-2003	महाराष्ट्र
115	कटराज - सरोले (पीएस-3)	किमी 825.5 - किमी 797	4	28.5	भाराराप्रा	नवंबर-2001	मार्च-2007	महाराष्ट्र
116	सरोले - वाथर (पीएस-2)	किमी 797 - किमी 760 किमी 773 - किमी 781 छोड़कर	4	29	भाराराप्रा	नवंबर-2001	दिसं.-2003	महाराष्ट्र
117	वाथर - सतारा (पीएस-1)	किमी 760 - किमी 725	4	35	भाराराप्रा	जुलाई-2001	दिसं.-2003	महाराष्ट्र
118	सतारा - कागल	किमी 725 - किमी 592.24	4	133	बीओटी	फरवरी-2002	मार्च-2006	महाराष्ट्र
119	महाराष्ट्र सीमा-बेलगाम	किमी 592 - किमी 515	4	77	वार्षिकी	जून-2002	अक्टू.-2004	कर्नाटक
120	इलूरू-विजयवाड़ा पैकेज V	किमी 75 - किमी 3.4	5	72	एडीबी	दिसं.-1997	जनवरी-2002	आंध्र प्रदेश

अनुलग्नक-XVI

ईएपी परियोजनाओं का सारांश

31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार

श्रेणी	सौंप दी गई		सौंपी गई लागत (करोड़ रु.)	पूर्ण	
	ठेकों की संख्या	लंबाई किमी में		ठेकों की संख्या	लंबाई किमी में
विश्व बैंक वित्त-पोषित परियोजनाएं					
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण I	18	983	5538	17	932
स्वर्णिम चतुर्भुज	18	983	5538	17	932
अन्य	-	-	-	-	-
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण II (पूर्व पश्चिम कॉरीडोर)	12	487	3208	8	328
उप-जोड़ (ए)	**30**	**1470**	**8746**	**25**	**1260**
एडीबी वित्त-पोषित परियोजनाएं					
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण I	10	615	1866	10	615
स्वर्णिम चतुर्भुज	9	567	1807	9	567
अन्य	1	48	59	1	48
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण II (उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरीडोर)	31	1638	7565	24	1264
उप-जोड़ (बी)	**41**	**2253**	**9431**	**34**	**1879**
जेबीआईसी वित्त-पोषित परियोजनाएं					
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण I	7	150	634	7	150
स्वर्णिम चतुर्भुज	5	111	333	5	111
अन्य	2	39	301	2	39
उप-जोड़ (सी)	**7**	**150**	**634**	**7**	**150**
कुल-जोड़ (ए+बी+सी)	**78**	**3873**	**18811**	**66**	**3289**

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

समेकित वास्तविक व वित्तीय परिव्यय और परिणामों/लक्ष्यों का विवरण : 2011-12

(31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ वास्तविक	परिव्यय (अनुमानित व्यय) - 2011-12 (करोड़ रूपए)					लक्ष्य/ वास्तविक	गणनीय लक्ष्य (कि.मी.) (संचयी)				
			तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	जोड़		तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	जोड़
1	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन का बनाया जाना)	लक्ष्य	241.80	219.53	172.71	113.03	747.07	पूरा करने हेतु लक्ष्य	21.00	25.20	15.80	19.00	81.00
		वास्तविक	222.48	113.90	114.38		450.76	पूरा करने हेतु वास्तविक	14.14	15.96	13.60		43.70
2	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन का बनाया जाना)	लक्ष्य	1810.23	1689.36	1783.66	1803.72	7086.97	पूरा करने हेतु लक्ष्य	154.52	82.29	131.74	131.46	500.01
								पूरा करने हेतु वास्तविक	149.84	55.33	83.59		288.76
		वास्तविक	1178.06	1352.14	1840.23		4370.43	सौंपने हेतु लक्ष्य	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
								सौंपने हेतु वास्तविक	0.00	0.00	0.00		0.00
3	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन का बनाया जाना)	लक्ष्य	4270.29	4336.07	4806.28	5173.58	18586.22	पूरा करने हेतु लक्ष्य	270.67	204.87	379.97	525.50	1381.01
								पूरा करने हेतु वास्तविक	191.09	183.54	405.79		780.42
		वास्तविक	3261.79	4365.94	7932.46		15560.19	सौंपने हेतु लक्ष्य	765.00	489.00	645.00	0.00	1899.00

								सौंपने हेतु वास्तविक	554.15	163.00	808.37		1525.52
4	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IV (पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण)	लक्ष्य	378.75	437.10	466.77	544.93	1827.55	सौंपने हेतु लक्ष्य	316.00	1138.00	557.00	220.00	2231.00
		वास्तविक	275.81	71.94	146.87		494.62	सौंपने हेतु वास्तविक	225.18	555.50	284.72		1065.40
5	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V (स्वर्णिम चतुर्भुज तथा अन्य से संबंधित चुनिंदा खंडों को 6 लेन का बनाना)	लक्ष्य	1873.46	1658.33	2055.26	1989.30	7576.35	पूरा करने हेतु लक्ष्य	133.60	108.58	94.40	188.42	525.00
								पूरा करने हेतु वास्तविक	60.69	11.88	54.68		127.25
		वास्तविक	1053.37	519.78	1374.33		2947.48	सौंपने हेतु लक्ष्य					0.00
								सौंपने हेतु वास्तविक					0.00
6	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI (एक्सप्रेस मार्गों का विकास)	लक्ष्य	24.75	24.76	24.75	74.74	149.00	पूरा करने हेतु लक्ष्य					0.00
								पूरा करने हेतु वास्तविक					0.00
		वास्तविक	0.01	2.26	1.10		3.37	सौंपने हेतु लक्ष्य					0.00
								सौंपने हेतु वास्तविक					0.00
7	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VII (रिंग रोड, बाइपास, ग्रेड सेपरेटर, सर्विस रोड आदि)	लक्ष्य	116.20	64.80	119.66	103.24	403.90	पूरा करने हेतु लक्ष्य		1.00	3.00	9.00	13.00
								पूरा करने हेतु वास्तविक					0.00

		वास्तविक	0.00	4.16	1.25		5.41	सौंपने हेतु लक्ष्य					0.00
								सौंपने हेतु वास्तविक					0.00
8	एसएआरडीपी-एनई	लक्ष्य	240.11	283.11	206.11	139.08	868.41	पूरा करने हेतु लक्ष्य					0.00
								पूरा करने हेतु वास्तविक					0.00
		वास्तविक	0.97	0.11	201.88		202.96	सौंपने हेतु लक्ष्य					0.00
								सौंपने हेतु वास्तविक					0.00
9	ब्याज के कारण देयताएं और ऋण/ उधार चुकता करना तथा वार्षिकियों का भुगतान ।	लक्ष्य	843.45	915.32	794.28	1386.25	3939.30	लक्ष्य					
		वास्तविक	552.60	754.73	657.43		1964.76	वास्तविक					

अनुलग्नक XVIII

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

31.12.2011 की स्थिति के अनुसार उत्तर दक्षिण-पूर्व-पश्चिम महामार्ग के अंतर्गत कार्यान्वयन के अधीन ठेकों का विवरण

क्र. सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई (किमी)	प्रारम्भ की तिथि	करार के अनुसार पूरा करने की तारीख	पूर्ण करने की अनुमानित तारीख	वास्तविक प्रगति लक्ष्य (%)	वास्तविक प्रगति (%)	द्वारा वित्त पोषित	कुल परियोजना लागत (करोड़ रूपए)	सौंपी गई लागत (करोड़ रूपए)	3/2010 तक व्यय	चालू वित्त वर्ष में व्यय	संचयी व्यय	ठेकेदार
पूर्व पश्चिम कॉरीडोर															
1	लखनऊ बाइपास (ईडब्ल्यू-15/यूपी)	56ए एवं बी	22.85	मार्च-2009	अगस्त-2010	जून-2012	19.10	69.00	भाराराप्रा	111.78	111.78	52.72	25.11	77.83	एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
2	लखनऊ-कानपुर (ईडब्ल्यू -/3बी)	25	16	फरवरी-2010	अगस्त-2011	जून-2012	#	53.00	भाराराप्रा	54		23.82	7.42	31.24	नीरज सीमेंट स्ट्रक्चरल लि.
3	नलबारी - बिजनी (एएस-6)	31	25	नवंबर-2005	जून-2009	जून-2012	100.00	74.50	भाराराप्रा	225	182.48	160.93	23.29	184.2	दिनेश चन्द्र आर. अग्रवाल-इन्फ्राकॉन प्रा0 लि. - बनवारी लाल अग्रवाल प्रा0 लि. - ब्रह्मपुत्र कंसोर्शियम लि.
4	बिजनी - असम / पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-12)	31सी	30	नवंबर-2005	जून-2008	सितंबर-2012	89.36	58.85	भाराराप्रा	230	218.37	192.04	18.2	210.2	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि.
5	बिजनी - असम / पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-11)	31सी	30	नवंबर-2005	जून-2008	जून-2012	100.00	48.35	भाराराप्रा	195	199.41	159.82	18.68	178.5	जीपीएल- ईसीआई (संउ)

6	बिजनी - असम / पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-10)	31सी	33	नवंबर-2005	जून-2008	दिसं.-2012	100.00	54.50	भाराराप्रा	237.8	248.69	184.72	27.82	212.5	जीपीएल- ईसीआई (संउ)
7	असम/पश्चिम बंगाल सीमा से गैरकट्टा (डब्ल्यूबी-1)	31सी	32	जून-2006	नवंबर-2008	मार्च-2012	100.00	79.58	भाराराप्रा	221.82	228.43	209.72	42.95	252.7	इटेलियन थाई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कं.लि.
8	गोरखपुर बाइपास	28	32.6	अप्रैल-2007	अक्टू.-2009	जून-2012	100.00	90.00	वार्षिकी	600.24	48.6	636.52	101.7	738.2	गैमन इंडिया लि. - इटेलियन थाई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कं.लि.
9	नगांव से धर्मातुल (एएस-2)	37	25	दिसं.-2005	जून-2008	जून-2012	100.00	78.51	भाराराप्रा	264.72	273.8	229.37	31.92	261.3	मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लि..
10	ब्रह्मपुत्र पुल (एS-28)	31	5	अक्टू.-2006	अप्रैल-2010	दिसं.-2012	75.00	47.60	भाराराप्रा	217.61	238.34	113.47	47.83	161.3	गैमन इंडिया लि.
11	नलबारी - बिजनी (एएस-9)	31	21.5	दिसं.-2005	जून-2008	मार्च-2012	100.00	96.86	भाराराप्रा	142	131.22	202.06	19.35	221.4	पुंज लॉयड लि.
12	गंगा पुल से रामा देवी क्रासिंग (यूपी-6)	25	5.6	दिसं.-2005	सितंबर-2008	जून-2012	100.00	45.95	भाराराप्रा	201.66	159.06	76.56	17.58	94.14	गैमन इंडिया लि.
13	नलबारी से बिजनी (एएस-7)	31	27.3	अक्टू.-2005	अप्रैल-2008	दिसं.-2012	100.00	64.40	भाराराप्रा	208	207.17	173.55	56.28	229.8	केएमसी कंर्सोशियम लि.
14	गुवाहाटी से नलबारी (एएस-5)	31	28	अक्टू.-2005	अप्रैल-2008	दिसं.-2012	100.00	70.19	भाराराप्रा	198.16	192.87	157.22	31.97	189.2	पुंज लॉयड लि.
15	झंझारपुर से दरभंगा (बीआर-7)	57	37.59	अप्रैल-2006	सितंबर-2008	मार्च-2012	100.00	82.10	भाराराप्रा	340	388.23	410.71	54.02	464.7	मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लि.
16	पहुँचमार्ग और गाइडबंध तथा एफलक्स बंध सहित कोसी पुल (बीआर-5)	57	10.63	अप्रैल-2007	अप्रैल-2010	जनवरी-2012	97.57	91.77	वार्षिकी	418.04	31.9	279.39	63.87	343.3	गैमन इंडिया लि. - जीआईपीएल - कंर्सोशियम

17	सिमराही - रिंग बंध (मिसिंग लिंक) (बीआर-4)	57	15.15	अप्रैल-2006	अप्रैल-2008	फरवरी-2012	93.00	91.54	भाराराप्रा	100.5	115.56	199.25	13.12	212.4	सिम्पलेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
18	देवापुर से उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा (एलएमएनएचपी-9)	28	41.085	नवंबर-2005	अक्टू.-2008	जून-2012	53.34	35.50	डब्ल्यूबी	300	357.14	151.14	19.09	170.2	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि.
19	कोटवा से देवापुर (एलएमएनएचपी-10)	28	38	नवंबर-2005	नवंबर-2008	मार्च-2012	100.00	86.00	डब्ल्यूबी	240	263.97	240.86	44.7	285.6	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि. एमवीआर (सं.उ.)
20	फोरबिसगंज-सिमराही (बीआर-3)	57	34.87	अप्रैल-2006	सितंबर-2008	मार्च-2012	82.65	62.00	भाराराप्रा	332.94	356.51	248.75	69.65	318.4	गैमन इंडिया लि.
21	नलबारी से बिजनी (एएस-8)	31	30	दिसं.-2005	जून-2008	जून-2012	100.00	93.03	भाराराप्रा	200	187.07	244.42	20.18	264.6	पुंज लॉयड लि.
22	मैबंग से लुमडिंग (एएस-24)	54	15	जनवरी-2011	जुलाई-2013	जुलाई-2013	10.00	14.00	भाराराप्रा	280.13	225.33	29.12	28.66	57.78	एनकेसी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.
23	यूपी/बिहार सीमा से कसिया (एलएमएनएचपी-8)	28	41.115	दिसं.-2005	दिसं.-2008	मार्च-2012	100.00	96.00	डब्ल्यूबी	227	259.77	333.08	42.4	375.5	सिम्पलेक्स
24	गगोधर - गारामोड (पैकेज-IV)	15, 8ए	90.3	फरवरी-2005	नवंबर-2007	फरवरी-2012	100.00	99.00	एडीबी	479.54	339.02	435.53	1.86	437.4	डेलिम इंडस्ट्रीयल कार्पो. लि. - नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कं. लि. (सं.उ.)
25	उरई से झांसी (यूपी-5)	25	50	सितंबर-2005	मार्च-2008	मार्च-2012	100.00	86.90	एडीबी	340.68	302.97	333.65	27.22	360.9	इरकॉन इंटरनेशनल लि.
26	चम्बल पुल (आरजे-5)	76	1.4	नवंबर-2006	फरवरी-2010	जुलाई-2013	78.06	59.26	भाराराप्रा	281.31	213.59	178.4	0.83	179.2	हुदंई इंजी. कंस्ट्र. कं.लि. - मै0 गैमन इंडिया लि.
27	कोटा बाइपास (आरजे-4)	76	26.42	मई-2006	नवंबर-2008	सितंबर-2012	100.00	98.50	भाराराप्रा	250.39	205.51	275.26	2.24	277.5	आईटीडी सीमा इंडिया (सं.उ.)

28	सोनापुर से गुवाहाटी (एएस-3)	37	19	सितंबर-2005	जून-2009	मई-2012	100.00	59.07	भाराराप्रा	245	166.71	458.58	30.59	489.2	महेश्वरी ब्रदर्स लि.-टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट इंडिया लि.
29	धर्मतुल - सोनापुर (एएस-20)	37	22	नवंबर-2005	मई-2008	जून-2012	99.00	60.46	भाराराप्रा	160	137.75	98.01	32.42	130.4	केएमसी कंस्ट्रक्शन लि.
30	सिलिगुडी से इसलामपुर (डब्ल्यूबी-7)	31	26	जनवरी-2006	जुलाई-2008	दिसं.-2012	100.00	60.65	भाराराप्रा	225	211.07	173.03	4.4	177.4	इरकॉन इंटरनेशनल लि.
31	दबोका -नगांव (एएस-17))	36	30.5	दिसं.-2005	जून-2008	मार्च-2012	100.00	88.60	भाराराप्रा	225	202.18	238.86	23.72	262.6	मेयतास इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
32	गुवाहाटी - नलबारी (एएस4-)	31	28	दिसं.-2005	अप्रैल-2008	दिसं.-2012	100.00	33.10	भाराराप्रा	175.96	173.62	101.65	25.25	126.9	पुंज लॉयड लि.
33	मैबंग से लुमडिंग (एएस-25)	54	28	जनवरी-2011	जुलाई-2013	जुलाई-2013	8.50	2.50	भाराराप्रा	385.13	372.64	29.6	5.2	34.8	मेयतास इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
34	मैबंग से लुमडिंग (एएस-26)	54	23	जुलाई-2011	जनवरी-2014	जनवरी-2014	2.00	1.60	भाराराप्रा	167.64	179.25	0	2.12	2.12	सिम्पलेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
35	मैबंग से लुमडिंग (एएस-27)	54	21	अक्टू.-2006	अप्रैल-2009	मार्च-2013	74.00	23.00	भाराराप्रा	200	198.68	73.55	12.72	86.27	गायत्री-ईसीआई (सं उ.)
36	हरंगजो से मैबंग (एएस-23)	54	16	अगस्त-2006	फरवरी-2009	मार्च-2013	100.00	52.38	भाराराप्रा	280	317.11	209.64	22.35	232	हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.
37	हरंगजो से मैबंग (एएस-22)	54	24	नवंबर-2011	अप्रैल-2014	अप्रैल-2014	#	#	भाराराप्रा	363.74	318.67	0	0.36	0.36	एनकेसी- जेकेएम (सं उ.)
38	हरंगजो से मैबंग (एएस-21)	54	26	नवंबर-2011	अप्रैल-2014	अप्रैल-2014	#	#	भाराराप्रा	386.1	333.83	0	1.79	1.79	एनकेसी- जेकेएम (सं उ.)
39	सिलचर-उदरबंद (एएस-1)	54	32	सितंबर-2004	सितंबर-2007	जून-2012	100.00	67.50	भाराराप्रा	154.57	115.86	166.86	18.12	185	पुंज लॉयड लि.
40	कसिया से गोरखपुर (एलएमएनएचपी-7)	28	40	दिसं.-2005	दिसं.-2008	जनवरी-2012	100.00	97.50	डब्ल्यूबी	242	253.12	348.34	85.74	434.1	एनसीसी-वीईई (सं.उ.)

41	धर्मतुल से सोनापुर (एएस-19)	37	25	दिसं.-2005	जून-2008	जून-2012	100.00	76.89	भाराराप्रा	200	173.15	175.34	24.06	199.4	मेयतास इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
उत्तर दक्षिण कॉरीडोर															
1	कुंजवानी से विजयपुर (एनएस-15/जे एंड के)	1ए	17.2	जनवरी-2002	दिसं.-2004	मार्च-2012	100.00	99.00	भाराराप्रा	110	83.88	148.16	0.41	148.6	सीमा सड़क संगठन
2	गुंडला पोचमपल्ली से बोवनपल्ली शिवरामपल्ली से थोंडापल्ली (एनएस-23/एपी)	7	23.1	समाप्त					भाराराप्रा	71.57	60.35	119.11	0.48	119.6	एम.बी.पटेल कंस्ट्रक्शन लि.
3	काजीगुंड-बनीहाल	1ए	15.25	जुलाई-2010	जुलाई-2015	जुलाई-2015	#	#	वार्षिकी	1987	245	0	0	0	नवयुग इंजीनियरिंग कं.लि.
4	ग्वालियर-झांसी	75	80	जून-2007	दिसं.-2009	जून-2012	99.94	70.26	वार्षिकी	604	52.29	411.85	1.01	412.9	डीएससी-अपोलो कंर्सोशियम
5	कांपटी कानून और नागपुर बाईपास सहित मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा से नागपुर तक 4 लेन बनाया जाना	7	95	अप्रैल-2010	जून-2012	अक्टू.-2012	65.58	77.68	बीओटी	1170.5	455.21	4.41	0	4.41	ओरियंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स लि.
6	श्रीनगर बाइपास (पुल खंड) (एनएस-30ए)	1ए	1.23	जून-2006	दिसं.-2008	अक्टू.-2012	100.00	84.25	भाराराप्रा	62.96	62.96	22.82	10.99	33.81	वलेचा इंजीनियरिंग लि.
7	अरमूर-कडलूर येल्लारेड्डी (एनएस-2/एपी-1) (अनुमोदित लांबाई 60.25)	7	59	फरवरी-2010	फरवरी-2012	अप्रैल-2012	98.88	84.50	बीओटी	390.56	112.6	278.19	271.5	549.7	नवयुग केपीसीएल कंर्सोशियम

8	सागर -राजमार्ग चौराहा (एडीबी-II/सी-6)	26	44	अप्रैल-2006	अक्टू.-2008	दिसं.-2012	100.00	85.16	एडीबी	203.43	163.87	181.43	33.08	214.5	शांगयोंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लि.
9	चेनानी -नशरी	1ए	12	जून-2010	जून-2015	जून-2015	#	#	वार्षिकी	2159	317.52	0	0	0	आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लि.
10	राजमार्ग चौराहा - लखनादोन (एडीबी-II/सी-8)	26	54	अप्रैल-2006	अक्टू.-2008	दिसं.-2012	100.00	77.80	एडीबी	251.03	219.01	247.23	37.06	284.3	शांगयोंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लि.
11	श्रीनगर से बनिहाल	1ए	67.76	#	#	#	#	#	वार्षिकी	1100.7	134.82	0	0	0	रैमकी इन्फ्रा एंड जेपीटीईजी
12	जम्मू - उधमपुर	1ए	65	जुलाई-2010	जुलाई-2013	जुलाई-2013	#	#	वार्षिकी	1813.8	201.9	0	0	0	शपूरजी एंड पलोंजी कं. लि.
13	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी-2)	25, 26	49.7	मार्च-2007	सितंबर-2009	फरवरी-2012	100.00	87.44	वार्षिकी	355.06	29.95	294.38	21.51	315.9	गायत्री - आईडीएफसी कंर्सोशियम
14	लखनदोन से एमपी/एमएच सीमा (एनएस-1/बीओटी/एमपी-2)	7	49.35	मार्च-2007	सितंबर-2009	अक्टू.-2012	100.00	81.27	वार्षिकी	263.17	22.42	232.7	0.68	233.4	नवभारत-फेरो अलॉयज लि. (मालक्ष्मी हाइवेज प्रा.लि.)
15	बोरखेडी-जाम (एनएस-22/एमएच)	7	27.4	जून-2005	दिसं.-2007	अप्रैल-2012	100.00	99.00	भाराराप्रा	110	89.39	111.17	1.69	112.9	जेएसआर कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि.- केतन कंस्ट्रक्शन लि.
16	राजमार्ग चौराहा से लखनादोन (एडीबी-II/सी-9)	26	54.7	अप्रैल-2006	अक्टू.-2008	सितंबर-2012	100.00	78.80	एडीबी	229.91	203.504	197.6	33.69	231.3	शांगयोंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लि.
17	जम्मू से कुंजवानी (जम्मू बाइपास) एनएस-33/जे एंड के	1ए	15	नवंबर-2005	मई-2008	मार्च-2012	100.00	85.00	भाराराप्रा	85.34	74.87	85.67	1.4	87.07	एम. वेंकट राव इंजीनियरिंग

18	केलापुर - पिम्पलखट्टी (एनएस-62)	7	22	समाप्त					भाराराप्रा	117.4	92.59	37.34	0.71	38.05	देवी एंटरप्राइजेज लि.
19	वाडनेर-देवधारी (एनएस-60/एमएच)	7	29	फरवरी-2011	नवंबर-2010	नवंबर-2012	100.00	18.34	भाराराप्रा	193.45	160.22	29.04	0	29.04	रोमन टारमट लि.
20	पठानकोट- भोगपुर (एनएस-38/पीबी)	1ए	44	फरवरी-2010	अगस्त-2012	अगस्त-2012	72.30	34.65	भाराराप्रा	359		93.38	57.33	150.7	आईवीआरसीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
21	पठानकोट- भोगपुर (एनएस-37/पीबी)	1ए	40	नवंबर-2005	मई-2008	मई-2012	100.00	70.97	भाराराप्रा	284	286.7	318.59	28.17	346.8	आईटीडी सीमेंटेशन (आई) लि.
22	पठानकोट से जम्मू और कश्मीर सीमा (एनएस-36/जे एंड के)	1ए	19.65	नवंबर-2005	मई-2008	जून-2013	100.00	75.19	भाराराप्रा	97.73	90.11	203.97	23.99	228	एम. वेंकट राव इंजीनियरिंग
23	ग्वालियर बाइपास (एनएस-1/बीओटी/एमपी-1)	75, 3	42	अप्रैल-2007	अक्टू.-2009	जून-2012	100.00	94.16	वार्षिकी	300.93	26.53	293.85	0.72	294.6	रैमकी - इरा - श्रीराम कंर्सोशियम
24	विजयपुर से पठानकोट (एनएस-34/जे एंड के)	1ए	33.65	सितंबर-2005	फरवरी-2008	मार्च-2012	100.00	93.00	भाराराप्रा	166.3	151.36	167.6	16.97	184.6	आईटीडी सीमेंटेशन (आई) लि.
25	वडक्कनचेरी - त्रिशुर खंड को 6 लेन का बनाना	47	30	फरवरी-2010	अक्टू.-2013	अक्टू.-2013	6.00	3.60	बीओटी	617	243.99	154.52	0	154.5	केएमसी कंस्ट्रक्शन लि. सीआर18जी कंर्सोशियम
26	सागर बाइपास (एडीबी-II/सी-5)	26	26	अप्रैल-2006	अक्टू.-2008	मई-2012	100.00	95.60	एडीबी	151.3	116.073	158.49	15.47	174	शांगयोंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लि.
27	ललितपुर- सागर (एडीबी-।।/सी-4)	26	55	अप्रैल-2006	अक्टू.-2008	अप्रैल-2012	100.00	93.11	एडीबी	225	171.463	236.43	21.04	257.5	आईजेएम कॉरपोरेशन
28	नए आगरा बाइपास को चार लेन का बनाना (एनएस-1/यूपी-1)	2,3	32.8	अक्टू.-2007	अक्टू.-2010	जून-2013	#	#	भाराराप्रा	465.5	385.15	109.8	8.21	118	पीएनसी इंफ्राटेक लि..

29	चेंगापल्ली से कोयम्बतूर बाइपास और कोयम्बतूर बाइपास के छोर से तमिलनाडु केरल तक /सीमा	47	54.83	सितंबर-2010	मार्च-2013	मार्च-2013	53.61	39.52	बीओटी	852	36	29.53	360.9	390.4	आईवीआरसीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स लि
30	धोलपुर - मुरेना खंड (चम्बल पुल सहित) एनएस-1/आरजे-एमपी/1	3	10	सितंबर-2007	सितंबर-2010	दिसं.-2012	100.00	51.24	भाराराप्रा	232.45	230.28	156.99	16.65	173.6	पीएनसी- टीआरजी (सं.उ.)
31	लखनादोन से एमपी/एमएच सीमा (एनएस-1/ बीओटी/एमपी-3)	7	56.475	दिसं.-2007	जून-2010	अक्टू.-2012	100.00	49.10	वार्षिकी	407.6	35.4	183.27	1.33	184.6	सदभाव - एसआरईआई (सं.उ.)
32	विजयपुर से पठानकोट (एनएस-35/जे एंड के)	1ए	30	सितंबर-2005	फरवरी-2008	मार्च-2012	100.00	91.00	भाराराप्रा	193.1	158.08	136.88	18.19	155.1	आईटीडी सीमेंटेशन (आई) लि.

अनुलग्नक XIX

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

31.12.2011 की स्थिति के अनुसार उत्तर-दक्षिण - पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर के अंतर्गत पूर्ण/4 लेन खंडों का विवरण

क्र. स.	खण्ड	एन.एच. नं.	लम्बाई	द्वारा वित्त पोषित	प्रारम्भ की तिथि	कब पूरा हुआ	राज्य
1	आर.जे./एम.पी; सीमा से कोटा (आर.जे.-11)	76	70	ए.डी.बी.	सितम्बर-2005	अक्टूबर-2008	राजस्थान
2	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-4)	28	29	डब्ल्यू.बी.	नवम्बर-2005	मार्च-2011	उत्तर प्रदेश
3	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-3)	28	46	डब्ल्यू.बी.	नवम्बर-2005	मार्च-2011	उत्तर प्रदेश
4	लंका से दबोका (एएस-16)	54	24.032	एन.एच.ए.आई.	दिसम्बर-2005	मार्च-2011	असम
5	लुमडींग से दबोका(एएस-15)	54	18	एन.एच.ए.आई.	फरवरी-2008	दिसम्बर-2011	असम
6	नगांव बाईपास (एएस-18)	37	23.663	एन.एच.ए.आई.	दिसम्बर-2005	मई-2011	असम
7	पूर्णिया-फोरबेसगंज (बी.आर.-1)	57	42.5	एन.एच.ए.आई.	नवम्बर-2005	अप्रैल-2010	बिहार
8	गोगुंडा से उदयपुर (आर.जे.-3)	76	31	एन.एच.ए.आई.	जनवरी-2006	दिसम्बर-2009	राजस्थान
9	आर.जे./एम.पी. सीमा से कोटा(आर.जे.-10)	76	59.85	ए.डी बी.	अक्टूबर-2005	जून-2009	राजस्थान
10	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-6)	28	44.86	डब्ल्यू.बी.	अक्टूबर-2005	फरवरी-2011	उत्तर प्रदेश
11	कोटा से चित्तौडगढ़ (आर.जे.-8)	76	65	ए.डी.बी.	अक्टूबर-2005	दिसम्बर-2008	राजस्थान
12	कोटा से चित्तौडगढ़ (आर.जे.-7)	76	63	ए.डी.बी.	अक्टूबर-2005	दिसम्बर-2008	राजस्थान
13	चित्तौडगढ़ बाईपास (आर.जे.-6)	76	40	ए.डी.बी	अक्टूबर-2005	दिसम्बर-2008	राजस्थान
14	बाकरिया से गोगुंडा (आर.जे.-2)	76	44	एन.एच.ए.आई.	नवम्बर-2005	मार्च-2009	राजस्थान
15	स्वरूपगंज से बाकरिया (आर.जे.-1)	76, 14	43	एन.एच.ए.आई.	दिसम्बर-2005	मई-2009	राजस्थान
16	पालनपुर से स्वरूपगंज (राजस्थान -42 किमी एण्ड गुजरात-34 किमी)	14	76	वार्षिकी	सितम्बर-2006	मई-2009	राजस्थान[42]/गुजरात [34]
17	पूर्णिया-फोरबेसगंज (बी.आर.-2)	57	36.7	एन.एच.ए.आई.	नवम्बर-2005	जुलाई-2010	बिहार
18	रिंग बंद से झांझरपुर (बी.आर.-6)	57	38.55	एन.एच.ए.आई.	जनवरी-2006	नवम्बर- 2011	बिहार
19	लखनऊ-कानपुर खंड (ईडब्ल्यू-8/ यूपी)	25	22.2	एन.एच.ए.आई.	सितम्बर 2001	फरवरी 2006	उत्तर प्रदेश
20	लखनऊ-कानपुर खंड (ईडब्ल्यू-9/यूपी)	25	15.5	एन.एच.ए.आई.	सितम्बर 2001	मार्च 2005	उत्तर प्रदेश

21 22	रिबदा से गोंडाल खंड (ईडब्ल्यू-10/जीजे) पालनपुर-दिशा (ईडब्ल्यू-11/जीजे)	8बी 14	17 22.7	एन.एच.ए.आई. एन.एच.ए.आई.	सितम्बर 2001 अगस्त 2001	अक्टूबर 2002 फरवरी 2003	गुजरात गुजरात
23	पूर्णिया-गयाकोटा (ईडब्ल्यू-12/बीआर)	31	28	एन.एच.ए.आई.	सितम्बर 2001	जून 2011	बिहार
24	गुवाहटी बाईपास (ईडब्ल्यू-14/एएस)	37	10.5	एन.एच.ए.आई.	सितम्बर 2001	जून 2004	असम
25	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-5)	28	44	डब्ल्यू.बी.	अक्टूबर-2005	दिसम्बर-2011	उत्तर प्रदेश
26	बामनबोर-राजकोट	8बी	31	स.प.रा.मं.	#	#	गुजरात
27	सिलिगुडी से इस्लामपुर (डब्ल्यू.बी.-6)	31	25	एन.एच.ए.आई.	अप्रैल-2006	अक्टूबर-2008	पश्चिम बंगाल
28	दरभंगा से मुजफ्फरपुर (बी.आर.-8)	57	32.05	एन.एच.ए.आई.	जनवरी-2006	मार्च-2011	बिहार
29	दरभंगा से मुजफ्फरपुर (बी.आर.-9)	57	37.75	एन.एच.ए.आई.	जनवरी-2006	फरवरी-2011	बिहार
30	मुजफ्फरपुर से मेहसी (एलएमएनएचपी-12)	28	40	डब्ल्यू.बी.	सितम्बर-2005	मार्च-2011	बिहार
31	मेहसी से कोटवा (एलएमएनएचपी-11)	28	40	डब्ल्यू.बी.	सितम्बर-2005	जून 2011	बिहार
32	अयोध्या-लखनऊ(एलएमएनएचपी-2)	28	47	डब्ल्यू.बी.	अक्टूबर-2005	सितम्बर 2011	उत्तर प्रदेश
33	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-1)	28	36.75	डब्ल्यू.बी.	अक्टूबर-2005	अगस्त 2011	उत्तर प्रदेश
34	आर.जे./एम.पी. सीमा से कोटा (आर.जे.-9)	76	43.15	ए.डी.बी.	अक्टूबर-2005	जून-2009	राजस्थान
35	राजकोट-रिबदा	8बी	15	स.प.रा.मं.	#	#	गुजरात
36	गारमोर से बामनबोर (पैकेज -III)	8ए	71.4	ए.डी.बी.	फरवरी 2005	जुलाई 2009	गुजरात
37	झांसी-शिवपुरी (यूपी/एमपी-1) (यूपी-11 किमी एण्ड एमपी - 30 किमी)	25	41	ए.डी.बी.	अक्टूबर-2005	मई-2009	उत्तर प्रदेश [11]/मध्य प्रदेश [30]
38	शिवपुरी बाईपास और एमपी/आरजे सीमा तक (ईडब्ल्यू-II - एमपी-I)	25, 76	53	ए.डी.बी.	अगस्त 2005	अक्टूबर-2008	मध्य प्रदेश
39	झांसी बाईपास(यूपी- 3)	25	15	ए.डी.बी.	नवम्बर-2005	मार्च-2011	उत्तर प्रदेश
40	औरई से झांसी (यूपी- 4)	25	68.2	ए.डी.बी.	अक्टूबर-2005	फरवरी-2011	उत्तर प्रदेश
41	राजकोट बाईपास और गौंडाल जैतपुर (पैकेज -VII)	8बी	36	बीओटी	सितम्बर-2005	मार्च 2008	गुजरात
42	डलकोला इस्लामपुर उपखंड 2(ईडब्ल्यू /6)	31	23.85	एन.एच.ए.आई.	अप्रैल-2000	नवम्बर-2005	पश्चिम बंगाल
43	डलकोला-इस्लामपुर (ईडब्ल्यू /5)	31	23	एन.एच.ए.आई.	दिसम्बर 1999	मार्च 2004	पश्चिम बंगाल
44	पूर्णिया-गयाकोटा (ईडब्ल्यू /4)	31	15.15	एन.एच.ए.आई.	दिसम्बर 1999	मई- 2008	बिहार

45	लखनऊ कानपुर खंड (ईडब्ल्यू /2)	25	10.42	एन.एच.ए.आई.	अप्रैल-2000	अगस्त 2002	उत्तर प्रदेश
46	आबू रोड़ दिशा खंड पालनपुर के नजदीक (ईडब्ल्यू /1)	14	10	एन.एच.ए.आई.	दिसम्बर 1999	अप्रैल-2001	गुजरात
47	झांसी-शिवपुरी (ईडब्ल्यू-II - एमपी-2)	25	35	ए.डी.बी.	अगस्त 2005	नवम्बर- 2008	मध्य प्रदेश
48	जैतपुर से भिलादी (पैकेज -II)	8बी	64.5	ए.डी.बी.	फरवरी 2005	जनवरी-2009	गुजरात
49	राधानपुर से गगोधर (पैकेज -V)	15	106.2	ए.डी.बी.	फरवरी 2005	मई- 2008	गुजरात
50	दिशा से राधनपुर (पैकेज -VI)	14	85.4	ए.डी.बी.	फरवरी 2005	सितम्बर 2008	गुजरात
51	बरा से औरई	2, 25	62.8	वार्षिकी	अक्टूबर 2006	मार्च-2011	उत्तर प्रदेश
52	गुहावटी बाईपास (ईडब्ल्यू /7)	37	8	एन.एच.ए.आई.	जून2000	दिसम्बर 2003	असम
53	भिलादी से पोरबंदर (पैकेज -I)	8बी	50.5	ए.डी.बी.	फरवरी 2005	मई- 2007	गुजरात
54	सागर राजमार्ग चौराहा (ए.डी.पी.-II/सी-7)	26	43.162	ए.डी.बी.	अप्रैल-2006	दिसम्बर 2010	मध्य प्रदेश
55	हैदराबाद बंगलौर खंड (एनएस-2/बीओटी/एपी-5)	7	74.65	वार्षिकी	सितम्बर-2006	नवम्बर- 2009	आन्ध प्रदेश
56	काडलोर येल्लरेड्डी से गुंडला पोचपल्ली (एनएस-2/बीओटी/एपी-2)	7	85.74	वार्षिकी	सितम्बर-2006	मार्च-2009	आन्ध प्रदेश
57	हैदराबाद बंगलौर खंड (ए.डी.पी.-11/सी-15)(अनुमोदित लम्बाई 45.6)	7	45.05	ए.डी.बी.	मार्च 2007	नवम्बर- 2010	आन्ध प्रदेश
58	बोवनपल्ली (हैदराबाद शहर) से शिवरामपल्ली	7	9.2	स.प.रा.मं.	#	अप्रैल-1998	आन्ध प्रदेश
59	इस्लाम नगर से कादतल (एनएस-2/बीओटी/एपी-7)	7	53.01	वार्षिकी	मार्च 2007	अगस्त 2010	आन्ध प्रदेश
60	कालकल्लू गांव गुंडला पोचमपल्ली (एनएस-8)	7	17	एन.एच.ए.आई.	दिसम्बर 1999	अप्रैल-2002	आन्ध प्रदेश
61	थोनापल्ली से फारूखनगर (एनएस/9)	7	12.5	एन.एच.ए.आई.	दिसम्बर 1999	जनवरी-2003	आन्ध प्रदेश
62	फारूखनगर से कोटकटा (एनएस-2/एपी-4)	7	55.74	बीओटी	अगस्त 2006	मार्च-2009	आन्ध प्रदेश
63	फारूखनगर से कोटकटा (एनएस-2/एपी-3)	7	46.162	बीओटी	अगस्त 2006	फरवरी 2009	आन्ध प्रदेश
64	नागपुर-चिन्चभुवन	7	9.2	स.प.रा.मं.	#	अप्रैल-1998	माहराष्ट्र

65	बंगलौर - सैलम- मदुरै (एनएस-27/टीएन)	7	8.4	एन.एच.ए.आई.	सितम्बर 2001	अप्रैल-2004	तमिलनाडु
66	छः- लेन पांची गुजरां से कामसपुर(सोनीपत)(एनएस-17/एचआर)	1	21.7	एन.एच.ए.आई.	जनवरी-2006	दिसम्बर 2010	हरियाणा
67	आठ लेन हरियाणा / दिल्ली सीमा से मुकराबा चौक (एनएस-18/डीएल)	1	12.9	एन.एच.ए.आई.	जून-2009	जुलाई 2011	दिल्ली
68	राज/यूपी सीमा से मानीया (एनएस-19/यूपी/आरजे)	3	17	एन.एच.ए.आई.	अगस्त 2001	जनवरी-2005	उत्तर प्रदेश [7]/राजस्थान[10]
69	सराई चौला से मौरिना (एनएस-20/एमपी)	3	15	एन.एच.ए.आई.	सितम्बर 2001	अगस्त 2004	मध्य प्रदेश
70	मौरिना-रैरू (ग्वालियर बाईपास से प्रारम्भ) (एनएस-21/एमपी)	3	18	एन.एच.ए.आई.	अगस्त 2001	दिसम्बर-2005	मध्य प्रदेश
71	नंदी हिल्स क्रोस से देवनहल्ली और छः लेन के मीनुकुंटी से हब्बाल (एनएस-24/केएन)	7	25	एन.एच.ए.आई.	सितम्बर 2001	अगस्त 2008	कर्नाटक
72	अम्बाला-पानीपत	1	116	डब्ल्यू.बी.	#	#	हरियाणा
73	थुमपीपदी से सैलम (एनएस-26/टीएन)	7	19.2	एन.एच.ए.आई.	सितम्बर 2001	मार्च 2010	तमिलनाडु
74	ललीतपुर सागर (ए.डी.पी.-II/सी-3)	26	38	ए.डी.बी.	मई- 2006	दिसम्बर-2011	उत्तर प्रदेश
75	अंगामली से अलुवा (एनएस-28/केएल)	47	16.6	एन.एच.ए.आई.	सितम्बर 2001	जून 2004	केरल
76	चिंचभुवन-बूतीबोरी-बोरखेडी (एनएस-7)	7	25.6	एन.एच.ए.आई.	सितम्बर 1999	मार्च 2002	माहराष्ट्र
77	जालंधर-अम्बाला	1	160.7	डब्ल्यू.बी.	#	#	पंजाब
78	हैदराबाद बंगलौर खंड (ए.डी.पी.-11/सी-10)	7	40.35	ए.डी.बी.	मार्च 2007	जनवरी-2011	आन्ध प्रदेश
79	त्रिशूर-कोच्ची खंड	47	17	स.प.रा.मं.	#	#	केरल
80	आठ लेन के मुकरबा चौक से माल रोड़ (दिल्ली)(एनएस3/डीएल)	1	8.5	एन.एच.ए.आई.	नवम्बर- 2001	जनवरी-2007	दिल्ली
81	थोपुरघाट से थुमपीपदी (एनएस-25/टीएन)	7	16.6	एन.एच.ए.आई.	मई- 2005	जनवरी-2010	तमिलनाडु
82	करूर से मदुरै (टीएन-5)	7	53.025	बीओटी	जुलाई 2006	सितम्बर 2009	तमिलनाडु
83	हैदराबाद बंगलौर खंड (ए.डी.पी.-11/सी-13)	7	40	ए.डी.बी.	मार्च 2007	दिसम्बर 2010	आन्ध प्रदेश

84	एमएच/एपी सीमा से इस्लाम नगर (एनएस-2/बीओटी/एपी-6)	7	54.6	वार्षिकी	मई- 2007	अगस्त 2010	आन्ध प्रदेश
85	कादल से अरमूर (एनएस-2/बीओटी/एपी-8)	7	31	वार्षिकी	मई- 2007	नवम्बर- 2009	आन्ध प्रदेश
86	रा.रा. पर फगवाडा जंक्शन	1	1	एन.एच.ए.आई.	दिसम्बर-2005	जनवरी-2008	पंजाब
87	झांसी से ललीतपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी- 3)	26	49.3	वार्षिकी	मार्च 2007	दिसम्बर-2011	उत्तर प्रदेश
88	कृष्णगंज से थोपुरघाट (एनएस-2/टीएन 1)	7	62.5	बीओटी	जुलाई 2006	जनवरी-2009	तमिलनाडु
89	सेलम से करूर (एनएस-2/टीएन-2)	7	41.55	बीओटी	अगस्त 2006	अगस्त 2009	तमिलनाडु
90	करूर बाईपास की 4 लेन सहित अतिरिक्त पुल अमरावती नदी पर	7	9.36	एन.एच.ए.आई.	अगस्त 1999	सितम्बर 2002	तमिलनाडु
91	करूर से मदुरै (टीएन-4)	7	68.125	बीओटी	अक्टूबर 2006	नवम्बर- 2009	तमिलनाडु
92	भोगपुर से जालंधर (एनएस-16/पीबी)	1ए	21.77	एन.एच.ए.आई.	अगस्त 2001	अक्टूबर 2004	पंजाब
93	मदुरै से किमी 120 के मदुरै - तिरूनेलवेली खंड सहित मदुरै बाईपास (एनएस-39)	7	42	एन.एच.ए.आई.	सितम्बर-2005	सितम्बर 2009	तमिलनाडु
94	मदुरै -कन्याकुमारी खंड (एनएस-40/टीएन)	7	38.86	एन.एच.ए.आई.	सितम्बर-2005	सितम्बर 2009	तमिलनाडु
95	मदुरै -कन्याकुमारी खंड (एनएस-41/टीएन)	7	39.23	एन.एच.ए.आई.	सितम्बर-2005	अप्रैल-2011	तमिलनाडु
96	सेलम से केरल सीमा खंड (टीएन-6)	47	53.525	बीओटी	जुलाई 2006	अप्रैल-2010	तमिलनाडु
97	मदुरै -कन्याकुमारी खंड (एनएस-42/टीएन)	7	42.7	एन.एच.ए.आई.	सितम्बर-2005	अगस्त 2010	तमिलनाडु
98	किमी 120 के मदुरै - तिरूनेलवेली खंड से पनागुडी (किमी 203) (एनएस-43)	7	43	एन.एच.ए.आई.	अक्टूबर-2005	अगस्त 2009	तमिलनाडु
99	कन्याकुमारी -पनागुडी (एनएस-32)	7	31.7	एन.एच.ए.आई.	अप्रैल-2008	जुलाई 2011	तमिलनाडु
100	सेलम से केरल सीमा खंड (टीएन-7)	47	48.51	बीओटी	जुलाई 2006	अगस्त 2009	तमिलनाडु
101	सेलम से करूर (एनएस-2/टीएन-3)	7	33.48	बीओटी	जुलाई 2006	अगस्त 2009	तमिलनाडु

102	अवथी गांव से नंदी हिल्स क्रोस और छः लेन के देवनहल्ली- मीनूकुंटी (एनएस-10)	7	7	एन.एच.ए.आई.	जनवरी-2000	जुलाई 2001	कर्नाटक
103	हैदराबाद बंगलौर खंड (ए.डी.पी.-11/सी-12)	7	42.88	ए.डी.बी.	मार्च 2007	जनवरी-2011	आन्ध प्रदेश
104	बुटीबोरी आरओबी (एनएस-29/एमएच)	7	1.8	एन.एच.ए.आई.	जून 2005	सितम्बर 2011	माहराष्ट्र
105	हैदराबाद बंगलौर खंड (ए.डी.पी.-1/सी-4)	7	42	ए.डी.बी.	मार्च 2007	नवम्बर- 2010	आन्ध प्रदेश
106	एमपी/राज सीमा से सराई चोल्ला (एनएस/6)	3	9	एन.एच.ए.आई.	जुलाई 2000	जनवरी-2003	मध्य प्रदेश
107	मनीया-धौलपुर (एनएस/5)	3	10	एन.एच.ए.आई.	दिसम्बर 1999	मार्च 2001	राजस्थान
108	आगरा-राज/यूपी सीमा (एनएस-4)	3	16	एन.एच.ए.आई.	दिसम्बर 1999	नवम्बर- 2001	उत्तर प्रदेश
109	छः लेन के कामसपुर से हरियाणा हरियाणा / दिल्ली सीमा (एनएस/2)	1	15	एन.एच.ए.आई.	दिसम्बर 1999	नवम्बर- 2001	हरियाणा
110	देवधरी-केलापुर (एनएस-61/एमएच)	7	30	एन.एच.ए.आई.	अक्टूबर-2005	अक्टूबर 2010	माहराष्ट्र
111	सेलम बाईपास (एनएस/12)	7	8.4	एन.एच.ए.आई.	दिसम्बर 1999	जनवरी-2003	तमिलनाडु
112	हैदराबाद बंगलौर खंड (ए.डी.पी.-11/सी-11)	7	41.35	ए.डी.बी.	मार्च 2007	जनवरी-2011	आन्ध प्रदेश
113	जालंधर बाईपास (एनएस/1)	1	14.4	एन.एच.ए.आई.	नवम्बर- 1999	जून 2004	पंजाब
114	करूर आरओबी का निर्माण	7	0.84	एन.एच.ए.आई.	जुलाई 1999	सितम्बर 2002	तमिलनाडु
115	पानीपत इलिवेट हाईवे (छः लेन)	1	10	बीओटी	जनवरी-2006	जून2008	हरियाणा
116	पानीपत से पांची गुजरां (छः लेन कार्य) (एनएस-89/एचआर)	1	20	एन.एच.ए.आई.	अक्टूबर 2006	दिसम्बर 2010	हरियाणा
117	श्रीनगर बाईपास (सड़क भाग)(एनएस-30)	1ए	17.8	एन.एच.ए.आई.	अक्टूबर 2003	नवम्बर- 2010	जम्मू कश्मीर
118	त्रिशूर से अंगामली (केएल-I)	47	40	बीओटी	सितम्बर-2006	नवम्बर- 2011	केरल
119	एपी/कर्नाटक सीमा-नंदी हिल् क्रोसिंग और देवहल्ली से मीनूकुंटी गांव	7	61.38	वार्षिकी	मार्च 2007	दिसम्बर-2009	कर्नाटक
120	जेम-वाडनर (एनएस-59/एमएच)	7	30	एन.एच.ए.आई.	अक्टूबर-2005	अक्टूबर 2011	माहराष्ट्र
121	थोपुरघाट खंड (एनएस/14)	7	7.4	एन.एच.ए.आई.	दिसम्बर 1999	अप्रैल-2002	तमिलनाडु

अनुलग्नक XX

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

31.12.2011 की स्थिति के अनुसार सौंपे जाने के लिए शेष लम्बाई (उत्तर दक्षिण - पूर्व पश्चिम कॉरीडोर) को दर्शाने वाला विवरण				
क्र.सं.	खंड	रारा सं.	रारा सं.	राज्य का नाम
1	उदरबंध से हरंगजो (एएस-14)	54	31	असम
2	उधमपुर-रामबन	1ए	43	जम्मू और कश्मीर
3	रामबन से बनिहाल	1ए	36	जम्मू और कश्मीर
4	वालयार-वडक्कनचेरी खंड को 4 लेन का बनाया जाना	47	58	केरल
5	सलेम -कोयम्बटूर-केरल सीमा खंड पर सलेम से किमी 100 तक	47	27.37	तमिलनाडु
6	घोषुकुर (रारा-31 का किमी 351) से सलसलाबाड़ी (रारा-31 सी का किमी 226) वाया फुलबाड़ी-मैनागरी-धुम्पगिरि-फालकाटा (3 पैकेज)	31, 31 सी	201	पश्चिम बंगाल

अनुलग्नक XXI

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

31.12.2011 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयनाधीन अन्य ठेकों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई (किमी में)	प्रारंभ की तिथि	करार के अनुसार पूरा करने की तिथि	पूरा करने की अनुमानित तिथि	वास्तविक प्रगति लक्ष्य (%)	वास्तविक प्रगति (%)	वित्त-पोषित	कुल परियोजना लागत (करोड़ रू.)	सौंपी गई लागत (करोड़ रू.)	3/2010 तक व्यय	चालू वित्त वर्ष में व्यय	संचयी व्यय	ठेकेदार
1	मुलतई-छिंदवाडा-शिवनी खंड और नरसिंहपुर-अमरवाडा-उमरानाला-सोनेर खंड (पेव्ड शोल्डरों सहित 2 लेन का बनाया जाना)	69ए और 26बी	418	#	#	#	#	#	भाराराप्रा	1565	1411.36	0	28.4	28.4	सदभाव इंजीनियरिं ग लि.
2	आईसीटीटी वल्लारपदम को रारा संपर्क	47सी	17.2	अगस्त-2007	फरवरी-2010	मई-2012	100.00	99.25	भाराराप्रा	557	329.46	926.06	4.86	930.92	सनकॉन - सोमा (जेवी)
3	कांगयम से कोयम्बतूर (केसी-2)	67, केसी2	55.2	अगस्त-2006	अगस्त-2008	मार्च-2012	100.00	99.90	स.प.रा.मं.	0	79.52	131.19	1.3	132.49	एसआरसी प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लि.
4	गढ़मुक्तेश्वर - मुरादाबाद	24	56.25	मार्च-2005	सितम्ब्र-2007	जून-2012	98.00	99.77	भाराराप्रा	275	221.42	287.97	10.7	298.67	पीएनसी कंसोर्शियम कं. - बीईएल (जेवी)
5	हापुड़ - गढ़मुक्तेश्वर	24	35	मार्च-2005	सितम्बर-2007	जून-2012	100.00	89.95	भाराराप्रा	220	195.51	200.89	56.4	257.29	यूपी स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लि. (यूपीएसबीसी)

अनुलग्नक XXII

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अन्य परियोजनाओं की संपूर्ण पूरी की गई परियोजनाओं में पूरे किए गए/4 लेन के खंडों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	खंड	किमी से तक	रारा सं.	लंबाई	किस द्वारा वित्तपोषित	प्रारंभ की तारीख	कब पूरा किया गया	राज्य
1	पडलुर - त्रिची (पैकेज - VI-सी)	किमी 285.00 - किमी 325.00	45	38.427	बीओटी	नवं.-2006	अप्रैल-2010	तमिलनाडु
2	मोरादाबाद बाईपास		24	18	एसपीवी	अप्रैल-1999	जून-2002	उत्तर प्रदेश
3	गाजियाबाद हापुर और हापुर बाईपास		24	33	जेबीआईसी	अप्रैल-1999	सितं.-2002	उत्तर प्रदेश
4	दुर्ग बाईपास		6	18	बीओटी	मार्च-1999	जन.-2001	छत्तीसगढ़
5	केबल नैनी के पास यमुना नदी पर पुल धारित		27	6	जेबीआईसी	अक्तू.-2000	जुला.-2004	उत्तर प्रदेश
6	अमरावती बाईपास		6	17.4	भाराराप्रा	जून-2000	जन.-2003	महाराष्ट्र
7	नंदीगामा-विजयवाड़ा		9	48	एडीबी	अक्तू.-1996	अप्रैल-2000	आन्ध्र प्रदेश
8	नंदीगामा-विजयवाड़ा		9	35	बीओटी	अगस्त-2001	जून-2004	आन्ध्र प्रदेश
9	थमबाराम - तिनदिवनम	किमी 28 - किमी 121	45	93	वार्षिकी	मई-2002	जन.-2005	तमिलनाडु
10	दिल्ली - गुडगांव खंड (पहुंच नियंत्रित 8/6 लेन)	किमी 14.3- किमी 42	8	27.7	बीओटी	अप्रैल-2002	जन.-2008	दिल्ली [9.7]/हरियाणा [18]
11	चैन्नई बाईपास फेस I		4, 45	19	भाराराप्रा	जून-1998	नवं.-2001	तमिलनाडु
12	उलुन्डरूपेट- पडलुर (पैकेज- VI-बी)	किमी 192.25 - किमी 285.00	45	93.89	बीओटी	दिसं-2006	सितं.-2009	तमिलनाडु
13	महरौली - गुड़गांव रोड अंधरिया के उन्नयन के छह लेन का बनाने के अतिरिक्त दिल्ली - हरियाणा सीमा	किमी 0.00 किमी 7.45	236	7.45	सपरा	अप्रैल-2010	दिसं-2011	दिल्ली
14	वारामकुरची से मदुरै (पैकेज -VII बी)	किमी 60.95 से किमी 124.84	45बी	63.89	भाराराप्रा	फर.-2006	दिसं-2009	तमिलनाडु
15	त्रिची बाईपास से वरामुेरची (पैकेज -VII ए)	किमी 0 से किमी 60.95	45बी	60.95	भाराराप्रा	फर.-2006	अप्रैल-2010	तमिलनाडु

16	गोरखपुर में राप्ती नदी पर 2लेन का अतिरिक्त पुल		28	0.4	भाराराप्रा	मार्च-2004	जून-2007	उत्तर प्रदेश
17	चैन्नई बाईपास फेस II		45, 4 और 5	32.22	भाराराप्रा	मई-2005	जन.-2011	तमिलनाडु
18	जीक्यू के प्रवेश के चेन्नई शहर के भीतर 4 ग्रेड के निर्माण सहित सुधार कार्य		205 , 4 और 45	4	सपरा	अप्रैल-2005	जुला.-2011	तमिलनाडु
19	10 किमी सेवा सड़क का निर्माण और गुवाहाटी बाईपास पर 2 लेन फ्लाईओवर (एएस -14 ए)	किमी 146 से किमी 156	37	10	भाराराप्रा	अगस्त-2005	जन.-2009	असाम
20	चित्तौडगढ़ बाईपास	किमी 159 से किमी 213	79, 76	30	भाराराप्रा	अगस्त-2005	अक्तू.-2009	राजस्थान
21	करूर से कंगयाम (केसी-1)	किमी 218.200 से किमी 277.400	67, केसी1	59.2	सपरा	अगस्त-2006	अप्रैल-2010	तमिलनाडु
22	लालपेट आरओबी	किमी 183.400	67	0	सपरा	मार्च-2006	जन.-2009	तमिलनाडु
23	तिनदिवनम - उलनडूरपेट (पैकेज -VI-ए)	किमी 121 - किमी 192.25	45	72.9	बीओटी	अक्तू.-2006	जुला.-2009	तमिलनाडु

अनुलग्नक -XXIII

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

31.12.2011 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयनाधीन पत्तन संपर्क परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई (किमी में)	प्रारंभ की तारीख	करार के अनुसार पूर्ण होने की दिनांक	पूरा करने की अनुमानित तिथि	संचयी भौतिक प्रगति लक्ष्य (%)	संचयी भौतिक प्रगति उपलब्धि (%)	किस द्वारा वित्तपोषित	कुल परियोजना लागत (करोड़ रू.)	सौंपी गई लागत (करोड़ रू.)	3/2011 तक व्यय	चालू वित्त वर्ष में व्यय	संचयी व्यय	ठेकेदार
1	चेन्ने-एन्नौर पत्तन संपर्क के लिए पर्याप्त सड़क संपर्क का विकास	एसआर	30.2	जून-2011	जून-2013	जून-2013	16.82	8.72	एसपीवी	600	253.47	67.31	8.54	75.85	कोस्टल - एसपीएल (सं.उ.)
2	तुतीकोरीन पत्तन	7ए	47.2	अप्रैल-2010	अप्रैल-2012	अप्रैल-2012	92.40	60.00	एसपीवी	182.25		30.13	32	62.13	ट्रांसस्ट्रोय - ओजेएससी (सं.उ.)
3	नव मंगलूर पत्तन	13, 17 और 48	37	जून-2005	दिसं-2007	मार्च-2012	100.00	90.33	एसपीवी	196.5	168.22	221.2	18.34	239.54	इरकॉन इंटरनेशनल लि0
4	हल्दिया पत्तन	41	53	सितं-2008	सितं-2010	जन-2012	100.00	89.07	एसपीवी	522	295.8	379.17	96.38	475.55	दिनेश चन्द्र आर.अग्रवाल-इन्फ्राकॉन प्रा0

बीआरडीबी के संबंध में वार्षिक योजना 2012-13 के दौरान तिमाही भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

परिणामी बजट 2012-2013

शीर्ष	क्र./सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	भौतिक प्रगति	वित्तीय लक्ष्य (करोड़ रूपए में)	अनुमानित परिणाम (करोड़ रूपए में)	प्रक्रिया/ समयसीमा	टिप्पणी/ जोखिम वाले कारकों
(क) 5054 योजना गत कार्य (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)							
	1	मिसिंग लिंक का निर्माण (किमी)	10.96	7.28			
	2	एकल लेन को दो लेन का बनाना (किमी.)	166.12	402.93			
	3	कमजोर दो लेन का सुदृढ़ीकरण (उत्थापन) (किमी)	45.13	33.65			
	4	चार और अधिक लेन चौड़ीकरण (किमी)	1.60	13.00			
	5	आरओबी के निर्माण सहित बाइपासों का निर्माण (संख्या)	4.00	13.64			
	6	आरओबी के निर्माण सहित बड़े पुलों का निर्माण (संख्या)	20.59	51.23			
	7	आरओबी के निर्माण सहित छोटे पुलों का निर्माण (संख्या)	14.35	17.70			
	8	सड़क गुणता सुधार (किमी)	76.42	38.41			
	9	निम्न ग्रेड खंडों का सुधार (किमी)	26.00	13.20			
	10	अन्य	0.00	0.00			
		कुल वित्तीय परिव्यय		700.00			
(ख) 5054 योजना गत कार्य (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)							
	1	आवधिक नवीकरण (किमी)	1164.49	70.00			